षोडश माला, खंड 22, अंक 8 **गुरुवार, 9 मार्च, 2017**

18 फाल्गुन, 1938 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

ग्यारहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

चंदर मोहन
अपर सचिव

बसन्त प्रसाद
निदेशक

सुनीता थपलियाल
संयुक्त निदेशक

मदन कुमार मिश्र
उप निदेशक

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 22, ग्यारहवां सत्र, 2017/1938 (शक)

अंक 8, गुरुवार, 9 मार्च, 2017 / 18 फाल्गुन, 1938 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
निधन संबंधी उल्लेख	13-15
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 121 से 123 और 126	17-44
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 124, 125 और 127 से 140	45
अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610	

अध्यक्ष द्वारा बधाई

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 104 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई 46

सभा पटल पर रखे गए पत्र 48-51

राष्ट्रपति से संदेश 52

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

30वां प्रतिवेदन 53

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

34वां प्रतिवेदन 53

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

24वें से 31वां प्रतिवेदन 54-55

मंत्री द्वारा वक्तव्य

7 और 8 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं के बारे में

श्री राजनाथ सिंह 57-59

सदस्यों द्वारा निवेदन **60-96**

(एक) अमरीका में भारतीयों पर हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए नस्लीय हमलों के बारे में 60-72

(दो) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधीनगर, गुजरात में आयोजित एक समारोह में केरल की महिला पंचायत प्रमुखों को पारंपरिक वेशभूषा 'हिजाब' पहनकर भाग लेने से कथित रूप से मना करने के बारे में 91-92

(तीन) छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को निरस्त करने की आवश्यकता के बारे में 94-96

नियम 377 के अधीन मामले 109-134

(एक) झारखंड में रेल परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकान्त दुबे 110-111

(दो) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय मिश्रा टेनी 112

(तीन) संगम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14163/64) को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल 113

(चार) महाराष्ट्र में वर्धा से नागपुर तथा अमरावती के बीच चलने

वाली विदर्भ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस में मासिक पासधारकों के लिए एक अतिरिक्त डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस 114

(पाँच) अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल परिसर में वीर विनायक दामोदर सावरकर की उद्धरण वाली पट्टिका को फिर से लगाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ 115

(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 116

(सात) साइबर अपराधों के शिकार उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा साइबर अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार राय 117

(आठ) झारखंड के चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह 118-119

(नौ) देश में बाल तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार 119

(दस) राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया 120

(ग्यारह) बिहार के सिवान में एक कैंसर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव 121

(बारह) धनबाद, झारखंड में बागमारा विकास खंड में बीसीसीएल की कोयला लिंकेज बोलियों में पात्र और हितबद्ध पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय 122-123

(तेरह) डेयरी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल 124

(चौदह) गुजरात के भरूच जिले में एक प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल 125

(पंद्रह) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी के मुख्यालय को हटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. जे. जयवर्धन

(सोलह) अमरीका में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पेशेवर लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय 127

(सत्रह) महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के नियंत्रण तथा इसकी रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार 128

(अठारह) देश में लापता हुए बच्चों के बारे में

श्री रवीन्द्र कुमार जेना 129

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव 130-131

(बीस) तेलंगाना में कोथापल्ली-मनोहारबाद-अक्कानापेट-मेढक रेल लाइन हेतु पर्याप्त निधियों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी 131

(इक्कीस) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि की सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला 132

(बाईस) देश में कृषि क्षेत्र का विकास करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा 133

(तेईस) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

एडवोकेट जोएस जॉर्ज 134

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 135-225

विचार के लिए प्रस्ताव 135

श्री बंडारू दत्तात्रेय	135-137, 214-221
कुमारी सुष्मिता देव	138-143
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	144-147
श्रीमती एम. वसन्ती	147-150
डॉ. रत्ना डे (नाग)	150-153
श्री तथागत सत्पथी	153-158
श्री अरविंद सावंत	159-162
डॉ. रवीन्द्र बाबू	162-166
डॉ. बूरा नरसैय्या गौड	166-170
श्री पी. के. बिजू	170-172
श्रीमती सुप्रिया सुले	173-176
डॉ. वीरेन्द्र कुमार	177-181
डॉ. काकोली घोष दस्तीदार	181-185
डॉ. संजय जायसवाल	185-189
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	189-192
श्रीमती विजया चक्रवर्ती	192-195
श्री कौशलेन्द्र कुमार	195-196
श्रीमती संतोष अहलावत	197-199
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	199-204
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	204-207

श्री दुष्यंत चौटाला	207-208
श्री रमेश बिधूड़ी	209-213
खंड 2 से 4 और 1	222-224
पारित करने के लिए प्रस्ताव	225

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 9 मार्च, 2017 / 18 फाल्गुन 1938 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुई*]

निधन संबंधी उल्लेख

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री रवि राय एवं हमारे पूर्व तीन सदस्यों श्री जाम्बुवंत धोटे, श्री पी. शिवशंकर और श्री सैय्यद शहाबुद्दीन के दुःखद निधन के बारे में सूचना देनी है।

श्री रवि राय 9वीं लोक सभा के दौरान लोक सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। लोक सभा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सभा की कार्यवाही का संचालन अत्यंत सहज, सुचारू, एवं मिलनसारिता से किया। संसदीय कौशल और संसदीय पद्धति एवं प्रक्रियाओं के बारे में उनके व्यापक ज्ञान एवं जानकारी के कारण सभा के सभी वर्गों से उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ।

श्री राय ओडिशा के पुरी और केन्द्रपाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः चौथी, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री राय वर्ष 1979 से 1980 तक केन्द्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री थे। वह 1974 से 1980 तक राज्य सभा के भी सदस्य थे।

श्री राय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई देशों में गए भारतीय संसदीय शिष्टमंडलों का भी नेतृत्व किया।

श्री रवि राय का निधन 90 वर्ष की आयु में 6 मार्च, 2017 को कटक में हुआ।

श्री जाम्बुवंत धोटे महाराष्ट्र के नागपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं और 7वीं लोक सभा के सदस्य थे।

वह 5वीं लोक सभा के दौरान सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य थे।

इसके पूर्व, श्री धोटे तीन कार्यकाल तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य थे।

श्री जाम्बुवंत धोटे का निधन 81 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के यवतमाल में 18 फरवरी, 2017 को हुआ।

श्री पी. शिवशंकर आंध्र प्रदेश के सिकंदराबार और तेनाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से क्रमशः छठी, सातवीं, और बारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री पी. शिवशंकर केंद्रीय विधि, न्याय और कंपनी कार्य; पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक; ऊर्जा; वाणिज्य; खाद्य और नागरिक आपूर्ति; विदेश; योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मानव संसाधन विकास मंत्री थे।

श्री पी. शिवशंकर दो कार्यकाल तक राज्य सभा के सदस्य थे।

श्री पी. शिवशंकर 12वीं लोक सभा के दौरान विशेषाधिकार समिति के सभापति और विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी थे।

श्री पी. शिवशंकर 1994 से 1995 तक सिक्किम और 1995 से 1996 तक केरल के राज्यपाल थे।

प्रतिष्ठित विधिवेत्ता श्री पी. शिवशंकर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे एवं उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया।

श्री पी. शिवशंकर ने अनेक देशों की यात्राएं कीं तथा उन्होंने विभिन्न देशों में गए भारतीय शिष्टमंडलों का नेतृत्व किया।

श्री पी. शिवशंकर का निधन 87 वर्ष की आयु में 27 फरवरी, 2017 को हैदराबाद में हुआ।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन बिहार के किशनगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 10वीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री शहाबुद्दीन 8वीं लोक सभा के दौरान अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के सदस्य तथा 12वीं लोक सभा के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य थे। वे राज्य सभा के सदस्य भी थे।

पेशे से राजनयिक श्री शहाबुद्दीन अल्जीरिया और मौरिटानिया में भारत के राजदूत थे।

श्री सैय्यद शहाबुद्दीन का निधन 81 वर्ष की आयु में 4 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने पूर्व सहयोगियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन रहेगी।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।)

———————

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब, प्रश्नकाल आरंभ करते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 121।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अभी नहीं; मैं आपको प्रश्नकाल के बाद अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल के बाद सारे मुद्दे उठाने की अनुमति दूंगी, लेकिन अभी नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मुझे पता है।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

*प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष : अब, प्रश्न संख्या 121 - श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी।

(प्रश्न संख्या 121)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर दिया है। ... (*व्यवधान*)

महोदया, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर पर्यावरणीय जोखिमों मुख्यतः प्रदूषण और स्वच्छता के अभाव के कारण विश्व में दूसरे स्थान पर है। प्रदूषित पेयजल विशेष रूप से भूजल में प्राकृतिक रूप से आर्सेनिक की उपस्थिति स्वास्थ्य के लिए जोखिम है और यह बच्चों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं कह रही हूं कि मैं आपको प्रश्नकाल के बाद मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगी, लेकिन अभी नहीं।

... (*व्यवधान*)

---

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा किए गए एक आकलन के अनुसार, भारत में पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर 248.14 मौतें दर्ज की गईं... (*व्यवधान*)

बहुक्षेत्रीय पोषण निर्माण पहल-जिसे "संगम" के नाम से भी जाना जाता है, के लिए यूनिसेफ का समर्थन केवल दिसंबर, 2017 तक है और माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इस परियोजना की अवधि तीन वर्ष है, लेकिन समस्या की गंभीरता अत्यंत चिंताजनक है और इतने कम समय में इस समस्या से निपटना संभव नहीं है। ... (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या बच्चों के कल्याण के लिए पूर्व में शुरू की गई योजनाएँ या कार्यक्रम विफल रहे, जिसके चलते नई योजना 'संगम' को शुरू करने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वर्ष 2017 के बाद इस योजना को जारी रखने के लिए सरकार ने कौन-कौन से उपाय किए हैं ताकि भारत में गरीबी एवं कुपोषण के कारण होनेवाली बाल मृत्यु को रोका जा सके? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह बात सही है कि मूल रूप से जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी। इसलिए, कृपया ऐसा न करें।

मैं आपको भी अनुमति दूँगी। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं आपको अनुमति दूंगी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : उसका मुख्य कारण यह है कि जो भारतवर्ष में माएं हैं, अधिकांश तौर पर वे कुपोषण का शिकार हैं। उनके कुपोषण का शिकार होने की वजह से बच्चों पर उसका बड़ा असर पड़ता है। ...(व्यवधान) मैं आपको निश्चित तौर पर बताना चाहता हूं कि विगत 2005-2006 में देश में कुपोषित बच्चों की संख्या 48 प्रतिशत थी, लेकिन सरकार के विभिन्न प्रयासों से जो योजनाएं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, उनके कारण यह संख्या घटकर अब 38.4 प्रतिशत हो गई है।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनंतकुमार) : महोदया, अमेरिका में भारतीयों के साथ जो घटनाएँ घट रही हैं, उस विषय पर हमारे माननीय गृह मंत्री महोदय सभा में कुछ कहना चाहते हैं।... (*व्यवधान*)

मैं उनसे निवेदन करूँगा। ... (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : नहीं, कृपया पहले हमें सुन लीजिए कि इस मुद्दे पर हमारा क्या कहना है, उसके बाद माननीय मंत्री जी कुछ कहें। ... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल : नहीं, महोदया। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आप इस मुद्दे पर प्रश्नकाल के बाद उठा सकते हैं और वह इसका उत्तर देंगे।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : वे तैयार हैं। आप इस मुद्दे पर अभी क्यों बोलना चाहते हैं? वे तैयार हैं और आप इस मुद्दे को बाद में उठा सकते हैं।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अन्यथा वे अपना वक्तव्य देंगे और मामला वहीं समाप्त हो जाएगा।

… (*व्यवधान*)

श्री अनंतकुमार : महोदया, मैं केवल इतना आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस विषय को लेकर अत्यंत गंभीर है और माननीय गृह मंत्री प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे पर अपना वक्तव्य देंगे।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मुझे लगता है, यह बेहतर है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : लेकिन अगर वह अभी कुछ कहना चाहते हैं, तो कह सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यू.एस.ए. में भारतीय नागरिकों के साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, उसको भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। ...(व्यवधान) इस संबंध में सरकार की तरफ से अगले सप्ताह सदन में स्टेटमेंट भी दिया जाएगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, उन्हें पहले हमारी बात सुननी चाहिए और फिर उसका जवाब देना चाहिए। … (*व्यवधान*) जब हमने किसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया है, तो कृपया हमें बोलने की अनुमति दें।… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.12 बजे</u>

(इस समय, श्री सी. महेंद्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

माननीय अध्यक्ष : यदि आप प्रश्नकाल के बाद इस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहते हैं, तो आप उठा सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आपका मुद्दा इस मुद्दे से थोड़ा अलग है। क्या ऐसा नही है?

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी.वेणुगोपाल : हाँ, महोदया। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : तो, मैं प्रश्नकाल के बाद इसकी अनुमति दूंगी। इस प्रकार का आचरण न करें। मैं आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आपका उत्तर पूर्ण हो गया है या नहीं?

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, अभी मेरा उत्तर पूर्ण नहीं हुआ है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, पहले आप अपना उत्तर पूर्ण कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, मैं बता रहा था कि अपने देश में जो बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, उसका मुख्य कारण है कि माँ कुपोषित रहती है। ...(व्यवधान) उसका कारण अशिक्षा और गरीबी है। गरीबी और अशिक्षा की वजह से माँ को ठीक ढंग से आहार नहीं मिल पाता है। ...(व्यवधान) भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैंने आपको यह भी बताया है कि इसमें लगातार कमी

आ रही है। ...(व्यवधान) जो बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और आविकसित बच्चे हो रहे हैं, जहां सन् 2005-06 में 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार थे, अब सन् 2015-16 में वह घट कर 38.04 प्रतिशत हो गए हैं। यानि लगातार जो बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे थे, भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इस बात को स्वीकारता हूँ कि आज भी बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। आज भी माएँ कुपोषण की शिकार हैं। उसके मूल में गरीबी और अशिक्षा ही कारण है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय उनकी गरीबी को दूर करने के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना को जमीन पर उतारने का काम कर रही है और बड़े पैमाने पर उस पर धनराशि खर्च करने का काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहना हूँ कि यह भी चिंता का विषय है कि भारत में अभी भी 53 प्रतिशत ऐसी महिलाएं हैं, जो एनिमिक हैं, जिनमें खून की कमी है। इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय संयुक्त रूप से मिल कर इस समस्या से लड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं। जैसे किशोरी शक्ति योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, मनरेगा, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और आजीविका मिशन आदि विभिन्न योजनाएं चल रही हैं।

यही नहीं सबसे बड़ा इम्पैक्ट प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का पड़ा है। जिसके माध्यम से गरीब महिलाओं को सीधे गैस कनेक्शन प्रोवाइड कराया जा रहा है। धुएँ की वजह से वे बीमार होती थीं, उससे बड़े पैमाने पर उनको मुक्ति दी जा रही है। वर्ष 2019 तक पाँच करोड़ गरीब महिलाओं को यह कनेक्शन दिया जायेगा।...(व्यवधान) इसका बहुत ही सकारात्मक असर हो रहा है।...(व्यवधान)

महोदया, माननीय सदस्य ने खास तौर पर पेयजल के बारे में चिन्ता जाहिर की है। ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बहुत सारी धनराशि देने का काम किया है।...(व्यवधान) अशुद्ध पानी पीने की वजह से हमारी माताओं, हमारी ग्रामीण जनता

पर जो असर पड़ता है, उससे मुक्ति दिलाने का भी काम किया जा रहा है।...(व्यवधान) इसके लिए भी बड़ी धनराशि दी जा रही है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जो संगम योजना है, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनीसेफ के ज्वाइंट अफोर्ड से एक प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जिसमें बहुत सारी धनराशि दी गई है।...(व्यवधान) यह तीन साल का प्रोजेक्ट है।...(व्यवधान) इस पर काम चल रहा है।...(व्यवधान) पूरे देश से कुपोषण मिटाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नये-नये तरीके अपनाये जा रहे हैं।...(व्यवधान) मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग किट भी तैयार की जा रही है।...(व्यवधान) पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देश के चार जिलों का चयन किया गया है।...(व्यवधान) विशेष रूप से यह संगम योजना देश के उन चार जिलों में जहाँ बहुत ही स्थिति खराब है, जहाँ आदिवासियों और गरीबों की संख्या है, उन जिलों को लेकर वहाँ काम शुरू किया जा रहा है।...(व्यवधान) पूरा देश कुपोषण से बाहर निकले, उसके लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य कर रही है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता है कि हम अपने देश को कुपोषण से बाहर निकालेंगे।...(व्यवधान) बच्चे कुपोषित न हों, इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट हर संभव प्रयास कर रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी वेणुगोपाल जी, मुझे पता है कि आप मछुआरों का मुद्दा उठाना चाहते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल के बाद मैं आपको अवश्य अवसर दूंगी। कृपया थोड़ा धैर्य रखें। मुझे आपका मुद्दा ज्ञात है। प्रश्नकाल के बाद मैं श्री वेणुगोपाल जी को जरूर अवसर दूंगी। मैं कह रही हूं कि मैं आपको अवसर दूंगी, लेकिन अभी नहीं। मैं सभी को अवसर दूंगी। आप जानते हैं कि हम एक महीने बाद बैठक कर रहे हैं और सभा के समक्ष अनेक महत्वपूर्ण विषय विचाराधीन हैं। मैं निश्चित रूप से आपको बोलने की अनुमति दूंगी ... (*व्यवधान*)

डॉ. पी.वेणुगोपाल: मछुआरों का यह मुद्दा कई बार सभा में उठाया गया है लेकिन सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है... (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.18 बजे</u>

(इस समय श्री सी. महेंद्रन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी : हाल ही की विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष पर्यावरणीय जोखिमों जैसे कि घर के अंदर और बाहर का वायु प्रदूषण, सेकंड हैंड स्मोक(स्मोक करने के बाद जो धुआं बाहर निकलता है, उसे जब दूसरा व्यक्ति सांस के जरिए अंदर लेता है), असुरक्षित जल, स्वच्छता की कमी और अपर्याप्त स्वच्छता के कारण पाँच वर्ष से कम आयु के 17 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है।

वास्तव में, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारत को 'स्वच्छ भारत' बनाने के उनके विजन के तहत भारत में स्वच्छता व्यवस्था में कुछ हद तक सुधार हुआ है। लेकिन, भारत में स्वच्छता व्यवस्था में और अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए तथा बच्चों को बचाने के उद्देश्य से, डबल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 44 प्रतिशत आबादी आज भी खुले में शौच करती है, जिससे डायरिया जैसी संक्रामक बीमारियों और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि बच्चों में संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी अत्यंत गंभीर हैं, हमारा विभाग अत्यंत गंभीर है। जैसा इन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के माध्यम से खास तौर से पेयजल और शौचालयों के निर्माण में केन्द्र सरकार ने बहुत ही अहम पहल की है। मैं आपको बताता हूँ कि वर्ष 2016-17 में अब तक के हिसाब से 1.78 करोड़ शौचालयों का निर्माण करवाया गया है और लगभग 1.70 लाख गाँव पूरी तरह

से ओडीएफ हो गये हैं। यह एक बहुत बड़ी सफलता है। इसी तरह से, भारत सरकार ने 'राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम' के माध्यम से वर्ष 2016-17 तक कुल मिलाकर लगभग 5,252 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है, जिसके तहत अब तक 44,199 गांवों को, बसावटों को जोड़ने का काम किया गया है। केन्द्र सरकार लगातार इस पर काम कर रही है, ताकि गांव के आम लोगों को शुद्ध पानी मिल सके और स्वच्छता अभियान के माध्यम से 'ओडीएफ' करके लोगों को स्वच्छ वातावरण दिया जा सके।

श्री दद्दन मिश्रा : अध्यक्ष जी, हमारे संसदीय क्षेत्र का श्रावस्ती जनपद कुपोषण से हो रही मौतों की वज़ह से वर्ष 2014-15 में सुर्खियों में आया था, जिसका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संज्ञान लिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम दिल्ली आई थी और संबंधित अधिकारियों को तलब भी किया था। बहुत अच्छी-अच्छी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन उसका प्रभावी क्रियान्वयन न होने की वज़ह से इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उसके बाद प्रचलित योजनाओं को ईमानदारी से क्रियान्वयन किया गया, जिसका परिणाम भी परिलक्षित हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद व्यवस्था पुनः पुराने ढर्रे पर आ गयी और समस्या जस-की-तस है।

हमारा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या प्रचलित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई प्रभावी निगारानी व्यवस्था आप बनाएंगे?

दूसरा, कुपोषण के मामले में अव्वल जो हमारा जनपद श्रावस्ती है, क्या 'संगम' योजना के अंतर्गत उस जिले को उसमें सम्मिलित करने का काम करेंगे?

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि कुपोषण से शिकार, जैसा मैंने प्रश्न के पहले ही अंश में कहा कि, कुपोषित बच्चे, खासतौर पर मां के कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, खास तौर पर गांवों की गरीब महिलाएं, जब वे गर्भवती होती हैं और उनकी गर्भावस्था से पहले

भी, मैं समझता हूं कि बड़े पैमाने पर उनके उत्थान के लिए, भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके लिए बहुत सारी धनराशि खर्च कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है।

देश के स्तर पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इन तीनों के प्रयास से गर्भवती महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें सभी गर्भवती महिलाओं को चार चेक-अप मुफ्त उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। 'आशा दीदी' सभी गर्भवती महिलाओं को एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए उत्तरदायी है और मैं समझता हूं कि सभी महिलाओं को एकत्रित करके उनका मेडिकल चेक-अप कराने की कोशिश की जा रही है। जो वांछित टीका कार्यक्रम है, वह दिलवाने की कोशिश की जा रही है। बच्चे के जन्म के उपरांत शिशु सुरक्षा के लिए छह हफ्तों के अंदर आशा दीदी को छह बार विजिट करना आनिवार्य है। ये सब कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 'मिशन इन्द्रधनुष' के अंतर्गत 11 मुख्य बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीकाकरण मुफ्त में दिलवाने की कोशिश की जा रही है। 'किशोरियों और किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम' के अंतर्गत शिशु जन्म की उचित आयु के बारे में तथा दो बच्चों के बीच में रहने वाले अन्तराल की जानकारी देने की भी कोशिश की जा रही है। खास तौर पर, गांव की जो गरीब महिलाएं हैं, उनमें लगातार अवेयरनेस न होने की वजह से तुरन्त-तुरन्त उनकी गर्भावस्था हो जाती है, जिसकी वज़ह से भी बच्चों पर असर पड़ता है। यही नहीं, हाल ही में शुरू की गयी 'प्रधानमंत्री मातृत्व स्वास्थ्य आभियान' के अंतर्गत महीने में 9 तारीख को मुफ्त चेक-अप करना आनिवार्य हो गया है। पूरे देश के पैमाने पर यह स्कीम चलायी जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी चिंता करने का काम किया। कल ही 'अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस' था और मैं समझता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने इसकी बहुत चिंता करने का काम किया है। आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि जो गर्भवती महिला होगी, उनके एकाउंट में छह हजार रुपए डाल दिया जाएगा और निवेदन यह होगा कि वे इस छह हजार रुपए की राशि का सही उपयोग करने का काम करें। मैं समझता हूं कि इसका बड़ा असर होगा।

माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, 'दिशा' में इन सब चीज़ों का प्रावधान किया गया है। पूरे तौर पर "दिशा" की जो मीटिंग होती है, अगर कहीं से कोई गड़बड़ी लगती है और भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो धनराशि दी जा रही है, वह गांव तक नहीं पहुंच रही है, "दिशा" की मीटिंग माननीय सांसदों को पूरी शक्ति प्रदत्त है, हम उसको मॉनिटरिंग करके चेक और बैलेंस करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री अशोक शंकरराव चव्हाण : माननीय अध्यक्ष महोदया, पूरे देश में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या है। महाराष्ट्र में, विशेष रूप से मेलघाट, पालघर ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुपोषण एक बहुत गंभीर मुद्दा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात है, केंद्र सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इस समस्या से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह देखा गया है कि इन आंगनवाड़ी केंद्रों के कल्याणकारी मानक भी पूरे नहीं हुए हैं और इस सबंध में बहुत कुछ करना बाकी है। केंद्र ने 2019 तक देशभर में चार लाख आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा था, जिनमें से वर्ष 2016 के अंत तक महाराष्ट्र में 289 केंद्रों का निर्माण होना था। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई है कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह जानने की कोशिश की है कि इस योजना के तहत महाराष्ट्र में एक भी आंगनवाड़ी केंद्र क्यों नहीं बनाया गया? इसके पीछे क्या कारण हैं? सरकार इस काम को किस समय-सीमा के भीतर पूरा करने की योजना बना रही है, जबकि महाराष्ट्र में अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई है? मैं यह बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हर साल 18,000 से अधिक बच्चों की कुपोषण के कारण मृत्यु हो जाती है, विशेष रूप से पालघर जिले में। माननीय जनजातीय मंत्री जी भी उसी जिले से आते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि इनकी जो चिंता है, वह वाजिब चिंता है। मुझे पता है कि भारत की सरकार राज्यों को धनराशि देती है और राज्य सरकार का यह दायित्व बनता है और लक्ष्य भी निर्धारित किया जाता है। मैं समझता हूं कि आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए भारत की सरकार ने उपबंध किया है, हम मनरेगा में जो इतनी धनराशि दे रहे हैं उसका मूल कारण है कि जहां-जहां आंगनबाड़ी भवन नहीं है, उसका निर्माण करवाया जाए और मनरेगा के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपने जो चिंता जाहिर की है, राज्य सरकार के स्तर से यह काम होना है। जिन क्षेत्रों की चिंता की गई है, उन क्षेत्रों को मैंने निश्चित रूप से संज्ञान में लिया है। अगर वहां आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन सका है तो वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया जाएगा ताकि उन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए और आपकी जो चिंता है उससे मुक्ति मिल जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैंने बहुत पहले ही समय मांगा था, जहां तक शौचालय का सवाल है, हमने वर्ष 1990 में पूरे उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाने का इंतजाम किया था, जब मैं मुख्यमंत्री था। अभी परिवारों में जो बंटवारा हुआ और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव है, उन्होंने भी शौचालय बनवाए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा गंदगी इसी से है। अगर गंदगी है और माननीय प्रधान मंत्री जी तथा आप सफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले शौचालय बनवा दीजिए, तब अस्सी परसेंट गंदगी खत्म हो जाएगी। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में घर-घर में शौचालय बन गए हैं...(व्यवधान) अगर किसी परिवार में चार भाई होते हैं, वहां बंटवारा होता है, तो वहां भी शौचालय बनना शुरू हो गए हैं...(व्यवधान) आप तो शोर मचाने के अलावा कुछ करते नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : श्री मुलायम सिंह जी, यह प्रश्न थोड़े ही है।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं कह रहा हूं कि अगर शौचालय नहीं बने हैं, यदि चार भाई हैं और अलग-अलग हुए हैं तो उनका भी इंतजाम हो रहा है, ...(व्यवधान) हम उनके लिए भी शौचालय बनवा रहे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे मित्र ने कुपोषण से संबंधित जो सवाल उठाया, वह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सवाल था। मुझे लगता है कि इतनी चिंता आरंभ से अब तक की गई होती, तो शायद भारत कुपोषण से मुक्त हो जाता। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। कुपोषण से मुक्ति दिलाने के प्रयत्न पूर्व की भी सभी सरकारों द्वारा समय-समय पर हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम किसी समस्या के बारे में विचार करते हैं तो विचार एकांगी होता है। विचार समग्रता में होना चाहिए और समुच्च विचार होना चाहिए।

आज अगर कुपोषण की स्थिति है, तो उसके लिए हमें सबसे ज्यादा माता के स्वास्थ्य के बारे में विचार करना चाहिए। अगर माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो शायद कुपोषित बच्चा पैदा नहीं होगा। माता का विचार हम नहीं करते हैं, बच्चा जन्म ले लेता है, वह कुपोषित रहता है, फिर हम उसके बारे में अनेक-अनेक प्रकार की बातें करते रहते हैं और योजनायें चलाते रहते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले दिनों जो बजट प्रावधान हुआ, उसमें प्रधानमंत्री जी ने गर्भवती बहनों के लिए 6 हजार रूपए देने की घोषणा की। यह जब अमल में आएगा, तो निश्चित रूप से इसका असर आने वाले कल में दिखेगा। ...(व्यवधान) अधीर रंजन जी, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डोंट डिस्टर्ब। आप बोलिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : कुपोषण का मामला जब अस्वच्छता से जुड़ा है, तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में अस्वच्छता के बहुत सारे कारण हैं और उन कारणों को खोजकर दूर किया जाना जरूरी है। इस मामले में भारत सरकार ने आरम्भ से ही अनेक योजनाओं का सृजन किया है। स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण विभाग हो, महिला बाल विकास हो, कृषि विभाग हो, ग्रामीण विकास की पंचायत विभाग की अनेक योजनाएं हों, स्वास्थ्य और पेयजल विभाग की योजनाएं हों, सबको समग्रता से लागू करना और ठीक से उसका इंप्लीमेंट हो जाए, तो निश्चित रूप से इसमें मुक्ति मिलेगी।

मुलायम सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने शौचालय की बात कही, तो जब वे मुख्यमंत्री रहे होंगे, तब भी उन्होंने शौचालय बनाए होंगे और अब भी शौचालय बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर, 2014 को जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी की घोषणा की, तब से लेकर अब तक, लगभग 1 लाख 70 हजार गांव ओडीएफ हो चुके हैं। उनमें उत्तर प्रदेश में भी शौचालय बने हैं। उत्तर प्रदेश में भी शौचालय बनाने के लिए केन्द्र सरकार 12 हजार रूपए प्रति हितग्राही सहायता दे रही है और लगातार हम उत्तर प्रदेश और पूरे देश भर के संपर्क में हैं। यह सच है कि जब स्वच्छता का लक्ष्य पूरा होगा, तब स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा होगा और जब स्वस्थ भारत का लक्ष्य पूरा होगा, तब श्रेष्ठ भारत का सपना पूरा होगा।

माननीय अध्यक्ष : यह होता है उत्तर ।

(प्रश्न संख्या 122 और 126)

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत विस्तार से मेरे सवाल का जवाब दिया है। देश में, खासकर महाराष्ट्र में जो नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है, उसमें बहुत सारी आनियमितताएं हुई हैं। मंत्री जी को मैं खासकर पुणे-बेंगलुरू नेशनल हाईवे का उदाहरण देता हूं। बेहतर सुविधा भी इसमें मिलती है और घटिया सुविधा भी इसी रोड पर मिलती है। आप अगर बेलगांव से कोल्हापुर तक आएंगे तो आपको बेहतर सुविधा मिलती है, वहां गांव के किसानों के लिए सर्विस रोड है, वहां टोल में ज्यादा रूकने की आवश्यकता नहीं होती है, लाइनें नहीं लगती हैं। टोल का रेट भी वहां बहुत कम है, 210 रूपए हेवी व्हिकल के लिए और 50 रूपए लाइट हेवी व्हिकल के लिए लगते हैं। महाराष्ट्र में जब आते हैं तो महाराष्ट्र में किन्हीं का हो, सतारा का हो या

कराड का हो, यह जो टोल है, कोल्हापुर से सतारा और सतारा से पुणे, इन दोनों का निर्माण अलग-अलग कंपनियों ने किया है। यहां टोल भी ज्यादा है, 240 रूपए हेवी व्हिकल के लिए और 70 रूपए लाइट हेवी व्हिकल के लिए लगते है। टोल ज्यादा है, सर्विस रोड नहीं है, वहां बार-बार एक्सीडेंट होते हैं। आज तक कोल्हापुर से सतारा तक तकरीबन 100 लोगों की जानें जा चुकी हैं। वहां ओवर ब्रिजेज नहीं हैं। टोल में आधा-आधा घंटा लाइन में रूकना पड़ता है, बार-बार गुंडागर्दी होती है। बेलगांव से कोल्हापुर तक तो कोई किसी को छेड़ता नहीं है। महाराष्ट्र में जहां भी टोल देने के लिए लोग आते हैं, वहां दादागीरी होती है, गुंडागर्दी होती है, छुट्टा पैसा वापस नहीं मिलता है। यह सब होने के बावजूद सड़क की स्थिति बेहद घटिया है। लोग टोल टैक्स देना चाहते हैं ताकि उनका समय और पैसे बचें। लेकिन उनका समय नहीं बचता और पैसे भी नहीं बचते। लोगों को टोल में गुंडागर्दी सहनी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अगर पूरा देश कैशलैस हो रहा है तो टोल टैक्स कैशलैस क्यों नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि अगर टोल टैक्स कैशलेस होगा तो पूरे पैसे एकाउंट में जाएंगे और टोल टैक्स वाले लोगों को जुमला करने का कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए वे कैशलेस नहीं करते।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सब टोल कब कैशलेस होंगे और वहां कानून हाथ में लेकर सड़क से जाने वाले लोगों पर जो गुंडागर्दी होती है, क्या उस बारे में सरकार अलग कानून बनाने जा रही है?

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसमें तथ्यांश है। बेलगांव से कोल्हापुर तक रोड अच्छी है और वहां तकलीफ नहीं है। लेकिन पुणे से कोल्हापुर तक में पुणे से सतारा एक पार्ट है और सतारा से कोल्हापुर एक पार्ट है। सतारा से कोल्हापुर पार्ट महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन के पास है और पुणे से सतारा प्राइवेट को दिया गया है। उसमें काम शुरू है। उसमें 54 ऊपरी पुल बनाने हैं। 32 पुल पूरे हो गए हैं और कुछ में काम अधूरा पड़ा हुआ है। उसमें लैंड एक्वीज़िशन की प्रॉब्लम भी है। वे जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि वहां कुछ पोलिटिकल

प्रॉब्लम्स भी हैं। वहां के बहुत से पोलिटिकल लीडर यही चाहते हैं कि टोल का काम हम करें और कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले सब कॉन्ट्रैक्टर को हमारे कहने पर ही काम मिले।...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आप नाम बताइए कि वे कौन हैं।...(व्यवधान) आप डर क्यों रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : मैं किसी का नाम लेने से नहीं डरता क्योंकि हमारे यहां पूरा ट्रांसपेरैंट सिस्टम है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य उसी क्षेत्र के हैं, इसलिए उन्हें पता है। ...(व्यवधान) आपने जो सुझाव दिया है, हमने फास्ट ट्रैक टोल का काम शुरू किया है। मैंने चार दिन पहले निर्णय किया है कि इसके बाद पूरे 980 टोल पर सौ प्रतिशत लाइन फास्ट ट्रैक की होंगी। जैसे मोबाइल फोन चार्ज होता है, उसी तरह कार, ट्रक आदि को स्टिकर लगाना पड़ेगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम 18 प्रतिशत तक आगे बढ़े हैं और हम इसे सौ प्रतिशत तक करना चाहते हैं। इसे करने से पॉल्युशन कम होगा, तकलीफ कम होगी और आप जो कह रहे हैं, वह इरेग्युलेरिटीज़ भी कम होंगी। इसमें दूसरी अड़चन है कि पुणे-कोल्हापुर रोड पर ट्रैफिक ज्यादा है और कोल्हापुर-बेलगांव पर कम है। इसलिए पुणे से सतारा सिक्स लेन करना और खम्भात के घाट में नए टनल का निर्माण करना, दूसरी ओर सतारा से कोल्हापुर तक सिक्स लेन करना है। दोनों का डीपीआर बन गया है और पुणे-सतारा का काम शुरू हो गया है और सतारा-कोल्हापुर का सिक्स लेन का काम शुरू होगा। आपने जितनी बातें बताई हैं, मैंने उन्हें नोट कर लिया है। मेरी जानकारी में भी कुछ है। मुझे लगता है कि एक साल के अंदर रोड ठीक हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा और तकलीफें दूर होंगी। आपने फास्ट ट्रैक के बारे में जो कहा, इसके बाद हम सारे टोल फास्ट ट्रैक पर लेकर जाएंगे। मैं आपकी मार्फत सदन और सभी माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हमने स्टिकर दिए हैं ताकि आप उन्हें दिल्ली की एक गाड़ी और कौन्सटीटूएंसी की एक गाड़ी में लगा सकें।...(व्यवधान) अगर आपको कोई अड़चन होगी तो उसे सुधारेंगे क्योंकि अभी दो ही लेन हैं।...(व्यवधान) पूरी लेन बन जाएगी तो आपको तकलीफ नहीं होगी। हम बाकी लोगों को भी स्टिकर देंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे।

श्री राजू शेट्टी : अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। टोल वसूलने में जो गुंडागर्दी होती है और कानून हाथ में लेकर आम लोगों को पीटा जाता है, उस बारे में अलग कानून बनाकर उनके ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, राज्यों में कानून-व्यवस्था उन्हीं के अधीन होती है। फिर भी आपने जो सुझाव दिया है, उसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने हाईवेज़ प्रोटेक्शन फोर्स तैयार की है और उसे अधिकार भी दिए गए हैं। मैं आपकी सूचना का आधार लेकर राज्य सरकार को फिर से सूचना दूंगा कि वह इस तरह की गुंडागर्दी करने वालों पर कठोर कानूनी कार्यवाही करे।...(व्यवधान)

श्री राजू शेट्टी : वे जो आइडेंटिटी दिखाते हैं, उसे पढ़ भी नहीं सकते।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ ऐसे नहीं करते।

... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : उस पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश देंगे।...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कश्यप : अध्यक्ष महोदया, केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों नेशनल हाइवे का जाल बिछाया है जहां सड़कें नहीं थीं वहां पर काफी नेशनल हाईवे दिए हैं। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। मैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हिमाचल प्रदेश एक छोटा पहाड़ी प्रांत है जहां पांच नेशनल हाईवे भी नहीं थे लेकिन आज 61 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं और उसके लिए 60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह खेद का विषय है कि हिमाचल प्रदेश डीपीआर तैयार करने को राजी नहीं है। अब एक वर्ष पूरा होने जा रहा है और कोई डीपीआर नहीं बन रहा है, ऐसा राजनीति के आधार पर किया जा रहा है। आम जनता के लिए केन्द्र सरकार काम करना चाहती है उसमें अड़चनें डाल रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश डीपीआर नहीं बना रही है; केन्द्र सरकार नेशनल हाईवे के माध्यम से डीपीआर पैसों का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के लिए करेगी?

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, राज्य सरकार जो डीपीआर बनाती है उसका पैसा भी केन्द्र सरकार ही देता है। माननीय सदस्य ने कहा कि डीपीआर बनाने का आदेश देने के बाद भी राज्य सरकार समाधान करके डीपीआर निश्चित समय सीमा में पूरा नहीं कर रही है तो हम इसका रिव्यू करेंगे, जहां काम नहीं हुआ है और जहां देरी हो रही है। हम अपनी तरफ से काम करने का आदेश भी देंगे और डीपीआर तुरंत बनाकर टेंडर निकाल कर काम शुरू करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रत्युषा जी, आपका तारांकित प्रश्न क्रमांक संख्या 126 पर लगा है। आप अगर इसी में पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं, तो प्रश्न संख्या 126 को प्रश्न 122 में शामिल कर देते हैं। अब आप प्रश्न पूछें।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह : महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि आखिर इस तथ्य के बावजूद कि आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2016 में ही उड़ीसा के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 55 के विकास कार्य की मंजूरी दे दी थी, जो मूल रूप से लगभग पाँच साल पहले शुरू होना था, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कौन-से कदम उठाए हैं ताकि इस संबंध में आगे और विलंब न हो।

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी : महोदया, दो बार इसे बीओटी में निकाला, लेकिन टेंडर के लिए कोई नहीं आया और दूसरी बात हमारे सिस्टम में भी अड़चन है जिसके लिए हम कैबिनेट को प्रस्ताव देने का विचार कर रहे हैं कि अगर एक बार बीओटी में नहीं होता है तो ईपीसी में करने के लिए हमें तीन कमेटियों की परमिशन लेनी पड़ती है और इसमें एक-दो साल का समय लग जाता है। आपका जो प्रश्न है उसके बारे में मैंने आज ही आर्डर दिया है कि ईपीसी मोड में इसको तुरंत टेंडर करके काम शुरू करें।

[अनुवाद]

श्री के.एच. मुनियप्पा : पहले भी एक योजना थी जिसमें सड़क के किनारे *नीम* जैसे फलदार वृक्ष लगाने की बात की गई थी, जो न केवल छांव प्रदान करेंगे, बल्कि फलदार वृक्षों के कारण पक्षियों की संख्या में वृद्धि होगी, जो कीटों को नियंत्रित करने में मदद करेगी। इससे पक्षियों की संख्या में भी वृद्धि होगी। हालांकि, इस कार्यक्रम को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। ठेकेदार इन पौधों की अच्छी देखभाल नहीं कर रहे हैं।

दूसरी बात, हालांकि चार और छह लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर 80 किमी प्रति घंटे की गति सीमा निर्धारित की गई है फिर भी वाहन 120 किमी प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। यदि अंडरपास या फ्लाईओवर न हों, तो कई दुर्घटनाएँ देखने को मिल सकती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे विशेष रूप से उन सड़कों पर, जो गांवों से जुड़ी हैं, फ्लाईओवर या अंडरपास का निर्माण अनिवार्य रूप से करें, जैसे कि बेंगलुरु-चित्तूर-चेन्नई एनएच-75। मुझे लगता है कि ये सड़कें बहुत अच्छी हैं, लेकिन पर्याप्त संख्या में फ्लाईओवर नहीं हैं। तेज गति से वाहन चलने से ऐसी दुर्घटनाएँ होती हैं और यह समस्या पूरे देश में देखने को मिलती है। मैं मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे सड़क के किनारे फलदार वृक्ष आवश्यक रूप से लगवाने का कार्य करें तथा गांवों से होकर गुजरने वाले हाईवे पर फ्लाईओवर का निर्माण करवाएँ।

[हिन्दी]

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, यह बात सच है कि पुराने समय में कांट्रैक्टर, जो रोड कंस्ट्रक्शन करता था, उसी के ऊपर जिम्मेदारी होती थी कि वह प्लांटेशन का काम करे। लेकिन हमारी सरकार ने इस पालिसी को रद्द किया और यह तय किया कि अब कांट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करेगा। इसमें कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की वन परसेंट प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्यूटीफिकेशन के लिए रखी हुई है। इसके लिए एनएचएमएम ने एक अलग डिवीजन खोला है और एक रिटायर कन्जर्वेटर

ऑफ फॉरेस्ट को इसका काम दिया है। अभी तक उन्हें दो हजार किलोमीटर में प्लांटेशन का काम दिया गया है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके मार्फत देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स, चेरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओज, कारपोरेट्स और बेरोजगार लड़कों को आह्वान करता हूं कि वे नर्सरी तैयार करें और पांच फीट तक झाड़, पेड़ तैयार करें, तो हम उन्हें प्लांटेशन का मौका देंगे। इसके ऊपर दो वर्कशाप भी हुए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दो फीट से ऊपर के पेड़ के लिए इंडियन कम्पनी में, मैनुफैक्चरिंग में ट्रक मोल्डेड ट्रांसप्लांट करने की मशीनरी डेवलप की है। उसका हमने वर्कशाप भी किया है, जिसमें हमने बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाया था। अभी तक हमें इसमें सफलता नहीं मिली है कि ट्री काटने के बजाय हम ट्रांसप्लांटेशन करें। दुर्भाग्यवश इसमें जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। अभी हमने आगरा से कहा है कि वह पहली बार ट्रांसप्लांटेशन की कोशिश करे। इसके लिए एक स्किल्ड कांट्रैक्टर की क्लास तैयार करके हम उसे काम देने की कोशिश करेंगे। नया प्लांटेशन दो हजार किलोमीटर तक दिया गया है। स्टेट में बड़े पैमाने पर जो एनजीओज हैं, उन्हें ही यह काम मिलेगा। यह कांट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

दूसरा, यह बात भी सच है कि पुराने समय में बीओटी में जो प्रोजेक्ट दिये गये थे, उस समय प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायेबिलिटी के लिए अंडर पास और फ्लाईओवर कैंसिल कर दिये गये। जैसे दिल्ली से गुड़गांव वाला रोड या दिल्ली-जयपुर वाला रोड था, वहां अनेक जगह पर फ्लाईओवर और अंडर पास नहीं थे। आपका कहना सही है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट होते थे। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि देश में पांच लाख एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें डेढ़ लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसका कारण रोड इंजीनियरिंग भी है। मेरे पास जितने भी एमपीज आते हैं, मुझे नही लगता कि आप में से ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जिसे मैंने काम करने से मना किया हो, वह चाहे किसी भी पार्टी का हो। मुझसे जितने भी अंडर पास या फ्लाईओवर मांगे गये, वे सब हमने दिये हैं। जब बीओटी में नहीं होते, तो हमने बजट में प्रोविजन करके दिया है। अब दिल्ली-गुड़गांव में छह सौ करोड़ रुपये के काम के

लिए एनएचएआई से अलग से पैसे देकर हम हीरो होंडा से चार फ्लाईओवर बना रहे हैं। ये गलतियां थीं, जिन्हें हमने स्वीकार किया है। ये गलतियां किसकी थीं, उस चर्चा में मुझे नहीं जाना है, लेकिन लोगों की जान बचाना और एक्सीडेंट को कम करना हमारी हाइएस्ट प्रॉयरिटी है। मैं रोड सेफ्टी के हिसाब से आप सबको आह्वान करता हूं कि जहां भी आपको नेशनल हाईवे में ऐसा लगता है कि यहां अंडर पास नहीं है, फ्वाई ओवर नहीं हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप मेरे पास आइये। हम उसके ऊपर तुरंत निर्णय करेंगे। अगर बीओटी होगा, तो सरकार के बजट से पैसा खर्चा करेंगे। हम नये काम करेंगे, लेकिन इस काम को प्रायरिटी देंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने देश में अपनी एक पहचान बनायी है। यह जो कहते हैं, वह कर देते हैं। पिछले दिनों यह मेरी कांस्टीटूएंसी पंजाब गये थे। पंजाब, हरियाणा के किसानों को बड़ी मुश्किल है, क्योंकि वहां लैंड होल्डिंग कम हो रही है। पंजाब के किसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात तक जमीन खरीदते हैं। वे हारवेस्टर कम्बाइन वहां लेकर जाते हैं, जिसके लिए उन्हें टोल प्लाजा पर टैक्स देना पड़ता था। इससे उनका बहुत नुकसान होता था। जब हमने इस बारे में कहा तो मंत्री जी ने मुझे दिल्ली बुलाकर मंत्रालय के सब आफिसर्स को डायरेक्शन दी कि इस बारे में एक सर्कुलर जाना चाहिए कि टोल प्लाजा पर इसे ट्रैक्टर, ट्रॉली की तरह एग्जम्प्ट कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सर्कुलर अभी तक टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचा है। आप उस सर्कुलर को जल्दी पहुंचा दें, ताकि आपकी जो पहचान बनी हुई है, वह बनी रहे और देश खुशी से आपसे मांग करता रहे। ...(व्यवधान) यह देश के किसानों, पंजाब के किसानों की बहुत बड़ी मुश्किल है।

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूं कि हारवेस्टर का सर्कुलर आठ दिन के अंदर पहुंच जायेगा। वैसे फाइल पर साइन हुए हैं, लेकिन यह फाइनेंशियल मैटर है और कोई भी एग्जम्पशन देने से पहले सरकार, यदि मैं भी आर्डर निकालता हूं, तो उसके लिए फाइनेंशियल एप्रूवल

लेना पड़ता है। इस वजह से थोड़ा समय लगा है, लेकिन यह होगा और आठ दिन के अंदर वह आर्डर आपके पास पहुंच जायेगा।

श्री मोहम्मद सलीम : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपनी पहचान बनाई है और इसी सदन में उन्होंने जब डालखोला फ्लाई ओवर, एन.एच. 31 और 34 के बारे में कहा था, साल भर होने जा रहा है, हाथी निकल गया है, हम पूंछ निकाल देंगे, ऐसा कहा गया था। अभी तक हाथी तो निकल गया है लेकिन पूंछ नहीं निकली है। अभी तक काम शुरु नहीं हुआ है। रोजाना लोग मर रहे हैं। लोक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। कल भी एन.एच. 31 पर दो लोगों की मौत हुई है। हमारे क्षेत्र में जो जिला है, 100 कि.मी. का फोरलेनिंग का मामला है और काम नहीं हो रहा है। मरम्मत का काम भी ठीक से नहीं हो रहा है। ईंटों से गड्ढ़ा भरा जा रहा है। हाई वे पर बड़ी परेशानी हो रही है। आपसे कई बार कहा गया है। यहां पर जो मूल प्रश्न था, वह सुरक्षा और वृक्षारोपण से संबंधी था। कंसैशनल और कांट्रैक्टर की जो लायबिलिटी है, उसके बारे में आपने यहां कहा कि वे करते हैं और फिर सरकार कह रही है कि हमने इसकी जिम्मेदारी अलग कर दी है। सवाल यह है कि आप कांट्रैक्टर के ऊपर किस तरह से लायबिलिटी इम्पोज करेंगे? जो डिले हो रही है, उसे भी आप किस तरह से दूर करेंगे?

श्री नितिन गडकरी : अगर आप नाराज न हों तो मैं आपको सच्चाई बता हूं। जितनी बातें आपने बताई हैं, उनके लिए न मैं जिम्मेदार हूं और न हमारी सरकार जिम्मेदार है। यह पुराना काम है, इसका ऑर्डर पुरानी सरकार के समय में दिया गया था। अब दूसरी सच्चाई सुनिए। जिसको ऑर्डर दिया गया था, उसे पूरी लैंड का एक्वीजीशन नहीं हुआ था। उसके लिए एनक्रोचमेंट नहीं हटाया गया था। कांट्रैक्टर मशीन लेकर 6-6, 8-8- महीने रोड पर खड़े रहे, काम नहीं कर पाए जिसके कारण बैंक के एकाउंट एन.पी.ए. बन गये। बैंक्स ने कांट्रैक्टर पर कार्रवाई की। कांट्रैक्टर भाग गया। इतने सारे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े थे, हमने अब सॉल्व किये हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो कांट्रैक्टर है, वह आज भी काम करने की स्थिति में नहीं है। इसके बैंकर की मैंने चार बार मीटिंग बुलाई। उसके बैंक में जो मेन बैंकर था, वह मान गया लेकिन उसके साथ जो बाकी बैंकर्स हैं, वे नहीं मान रहे हैं। उस बैंक के

चेयरमैन जो राणा कपूर हैं, उनको बुलाकर मैंने कहा कि आप उनके बैंकों में आ जाइए। आप जो कह रहे थे, इसमें समस्या है। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसमें सच्चाई है। आखिर हमने विभाग से भी मेनटेनेंस के लिए पैसे दिए हैं। मुझे आज ही जानकारी मिली है कि इस काम के लिए ई.पी.सी. ने अभी टेंडर किया है। हम लोग हार गये। आखिर नहीं हो पाया। फिर हमने उसको रिजेक्ट किया, टर्मिनेट किया। अब हम ई.पी.सी. में काम करेंगे और एक हफ्ते के अंदर हम इसको शुरु करेंगे। अगर नहीं होगा तो आप फिर से सवाल पूछिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उत्तर होता है ऐसा। ठीक है।

अब, प्रश्न संख्या 123

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : मैडम, हमारे यहां काम नहीं हुआ है। वह आपका क्षेत्र भी पड़ता है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मालूम है, अपने क्षेत्र में है। अब हो गया न। उसकी भी वह चिंता कर रहे हैं। वह बता देंगे।

श्री कांति लाल भूरिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कई बार कहा कि वहां काम नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हो जाएगा। आप बैठिए। कांति लाल जी, आप बैठिए।

श्री नितिन गडकरी: आप प्रश्नकाल के बाद मेरे कार्यालय में आइए।

माननीय अध्यक्ष : कांति लाल जी, बैठिए।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)... [1*]

<u>पूर्वाह्न 11.54 बजे</u>

(इस समय श्री कांति लाल भूरिया *आगे आकर सभा पटल के निकट बैठ गए।)*

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 123 – श्री हरि मांझी – उपस्थित नहीं हैं।

अब, माननीय मंत्री जी।

(प्रश्न संख्या 123)

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी दी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति के तहत कितने ब्लॉकों की पेशकश की गई है और कितनी निजी कंपनियों को इस नीति में शामिल किया गया है? राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या आप उन इक्छुक अन्वेषकों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं ताकि हमारे देश में अधिक से अधिक ब्लॉकों का उत्खनन और अन्वेषण जल्दी से जल्दी हो सके?

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : अध्यक्ष महोदया, ...(व्यवधान)

[*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष : ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस में आ कर मिलें।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : मैं उसे मानता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे भी वह मालूम है। हम दोनों का क्षेत्र एक है। दोनों का प्रश्न है, वहां काम हो रहा है।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : उन्होंने बहुत पैसे नेशनल हाइवेज के लिए दिया है। इनकी छोटी-सी समस्या है, उस पर वह जवाब दें।...(व्यवधान) उसका जल्दी से जल्दी समाधान करिए।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कांति लाल भूरिया जी, आप अपनी जगह पर जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। वह करना चाहते हैं तो करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या हर कोई अपने प्रश्न के संबंध में ऐसा करेंगे? मुझे उनकी समस्या मालूम है। क्योंकि हम दोनों के क्षेत्र का रोड करीब एक ही है। मैं सब कुछ जानती हूं। मंत्री जी ने कहा है कि वह प्रश्न काल के बाद मिलें, वह उनको बता देंगे। हर सदस्य अपनी समस्या के लिए ऐसा करेंगे तो नहीं होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वह उनके ऑफिस में जायेंगे और मिलेंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं गारंटी लेती हूं।

... (व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : अध्यक्ष महोदया, मैं पहले भी ऑफिस में गया था।..(व्यवधान) लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है।...(व्यवधान) ट्राइबल एरिया की उपेक्षा हो रही है।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : श्री कांति लाल भूरिया जी, मुझे इस बात का खेद है। मुझे पता है। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। मुझे पता है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : कौन कितना काम करते हैं, यह मुझे भी मालूम है। कृपया आप यहां से जाइए।

... (व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : आप मंत्री जी को निर्देश दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इंदौर-अहमदाबाद रोड की ही बात कर रहे हैं। मैं जानती हूं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : आप यहां आश्वासन दिये थे, अब उसे ठीक कर दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने अमदाबाद-इंदौर रोड पर काम किया है, मैं इसे ठीक तरह से जानती हूं। आप बैठ जाइए।

पूर्वाह्न 11.56 बजे

(इस समय श्री कांति लाल भूरिया अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, पूर्व में जब भारत में खनन का काम होता था तो बिना पारदर्शिता के खनन, एक्सप्लोरेशन, प्रॉसपैक्टिंग और माइनिंग का काम दिया जाता था, जिसमें भ्रष्टाचार के

बहुत आरोप लगते थे और कई प्रकार से फेवरेटिज्म या डिसक्रिमिनेशन की सूचनायें बाहर आती थीं। सीएजी रिपोर्ट के बाद कोयले के खदानों से संबंधित विषय माननीय सुप्रीम कोर्ट तक गया और लगभग लाखों करोड़ रूपए के घपले के कारण 204 एलॉटमेंट ऑफ ब्लॉक्स को कैंसिल किया गया। उसको देखते हुए, 12 जनवरी, 2015 में, हमने एम.एम.डी.आर. ऐक्ट को भी अमेंड किया, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के काम को अलग-अलग किया। जब आप एक्सप्लोरेशन और माइनिंग का काम एक ही व्यक्ति को दे देते हैं तो आपको पता नहीं लग पाता है कि उसके अंदर कितने खान हैं, कितना मिनरल्स वेल्थ है और बहुत सस्ते में माइन्स बिक जाती हैं। अब हम ने जो नयी रचना बनायी है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म में पहले एक्सप्लोरेशन का काम किया जायेगा, ऑक्शन होगा, टेंडर निकलेगा और बिडिंग के माध्यम से एक्सप्लोरर तय किये जायेंगे। एक्सप्लोरेशन के डेटा को हम ट्रांसपरैंटली पब्लिक डोमेन में डालेंगे, पूरी दुनिया उसको देख सकेगी कि एक्सप्लोरेशन का डेटा क्या है? उसके बाद माइनिंग की जो लीज है, उसका ऑक्शन निलामी द्वारा पारदर्शिता से बिना डिसक्रिमिनेशन के लोगों को दिया जायेगा, उसमें से जो पैसा आयेगा, वह पूरा राज्य सरकार के पास, उनके विकास कामों में इस्तेमाल हो सकेगा। इस प्रक्रिया के लिए हमने नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी के तहत एक नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, एन.एम.ई.टी. बनाया है। करीब 60 माइन्स के एक्सप्लोरेशन का काम ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी.एस.आई., मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, एम.ई.सी.एल. अलग-अलग सरकारी कम्पनियों को दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनिज को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे भी एक्सप्लोरेशन के काम में आयें, उसके लिए इम्पैनलटमेंट का एक प्रॉसेस होता है, देश और विदेश की कंपनियों को इम्पैनलमेंट के लिए बुलाया गया है। एक टेकनिकल स्पेसिफिकेशन द्वारा उनको इम्पैनल किया जायेगा। जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इश्यू हुआ, लोगों को रजिस्टर करने के लिए आज लास्ट डे है। अगर उसमें कंपनीज टेक्निकली क्वालिफाइड होंगी तो इम्पैनल होंगी। उसके बाद बिडिंग प्रॉसेस से यह काम प्राइवेट एक्सप्लोरर्स को दिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री विद्युत वरन महतो, आप शॉर्ट क्वैश्चन पूछिए।

श्री विद्युत वरन महतो : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आज भी हम लोगों के क्षेत्र में आयरन और मैगनीज के बड़े खदान हैं। वहां आज भी अवैध खनन जारी है। हम लोगों ने कई बार इस ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहा। जहां-जहां पर खनन क्षेत्र है, वह पूरा आदिवासी इलाका है। सौ सालों से आयरन ओर की ढुलाई हो रही है।...(व्यवधान)

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री पीयूष गोयल : अध्यक्ष महोदया, यह दुर्भाग्य की बात है कि देश में सालों साल तक अवैध खनन भी चलता रहा और उसके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हो पाई। मुझे सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने एक माइनिंग सर्विलेंस सिस्टम लांच किया है, जिससे स्पेस टेक्नोलोजी को यूज करके देश की जितनी भी मेजर मिनरल की माइन्स हैं, उन सभी को स्पेस टेक्नोलोजी से मैप आउट किया है और मोनिटरिंग हो रही है। जब माइन्स की बाउंडरी के बाहर कोई भी एक्टिविटी होती है, तो एक ट्रिगर जेनरेट होता है। ऐसे लगभग 190 ट्रिगर्स जेनरेट हुए थे, राज्य सरकारों द्वारा उन पर कार्रवाई की गई और इल्लीगल माइनिंग के 29 केसिस डिटेक्ट हुए, जिन पर राज्य सरकारें उचित कार्रवाई कर रही हैं। यह एक प्रकार से पहला मूव है, 296 ट्रिगर्स जेनरेट हुए, 190 ट्रिगर्स का वैरीफिकेशन हो गया है, बाकी 106 ट्रिगर्स का वैरीफिकेशन राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ है कि आज सभी माइनर्स को मालूम है कि उनके ऊपर स्पेस टेक्नोलोजी से एक दिव्य नज़र है और इसलिए मुझे लगता है कि अवैध खनन के काम में एमएसएस द्वारा एक बाधा बहुत बड़े रूप से बनेगी।

———————

[2*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 124, 125 और 127 से 140

तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610)

[2*] प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाए।

https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा बधाई

आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 104 उपग्रह सफलतापूर्वक कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 15 फरवरी, 2017 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने श्रीहरिकोटा से 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो कोई भी अन्य देश अब तक हासिल नहीं कर पाया है। ऐसा करके हमारे देश ने एक बार फिर अंतरिक्ष प्रयासों के क्षेत्र में अपनी दक्षता एवं क्षमता का प्रदर्शन किया है। हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इस विशिष्ट उपलब्धि ने देश को गौरवान्वित किया है।

यह सभा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देती है और उनके भावी प्रयासों में भी सफलता की कामना करती है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री अधीर रंजन चौधरी, एन.के. प्रेमचन्द्रन, डॉ. ए. सम्पत, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. पी. वेणुगोपाल, श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, प्रो. सौगत राय, सर्वश्री मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री गौरव गोगोई, कुमारी सुमिता देव, सर्वश्री पी. करुणाकरण और जय प्रकाश नारायण यादव से विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, परन्तु इनके लिए आज की सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से भी उठाया जा सकता है, इसलिए मैंने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

अपराह्न 12.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली) : मैं आर्थिक सर्वेक्षण*[3*] 2016-17 के शुद्धिपत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6237/16/17]

योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर), दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[3*] आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, 31.01.2017 को सभा पटल पर रखा गया था।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 6518/16/17]

(3) वर्ष 2017-2018 के लिए योजना मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6519/16/17]

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : मैं वर्ष 2017-2018 के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6520/16/17]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) वर्ष 2017-2018 के लिए कोयला मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6521/16/17]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 24 की उप-धारा (2) के अंतर्गत खान और खनिज (विकास और विनियमन) कठिनाइयों का निराकरण आदेश, 2017 जो 4 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 27(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 6522/16/17]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(i) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।।

(ii) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली का वर्ष 2015-2016 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक- महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 6523/16/17]

[हिन्दी]

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) : महोदया, मैं वर्ष 2017-2018 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 6524/16/17]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं -

(1) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के वारिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2015- 2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 6525/16/17]

(3) (एक) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के वारिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आफ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 6526/16/17]

अपराह्न 12.04 बजे

राष्ट्रपति से संदेश

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त दिनांक 8 फरवरी, 2017 के निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

> "मेरे द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 2017 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिए गए अभिभाषण के लिए मुझे लोक सभा के सदस्यों से धन्यवाद प्राप्त हुए हैं।"

अपराह्न 12.04 ½ बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

30वां प्रतिवेदन

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

अपराह्न 12.05 बजे

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

34वां प्रतिवेदन

श्री प्रसून बनर्जी (हावड़ा) : महोदया, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति 2017-18) का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———————

अपराह्न 12.06 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

24वें से 31वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खंडूड़ी एवीएसएम (सेवानिवृत्त) (गढ़वाल) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) सामान्य रक्षा बजट, रक्षा मंत्रालय के सिविल व्यय (मांग सं. 20) और रक्षा पेंशन (मांग सं. 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 24वाँ प्रतिवेदन।

(2) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं. 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 20वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 25वाँ प्रतिवेदन।

(3) रक्षा मंत्रालय (प्रकीर्ण) (मांग सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 21वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 26वाँ प्रतिवेदन।

(4) रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति और रक्षा आयोजना पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 23) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 27वाँ प्रतिवेदन।

(5) सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक बल, सैन्य आभियांत्रिकी सेवाएं कैंटीन स्टोर्स विभाग, रक्षा संपदा महानिदेशालय, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम, भूतपूर्व सैनिक कल्याण, रक्षा पेंशन, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य स्कीम (अनुदान सं. 19 और 22) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 28वाँ प्रतिवेदन।

(6) थल सेना, नौ सेना और वायु सेना (मांग सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वाँ प्रतिवेदन।

(7) आयुध निमारणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राट्रीय कैडेट कोर (अनुदान सं. 20) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 30 वाँ प्रतिवेदन।

(8) रक्षा सेवाएं, रक्षा आयोजना और प्रापण नीति पर पूंजीगत परिव्यय (अनुदान सं. 21) पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 31वां प्रतिवेदन।

———————

माननीय अध्यक्ष : श्री राजनाथ सिंह जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उत्तर प्रदेश की घटना के संबंध में स्टेटमेंट है, इसलिए आप कृपया बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

7 और 8 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुई घटनाओं के बारे में

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 7 व 8 मार्च, 2017 को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के संबंध में स्टेटमेंट देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदया, प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 मार्च, 2017 को प्रातः 9 बजकर 41 मिनट पर मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर में रेलवे स्टेशन जबड़ी के नजदीक गाड़ी नम्बर 59320, भोपाल-उज्जैन पैसेंजर के जनरल कोच में एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट में 10 रेलयात्रियों को चोटें आईं और रेलवे की सम्पत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वर्तमान में सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है।

उक्त घटना के संबंध में थाना जी.आर.पी. उज्जैन में ट्रेन गार्ड की रिपोर्ट पर अपराध संख्या 47/17 धारा 3, 4 एक्सप्लोसिव सब्सटैंसेज़ ऐक्ट के अंतर्गत अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया।

घटना की सूचना प्राप्त होते ही मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक तथा अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस आधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे तथा प्रकरण के इंवेस्टीगेशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की। घटनास्थल के प्रारंभिक निरीक्षण से संकेत मिला कि अपराधियों द्वारा विस्फोट के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विस्फोटक पदार्थों से तैयार किए गए आई.ई.डी. का उपयोग किया गया था।

घटना के अन्वेषण के संबंध में मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया गया। तदोपरान्त प्राप्त आसूचना के आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चैकिंग के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों

से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का आग्रिम अन्वेषण केन्द्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा आभियुक्तों के अन्य सम्पर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई।

लखनऊ में काकोरी थानान्तर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्लाह उर्फ अली के किराये पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। ए.टी.एस. उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्लाह को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए। परन्तु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इंकार किया गया व ए.टी.एस. टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात ए.टी.एस. टीम द्वारा सैफुल्लाह के कमरे में प्रवेश किया गया तथा आमने-सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से आठ पिस्टल, 630 जिंदा तारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें डेढ़ लाख रुपए नकद, लगभग 45 ग्राम सोना, तीन मोबाइल फोन, चार सिमकार्ड, दो वॉकी-टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, बरामद की गई।

घटना के संबंध में थाना- ए.टी.एस., लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017, धारा 307/121ए/122/123/124ए, आई.पी.सी. और 3/4/25/27 आर्म्स ऐक्ट 16/18/23 यू.ए.पी.ए. के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ए.टी.एस. कानपुर द्वारा जाजमउ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध अपराध संख्या 3 / 2017 धारा 121 / 121अ, / 123 / 124अ आई. पी. सी तथा यू.ए.पी.ए. की धारा 16 / 18 / 23 / 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है।

उपरोक्त के आतिरिक्त ए.टी.एस. उत्तर प्रदेश द्वारा दो अन्य आभियुक्तों जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियाँ इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं।

उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। इस पूरे प्रकरण की जाँच एन.आई.ए. से कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस मारे गए सैफुल्लाह के पिता से मिली और उसने सैफुल्लाह की लाश उन्हें हैंड-ओवर करने की बात कही, तो सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज ने यह स्टेटमेन्ट दिया कि "जो देश का न हुआ, वो मेरा कैसे हो सकता है। उसने कोई सही काम तो किया नहीं है। मुझे उसका मरा हुआ मुँह तक नहीं देखना है।" उन्होंने आगे कहा है कि "मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया।" सैफुल्लाह के पिता मोहम्मद सरताज कहते हैं कि हर किसी के लिए देश पहले है। सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता के प्रति सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा। हम लोगों के लिए यह गौरव का विाय है।

अध्यक्ष महोदया, मैंने यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक समझा, इसलिए मैंने इसका उल्लेख किया है।

माननीय अध्यक्ष : अब, सभा 'शून्यकाल' की चर्चा आरंभ करेगी।

अपराह्न 12.12 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) अमरीका में भारतीयों पर हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए नस्लीय हमलों के बारे में

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम स्पीकर, मैंने एडजर्नमेन्ट मोशन के तहत जो नोटिस दिया था, उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। [अनुवाद] हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों, जैसे श्रीनिवास कुचिभोटला, दीप राय, हरनीश पटेल, दविंदर सिंह और अन्य पर नस्लीय घृणा से प्रेरित हमलों और निर्मम हत्याओं की वारदातें अत्यंत चिंताजनक है। भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों को वहां मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है और देश छोड़ने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि सरकार और प्रधान मंत्री जी इन हमलों की निंदा करने या इस मुद्दे को उच्चतम राजनयिक स्तर पर उठाने में पूरी तरह से मौन रहे हैं।

एनडीए सरकार के पास इन घृणा जनित अपराधों से निपटने के लिए कोई रणनीति नहीं है और यह अपने भारतीय नागरिकों और प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही है।

[हिन्दी]

मैडम स्पीकर, ये घटनाएँ एक या दो दिनों की नहीं हैं। जब से ... [4*] आए हैं, तब से ये शुरू हुआ है और मैं इसके बारे में किसी इंडीविज्युल का नाम लेकर उसे कंडेम नहीं करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप किसी का नाम मत लो।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो नए यूएस प्रेजीडेंट आए हैं, उनके आने के बाद इस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही हैं। कि वहां पर बड़ी ट्रांस्पैरेंसी है, डेमोक्रेसी है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ओबामा जैसे नेता वहां पर चुनकर दो बार उस देश के प्रेसीडेंट बनते हैं तो ऐसी छवि एक तरफ है, दूसरी तरफ यह छवि है कि पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। ऐसे ताकतवर देश में और जिस देश में डेमोक्रेसी के लिए 400 साल पहले वहां पर जो डेमोक्रेसी कायम हो गई है, ऐसी जगह पर अगर हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं और हमारे कम से कम 1,70,000 स्टूडेंट्स वहां पर स्टडी कर रहे हैं और लाखों लोग इंप्लॉयीज हैं, उनके माँ-बाप को यह फिक्र है कि वहां पर हमारे बच्चों का क्या होगा, जो नौकरी के लिए गए हैं। एक तरफ यहां हम लोगों को खुशी है कि हमारे लोग टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेश्नल एक्सपर्ट्स हैं। इसीलिए अमेरिका उनका इस्तेमाल भी कर रहा है।

अमेरिका की जो जीडीपी ग्रोथ है या जो उनको आज फिनान्शियली ताकत मिल रही है, वह हमारी वजह से और हमारे नौजवानों की वजह से और यहां हम जो करोड़ो रुपये खर्च करके उन्हें डॉक्टर्स तैयार करते हैं, इन्जीनियर्स तैयार करते हैं, आई.टी. के स्टूडेंट्स तैयार करके और हमारे यहां पर यह हो गया है कि हमारे यहां पर एक प्रोफेश्नल क्रिएट करने की फैक्ट्री बनी हुई है, लेकिन वहां पर जाकर उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी सेवा करने के बावजूद भी अगर ऐसी हालत वहां पर है और उनको मारा जा रहा है, दिन-दहाड़े उनको गोलियां मारी जा रही हैं और हर एक को देख-देख कर चुन-चुन कर कहा जा रहा है कि यहां से निकल जाओ, आपकी जरूरत नहीं है, आप हमारे

[4*] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंप्लॉयमेंट ले रहे हैं। ऐसी चीजें जो वहां पर हो रही हैं, इसके लिए मोदी सरकार चुप्पी क्यों साधे है? मैं यह पूछना चाहता हूं। हर चीज को ट्वीट करते हैं।

हर चीज पर बात करते हैं, इस पर क्यों चुप्पी साधे हैं, इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? जब वे आते हैं तो आप गले लगा लेते हैं, जब कभी चाइना का आता है तो झूले में बैठते हैं, ये जो चीजें आप करते हैं। इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है? आप क्यों खामोश बैठे हैं? एक तरफ प्राइम मिनिस्टर खामोश बैठे हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तब वे स्टेटमेंट देते हैं। वह हमेशा स्टेटमेंट देने के काबिल हैं, लेकिन यहां पर ऐसा लोकतंत्र का घेराव हो गया है, लोकतंत्र में सिर्फ एक आदमी बोलता है, दूसरे किसी को बोलने नहीं देते हैं। इसीलिए मुश्किल यह हो गया कि कोई चीज वहां पर होती है तो उसके ऊपर तत्पर से बोल नहीं सकते। मैं यह चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दें क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर की आज सेहत ठीक नहीं है, हम यह चाहते थे कि वे आकर बात करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद आएं और यह कहें, क्योंकि वह खुद ही इतने देश घूमें हैं, सबको मालूम है। इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर आकर एक स्टेटमेंट दें और ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, इनको बन्द करने का क्या तरीका है और किस ढंग से इसको बंद करना चाहते हैं, यह सदन के सामने रखें।

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान, श्री पी.के.बिजू, डॉ. ए.सम्पत, श्रीमती पी.के.श्रीमथि टीचर, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजीव सातव, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय हमलों में लिप्त लोगों द्वारा भारतीयों की हत्या के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

महोदया, जैसा कि आप जानती हैं, 22 फरवरी को एक भारतीय टेक्नोक्रेट श्रीनिवास कुचिभोटला को एक अमेरिकी नागरिक ने कान्सास में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी और उनके मित्र आलोक मदसानी गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना के दौरान वह अमेरिकी नागरिक आप्रवासियों के खिलाफ नारे लगा रहा था।

दक्षिण कैरोलिना में एक और भारतीय, हरनीश पटेल, जो एक स्टोर के मालिक थे, की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद, 4 मार्च को दीप राय नामक एक अन्य भारतीय को वॉशिंगटन के केंट में गोली मारी गई।

यह सब अमेरिका में, विशेष रूप से नई सरकार के सत्ता में आने के बाद से, भारतीयों के खिलाफ लगातार चल रहे घृणा अभियान का परिणाम है।

जैसा कि श्री खड़गे ने भी उल्लेख किया, भारतीय तकनीकी पेशेवर अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बल्कि कहें तो वे उन्हें बौद्धिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। फिर भी, भारतीयों के खिलाफ घृणा अभियान चलाया जा रहा है। हम बहुत चिंतित हैं; हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है और भारत सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है। उन्होंने इस मुद्दे पर पत्र भी लिखा है। लेकिन जैसा कि श्री खड़गे ने सही कहा, केंद्र सरकार, विशेषकर हमारे मुखर, वाचाल और शब्द-प्रवीण प्रधान मंत्री जी इस मुद्दे पर एक अजीब चुप्पी साधे हुए हैं। मैं समझ सकता हूं कि विदेश मंत्री अस्वस्थ हैं, लेकिन प्रधान मंत्री स्वयं अपने विदेश मंत्री हैं; वह हर जगह जाते हैं।

हमें देखने को मिला कि विदेश सचिव अमेरिका गए और वहां उन्होंने एच-1बी वीजा पर प्रतिबंधों को लेकर चर्चा की। लेकिन जैसे ही वह लौटे, अमेरिका ने एच-1बी वीजा पर नया प्रतिबंध लगा दिया। तो, महोदया, यह सब क्या हो रहा है? क्या भारत सरकार भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं करेगी जो अमेरिका में काम कर रहे हैं? क्या हम उचित कदम नहीं उठाएंगे ताकि यह घृणा अभियान रोका जा सके? हम अपनी पूरी ताकत से अमेरिका के कुछ गुमराह वर्गों द्वारा चलाए जा रहे इस घृणा अभियान की निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि जैसे भारत में विरोध हो रहा है, वैसे ही अमेरिका में भी इसका विरोध होगा और हमारी सरकार पूरी दृढ़ता के साथ अमेरिका में इन दंगाइयों के सामने खड़ी होगी, ताकि भविष्य में भारतीयों पर कोई और हमला न हो और एच-1बी वीजा पर काम कर रहे भारतीयों के अधिकारों का हनन न हो। धन्यवाद, महोदया।

माननीय अध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू किंजरापु को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदया, हमें इस मुद्दे पर अपने दल का दृष्टिकोण व्यक्त करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। भारतीय टेक्निकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर श्रीनिवास की मृत्यु ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ साल पहले मेलबर्न में भी एक महिला टेक्निकल इंजीनियर की हत्या हुई थी, जो दक्षिण भारत से ही थीं। उस घटना ने भी पूरे देश को आहत किया था। अंततः, कम से कम ऑस्ट्रेलिया से हमें यह जानने को मिला कि उन्हें क्यों पीछा कर मारा गया था। उस घटना से कुछ महीने पहले, हमारे देश के एक सुदूर जिले, कोरापुट के एक छात्र की भी अमेरिका के एक विश्वविद्यालय परिसर में हत्या कर दी गई थी और आज तक हमें यह पता नहीं चल पाया है कि उसे क्यों मारा गया।

इस प्रकार, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये अपराध निश्चित रूप से नस्लीय घृणा के परिणाम हैं। प्रायः, अमेरिका सरकार और वहां की प्रांतीय सरकारें यह कहकर इन घटनाओं को हल्का करने का प्रयास करती हैं कि ये प्रेम प्रसंग या अन्य अनैतिक घटनाओं से जुड़ी हुई हैं; इसीलिए ये

घटनाएं घटीं। लेकिन श्रीनिवास की घटना सबके सामने हुई थी, इसलिए हम जान पाए कि यह क्यों हुआ। हाल ही में, मेरा मानना है कि परसों एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है कि अब प्रवासी भारतीय दूल्हों की मांग कम हो गई है। चूंकि शादी का सीजन चल रहा है, इसका प्रभाव हमारे परिवारों पर भी पड़ेगा।

पूर्वाग्रह रंगभेद से संबंधित है। रंगभेद को लेकर जो पूर्वाग्रह है, वह 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी में व्याप्त था और यहां तक कि 20वीं सदी में भी रहा। लेकिन अब हम 21वीं सदी में हैं, फिर भी किसी व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग के आधार पर नफरत कैसे की जा सकती है? लेकिन यह वहां हो रहा है। इसलिए, मेरा सरकार से विशिष्ट प्रश्न यह है कि... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : यह सदन की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। कृपया कोई उकसावे का कार्य न करें।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : महताब *जी*, कृपया आप अपनी बात जारी रखें।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदया, हाल ही में, एक सप्ताह पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक एडवायजरी जारी किया है, जिसमें कुछ देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, की यात्रा नहीं करने की सलाह दी गई है और कहा गया है कि दक्षिण एशियाई देशों में चरमपंथियों की गतिविधियों के कारण सतर्क रहना चाहिए। क्या सरकार भी अमेरिका में रहनेवाले प्रवासी भारतीयों और वहाँ की यात्रा करनेवाले भारतीय नागरिकों के लिए कोई एडवायजरी जारी करने जा रही है जिसमें यह बताया जाए कि वहाँ के किन राज्यों या क्षेत्रों में जाने से उन्हें बचना चाहिए? क्योंकि जैसा कि हम मीडिया में पढ़ते हैं, कतिपय क्षेत्रों को स्वयं प्रवासी भारतीय सुरक्षित अथवा असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित करते हैं। क्या सरकार, एक संस्था के रूप में, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर परामर्श जारी करने पर विचार कर रही है ताकि हमारे प्रवासी भारतीयों को लाभ मिल सके, जो बेहतर रोजगार और आजीविका की तलाश में वहाँ जा रहे हैं?

जहाँ तक रंगभेद का सवाल है, जिसकी मैंने अभी-अभी चर्चा की थी, महोदया, हममें से कई लोग उस देश में गए हैं। जैसे ही हम वहां पहुँचते हैं, जो लोग हमें जानते हैं वे कहते हैं कि यह मत सोचिए कि आप अमेरिका में नहीं रहते हैं, क्योंकि यह देश सभी को अपनाने वाला देश रहा है और यहाँ कोई नहीं जानता कि अमेरिका का मूल निवासी कौन है और कौन नहीं। लेकिन, यहाँ ऐसे अपराध हो रहे हैं, जैसा कि सौगत राय जी ने भी उल्लेख किया, और इसका मुख्य कारण यह है कि उस समाज का एक वर्ग यह महसूस कर रहा है कि उनकी आय और उनका रोजगार छीना जा रहा है। [हिन्दी] इसलिए हमारी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से दृढ़ स्वर से यह कहना पड़ेगा। इस मामले में एक चिट्ठी तो स्टेट के गवर्नर की तरफ से प्रधान मंत्री जी के पास आयी हुई है, जैसा बताया गया है। [अनुवाद] परंतु उस दिन उस शोकाकुल परिवार द्वारा, विशेषकर उनकी पत्नी द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था, उसका उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। श्रीनिवास जी की विधवा ने पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ? हमारी क्या गलती थी? क्या हमने इस देश की सेवा नहीं की है? क्या हमें इस देश में रहने का अधिकार नहीं है? इन प्रश्नों का उत्तर वहाँ की सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। मेरा मानना है कि भारत सरकार को अमेरिका की सरकार पर दबाव डालकर उस शोकाकुल विधवा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिलवाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. मनोज राजोरिया, श्री देवजी एम. पटेल, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, श्री चंद्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री रामचरण बोहरा को श्री भर्तृहरि महताब द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, आप संक्षेप में अपनी बात रखिए। पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : महोदया, बेसिकली यह जो इंसीडेंट हुआ है, यह तेलंगाना के बच्चे के ऊपर हुआ है। आप इसके ऊपर बोलने के लिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा।

[अनुवाद]

पिछले पंद्रह दिनों में अमेरिका में भारतीयों पर कई घृणा जनित आपराधिक हमले हुए हैं। प्रत्येक हमले में 'अपने देश वापस जाओ' जैसे नारे लगाए गए। इन घटनाओं के कारण वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। अब समय आ गया है कि भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर इस समस्या का ठोस समाधान निकालना चाहिए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि हाल ही में कंसास में हुए घृणा जनित अपराध में तेलंगाना के एनआरआई श्रीनिवास कुचिभोटला की जान चली गई और आलोक रेड्डी गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना अमेरिका में नस्लवाद की बढ़ती प्रवृति को दर्शाती है। अमेरिका सरकार ने केवल इस घटना की निंदा की है, लेकिन हमारे लोगों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं, क्योंकि इसके बाद भी हमले हो रहे हैं।

घृणा जनित या घृणा प्रेरित अपराध की एक और घटना वाशिंगटन स्टेट के केंट सिटी में हुई, जहाँ 39 वर्षीय सिख दीप राय अपनी कार की मरम्मत कर रहे थे तभी एक नकाबपोश व्यक्ति ने उन पर गोली चला दी।

मेरी राय में, यह पूर्वग्रह और ज़ेनोफोबिया का ऐसा उदाहरण है जिसे हमने हाल के वर्षों में नहीं देखा था। इन हमलों ने पीड़ितों और उनके परिवारों के जीवन को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित किया है और उन्हें अपूरणीय क्षति पहुँची है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि विदेशों में रह रहे हमारे भारतीय नागरिकों को हरसंभव सहायता प्रदान की जाए।

[हिन्दी]

मैडम, जिस तरीके से खड़गे जी ने बताया था कि आज जो वहां नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उनका स्लोगन था कि 'अमेरिका केवल अमेरिकियों के लिए है' इस स्लोगन के कारण वहां पर बहुत ही हलचल हो गयी।

मैडम, आपको पता है कि तेलुगु भाषी भारतीय वहां पर लाखों की संख्या में बसे हैं। [अनुवाद] जब वे वहाँ जाकर नौकरी करते हैं तो वे स्वयं भी तथा यहाँ भारत में उनके परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं। जब श्रीनिवास का पार्थिव शरीर हैदराबाद लाया गया, तो पूरे तेलंगाना ने शोक मनाया। हमारे आईटी मंत्री ने स्वयं वहाँ जाकर श्रद्धांजलि दी। हमारे मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव जी ने भी जाकर परिवार को सांत्वना दी। लेकिन, मैं सच में कहना चाहूँगा [हिन्दी] कि जो भी वार्तालाप अमेरिका के साथ हो रहा है, वह क्या हो रहा है और ये अटैक्स क्यों कंटीन्यू हो रहे हैं? [अनुवाद] स्वयं विदेश मंत्री जी को इस विषय पर सभा में एक बयान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ रह रहे भारतीय बच्चे सुरक्षित हों। यहाँ भारत में रह रहे उनके माता-पिता अत्यंत चिंतित हैं। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि विदेश मंत्री इस विषय पर एक उचित और ठोस वक्तव्य सदन में दें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ये किसी एक स्टेट के बच्चे नहीं हैं, पूरे भारत के बच्चे हैं।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : मैडम स्पीकर, माननीय खड़गे जी ने जो इश्यू उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है और सारे देश को इस पर चिंता करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि अमेरिका के ये जो नए प्रेसिडेंट हैं, इनके समय में ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी वहां बहुत इंसीडेंट्स हुए हैं। आपने ठीक कहा कि देश के सब प्रदेशों के लोग इसका शिकार हुए हैं। पर, दुर्भाग्य से पंजाब के लोग और खास तौर से, सिख कम्युनिटी के लोगों पर ये रेसिएल अटैक्स पिछले समय में बहुत ज्यादा हुए हैं। मैं खड़गे जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह अभी शुरू हुआ है। यह बहुत पहले से शुरू है।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं इनसे जरूर निवेदन करूंगा कि इसे स्पष्ट करें कि देश के हुक्मरान क्या चाहते हैं। जब डॉ. मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, फ्रांस में हमारी पगड़ी का मामला आया। इसके लिए हम उनसे मिलने गए, तो

उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पगड़ी को लेकर बार-बार अटैक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पगड़ी के कारण हम फ्रांस के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते। अगर ऐसी सोच होगी, तो मामले कैसे हल होंगे?

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : यह क्या है?... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : मैं समझता हूं कि इसे गम्भीरता से लेना चाहिए और डिप्लोमेटिक लेवल पर लेना चाहिए।...(व्यवधान) इसके लिए कोई विधि बनानी चाहिए, जिससे अगली बार इस किस्म का कोई अटैक न हो।...(व्यवधान) आज गलत पहचान के कारण बहुत अटैक हो रहे हैं।

भारत सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं, क्या विधि बनाई है? पहचान का मामला कैसे लोगों में लाया जाए, ताकि आगे से ऐसे इंसीडेंट्स न हों?

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा द्वारा उठाए गए विषय के साथ अपने को संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : महोदया, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे सभा के पक्ष और विपक्ष दोनों की एक ही राय होगी।

माननीय अध्यक्ष : हां, मुझे पता है।

श्री मोहम्मद सलीम : यह भारतीयों पर हो रहे हमलों से संबंधित सवाल है। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और हत्याएँ हुई हैं। सबसे पहले, हम इन मौतों पर शोक व्यक्त करते हैं, इन पर दुःख प्रकट करते हैं और हम इन हमलों की कड़ी निंदा भी करते हैं।

[हिन्दी]

मैडम, सवाल यह है कि जब हमारे भारतीय ऑरिजीन के लोग विदेशों में जाकर वहां सम्मानित होते हैं, अच्छे काम करते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। जब उनके ऊपर आक्रमण होता है या इस तरह के हादसे होते हैं तो हम सबको परेशानी होती है। जो वहां हैं और जो वहां जाने वाले हैं, उनके दिमाग पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है।

मैं समझता हूं कि चुनावों के वक्त हेट कैम्पेन का जो एक शोसा खड़ा किया जाता है, उससे यह हेट क्राइम बढ़ती है। मैं अमेरिका के अंदर की राजनीति के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन पिछले चुनाव के वक्त वहां पर जिस तरह के इश्यूज आए और जिस तरह से उन्हें एड्रेस किया गया, उसका प्रभाव रह जाता है। बेशक, राट्रपति चुने जाने के बाद जब वहां की संसद में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि पीछे का सब छोड़ दो और हम अब नए से शुरूआत करते हैं। यह अच्छी बात है। लेकिन, हम राजनीतिज्ञों को यह समझना चाहिए कि हम इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आखिर पिपुल या पॉपुलेशन के अंदर जब घृणा का वातावरण हम पैदा करते हैं, तो उसका असर यह होता है कि हम जो शोसा खड़ा करते हैं, वह शोला बन जाता है और उस शोले को आज हम देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के सर्वोच्च प्रयास से इस मामले को लेकर उस देश के साथ वार्ता करनी चाहिए।

जब हमारे विदेश मंत्रालय के सचिव वहां पर गए, बातचीत किया और उनके बहुत से इश्यूज़ पेंडिंग थे। हमारी जो इंटेलिजेंस और कूटनीति है, क्या हम इसमें फेल हो रहे हैं, वहां क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है? वहां से लौटने के बाद वे ट्रेवल एडवाइजरी इश्यू किए और हमें दूसरे तमाम देशों के साथ, चूंकि यह प्रोफाइलिंग का मामला है, यह सिर्फ इंडियन या अमेरिकन के प्रोफाइलिंग का मामला नहीं है। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी जैसा धरोहर है जिससे हम गौरवान्वित है। यदि हमारे देश को उस क्यू में खड़ा कर दे, यह हमारे लिए बहुत शोभा नहीं देता है। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और आप भी खुद इस सदन को विश्वास में लेकर

अमेरिकन कांग्रेस को इसके बारे में बताएं। दूसरी तरफ हमारे प्रधान मंत्री वहां के राष्ट्रपति को यह वार्ता दे, मैं यह नहीं कहता हूं कि वहां पर हमें फ्रीज किया जाता है तो हमें भी फ्रीज करना चाहिए, वे ट्रेवल एडवाइजरी दिए हैं तो हमें भी यह देना चाहिए। हमारी अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, लेकिन अमेरिका के साथ हमारी जो ग्रोइंग इंगेजमेंट है और उनके साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सब डील कर रहे हैं, क्या हम यह वार्ता नहीं दे सकते हैं कि यदि आप ट्रेवल एडवाइजरी कर रहे हैं तो उनके डिफेंस के समान बेचने के लिए क्या कंपनी रेप्रेजेंटेटिव हो या ऑफिसियल्स हो, उनके ऊपर हम टेम्परेरी भी कुछ विधि निोध लगा दे, तब वह टेबल पर वार्ता के लिए आए। इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक के साथ दूसरा यानि आँख से आँख मिलाकर बात कर सकते हैं, हम सर ऊँचा करके बात कर सकते हैं, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त है, हम भी इसके बारे में चिंतित हैं क्योंकि तमिलनाडु के बहुत सारे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं। हमारे देश के जो लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है और उस देश का विकास किया है।

माननीय सदस्य श्री खड़गे ने ठीक ही कहा है कि हम अपने लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारी धनराशि निवेश कर रहे हैं, जो यहाँ से प्रतिभा प्राप्त करने के बाद उस देश की सेवा करते हैं। लेकिन अभी अनिश्चितता बनी हुई है और हाल ही में हुई नस्लीय घटना के कारण अब समय आ गया है कि भारत को वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। वे शायद यह नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि हमें इस मुद्दे पर कुछ खुफिया रिपोर्टें मिली हैं, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे हमले फिर से न हों।

ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ही घटनाएँ हो रही हैं। अन्य देशों में भी इस प्रकार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। इसलिए, सरकार को आगे आकर हमारे लोगों, हमारे बुद्धिजीवियों की सुरक्षा की दिशा में काम करना चाहिए जो वहाँ उस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। अतः, महोदया, अब समय आ गया है कि सरकार हस्तक्षेप करे और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से अनुरोध करे कि वहाँ काम कर रहे हमारे लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद, महोदया।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के माननीय सदस्य श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा जी, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी जी, मोहम्मद सलीम जी एवं डॉ. एम. तंबिदुरै जी के द्वारा यू.एस.ए. में इंडियन सिटीजन के साथ जो कुछ भी हुआ है या जो कीलिंग्स हुई हैं, जैसे गंभीर मुद्दें को इन्होंने उठाया है। मैं सरकार की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने भी इसे बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है और जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जितनी भी निंदा की जाए, वह कम है।

अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार की तरफ से यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा सारे कदम उठाए जाएंगे। यू.एस.ए. में जो हमारे इंडियन सिटीज़न्स हैं, वे पूरी तरह से अपने को सिक्योर्ड फील करें; इसके लिए सरकारी सारी कदम उठाएगी। चूंकि हमारी विदेश मंत्री इस समय अस्वस्थ है, हम लोगों ने यह फैसला किया है कि अगले सप्ताह इस संबंध में एक डिटैल स्टेटमेंट सरकार के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

———————

[अनुवाद]

डॉ. पी.वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्र में श्रीलंकाई नौसेना द्वारा मछुआरों की हत्या के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, जिसे आपने अस्वीकार कर दिया है।

महोदया, मैं आपके और इस सम्माननीय सभा के ध्यान में एक अत्यंत गंभीर और चिंताजनक घटना लाना चाहता हूँ, जो 6 मार्च को घटित हुई। इस घटना में एक निर्दोष तमिल युवा मछुआरा, श्री ब्रिस्टो, जो रामेश्वरम का निवासी था, की श्रीलंकाई नौसेना द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई और चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

महोदया, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में श्रीलंकाई नौसेना ने उस मछुआरों के समूह पर गोलीबारी कर दी, जो धनुषकोडी और कच्चातिवु के बीच पारंपरिक जल क्षेत्र में मछली पकड़ रहे थे। इस घटना के बाद तमिलनाडु का मछुआरा समुदाय एक गहरे सदमे में है। हम भारत सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह इस पर तुरंत और सख्ती से कार्रवाई करेगी।

महोदया, श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि हाल के समय में गोलीबारी की घटनाएँ बढ़ी हैं। यह उल्लेखनीय है कि चेन्नई और दिल्ली में दोनों देशों के अधिकारियों और मछुआरों के बीच हुई शांति वार्ता के दौरान, एक सर्वसम्मति बनी थी कि मछुआरों पर गोली नहीं चलाई जाएगी, लेकिन इस सहमति का पालन नहीं किया जा रहा है और हाल ही में कई उल्लंघन हुए हैं।

इसके अलावा, केवल पिछले एक सप्ताह में लगभग 50 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मछली पकड़ने के जाल और अन्य सभी उपकरण श्रीलंकाई नौसेना द्वारा जब्त कर लिया गया है, जिससे उनकी आजीविका पूरी तरह से खतरे में पड़ गई है।

हम इस मुद्दे को बार-बार संसद में और संसद से बाहर उठाते रहे हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस संदर्भ में, तमिलनाडु की हमारी श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने माननीय

प्रधान मंत्री जी को कई पत्र लिखे थे जिसमें उन्होंने इस जटिल मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षित किया था और कच्चातिवु को वापस लेने की बात की थी ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान मिल सके, लेकिन यह अब तक संभव नहीं हो सका है।

अब, तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एडप्पाडी के. पलानीस्वामी ने भी 3 मार्च, 2017 को माननीय प्रधानमंत्री को इस संबंध में पत्र लिखा है और 7 मार्च, 2017 को उन्होंने इस विशेष घटना के बारे में एक और पत्र भेजा है।

इसलिए, महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से दृढ़तापूर्वक आग्रह करता हूं कि कृपया इस विषय पर तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए ताकि मछुआरों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री पी.के. बीजू, श्री जोस के. मणि, डॉ. शशि थरूर, डॉ. ए. संपत, श्रीमती पी.के. श्रीमति टीचर , श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रवीन्द्र कुमार जेना और एडवोकेट जोएस जॉर्ज को डॉ. पी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री वी. एलुमलाई (अरानी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, 6 मार्च, 2017 को क्रूर, अमानवीय, भयावह, अवैध और बर्बर तरीके से एक युवा भारतीय मछुआरे की हत्या की गई। यह श्रीलंकाई नौसेना द्वारा किया गया एक अमानवीय और क्रूर कृत्य है। मैं श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिलनाडु के दक्षिणी तटों पर भारतीय मछुआरों के खिलाफ किए गए लगातार अत्याचारों की कड़ी निंदा करता हूँ।

श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जो बंगाल की खाड़ी के अपने पारंपरिक जल क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं। केवल पिछले एक सप्ताह में 50 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया और उनके मछली पकड़ने के जाल और नावों को जब्त कर लिया गया।

2014 और 2016 में, हमारी प्रिय नेता *पुरात्ची थलाइवी अम्मा* ने माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजे थे, जिनमें तमिलनाडु के मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और श्रीलंका से कच्चातिवु

को वापस लेने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक भारतीय सरकार ने इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस मुद्दे में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और श्रीलंकाई नौसेना के 'पाल्क खाड़ी ' में किए गए इन अस्वीकार्य आक्रामक कृत्यों को रोकने के लिए सभी संभव उपायों और शक्तियों का उपयोग करने की अपील करता हूँ, और कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के लिए गंभीर प्रयास करने की भी मांग करता हूँ ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सके।

धन्यवाद।

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम) : महोदया, पिछले दो वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने के अलावा, मैं यह बताना चाहता हूँ कि पिछले दस दिनों में भारतीय मछुआरों को पाकिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस समय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कई मछुआरे ब्रिटिश द्वारा डिएगो गार्सिया में गिरफ्तार किए गए हैं।

मैं भारत के सभी मछुआरा समुदायों की हालत को रेखांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोग मछली पकड़ने के मौसम में भी किसी तरह से अपना गुजारा कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास के जल स्रोतों में मछलियों की संख्या घट रही है और वे गहरे समुद्र में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसके कारण उन्हें न सिर्फ श्रीलंका द्वारा, बल्कि पाकिस्तान और अब ब्रिटिश द्वारा डिएगो गार्सिया में गिरफ्तार किया जा रहा है।

महोदया, जैसा कि मैंने पहले भी इस सभा में सुझाव दिया था, मछली पकड़ने की बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण और सरकार की ओर से एक विश्वसनीय सहायता पैकेज की तत्काल आवश्यकता है। समान रूप से, युवा मछुआरों को विशेष कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराये जाने की जरूरत है ताकि वे मछली पकड़ने के अलावा वैकल्पिक रोजगार योजनाओं को अपना सकें।

मछुआरों को इन अवसरों की आवश्यकता इसलिए है ताकि वे ट्रॉलर से मछली पकड़ने के कार्य (ट्रालिंग) पर प्रतिबंध के दौरान अपनी रोजी-रोटी कमा सकें।

अध्यक्ष महोदया, चाहे हमारे देश की अर्थव्यवस्था दस प्रतिशत की दर से बढ़े या नहीं, हमें इसे हमारी जनसंख्या के निचले दस प्रतिशत तक पहुँचाने पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें हमारे मछुआरे भी शामिल हैं। सरकार को हमारे मछुआरों पर तत्काल ध्यान देने और उनकी मदद करने की जरूरत है।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट जोएस जॉर्ज, श्री पी.के. बिजू, डॉ. ए. संपत और श्री शंकर प्रसाद दत्ता को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बांदा और चित्रकूट जनपद में कैंसर के हजारों मरीज हैं। मेरे क्षेत्र के अस्पतालों में कैंसर इलाज की सुविधा न होने के कारण मरीजों को बहुत दूर इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ जाना पड़ता है जिसकी दूरी 200 किलोमीटर से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरा संसदीय क्षेत्र गरीब लोगों का है। ऐसे लोगों के इलाज में घरों के बर्तन तक बिक जा रहे हैं। चित्रकुट धाम मंडल का कमिश्नरी मुख्यालय बांदा है जो कि सेंटर प्लेस है जिसमें चार जिले बांदा, चित्रकुट, महोबा और हमीरपुर आते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ सतना, पन्ना, छत्तरपुर जिले भी है जहां कैंसर के इलाज की सुविधा नहीं है।

अतः मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बांदा स्थित मेडिकल कॉलेज में या चित्रकूट धाम कर्बी में स्थित जिला अस्पताल में एक कैंसर की यूनिट हो जिसमें थैरेपी की सुविधा सहित यथाशीघ्र स्थापित करने की कृपा करें। बुंदेलखंडवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग कि एम्स की स्थापना शीघ्र की जाए और बांदा क्षेत्र में स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री भैरों प्रसाद मिश्र द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

क्या श्री हरिनारायण राजभर उपस्थित हैं? वे उपस्थित नहीं हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया ।

… (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) : महोदया, मैंने भी एक नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : आपको भी अनुमति दी जाएगी। सूची में आपका नाम भी है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया (राजकोट) : माननीय अध्यक्ष महोदया, राजकोट मोर्बी बाईपास में नौलख रेलवे एलसीसी सिंगल फाटक आया हुआ है। उसको चौड़ा करने के लिए बहुत जरूरत है। सिंगल फाटक होने के कारण वहां रोजाना कलांको तक फाटक जाम हो जाता है। जनता और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। इस मामले में संबंधित रेलवे अधिकारियों को ध्यान में लाया गया है। मैं इस मामले को व्यक्तिगत रूप से तथा इसे प्राथमिकता के आधार पर इसको निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश देने के लिए आपका आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल,श्री चन्द्र प्रकाश जोशी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, को श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हरिनरायन राजभर (घोसी) : माननीय अध्यक्ष महोदया जी, आपने लोक सभा क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरा लोक सभा क्षेत्र घोसी पूर्वांचल का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ लोक सभा क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा नदी गुजरती है। यह नदी मेरे लोक सभा क्षेत्र के दो विकास खंड दोहरी घाट और मधुबन से होकर गुजरती है। बाढ़ और बारिश के समय में जब घाघरा नदी अपने ऊफान पर होती है तो यह आसपास के तटवर्ती इलाकों में कहर बरपा देती है। बाढ़ और बारिश के समय में आस-पास के लोगों के माथे पर बारिश के मौसम में भी पसीना आ जाता है। हर साल घाघरा नदी में बाढ़ आती है और हजारों एकड कृषि योग्य भूमि जलमग्न हो जाती है और लाखों रुपये के फसल तबाह हो जाते हैं। बाढ़ के समय में तटवर्ती इलाके जैसे धनौली रामपुर, नईबाजार, चिउटीडांड, बहादुरपरु, सरयां, जमीरा, चैराडीह, बीवीपुर, कोरौली, बेलौली, पाउस, चनाबारी, महुआवारी, रसूलपुर, सुरजपुर, जैसे दर्जनों गांव जलमग्न हो जाते हैं और प्रशासन सिर्फ बचाव कार्य के नाम पर दिखावा करता है और करोड़ों रुपये का बंदरबांट किया जाता है। घाघरा के प्रचंड स्वरूप और कटान के कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के ऐतिहासिक धरोहरों के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा है। घाघरा के कटान के कारण दोहरीघाट कस्बे के ऐतिहासिक धरोहर जैसे मुक्तिधाम, दुर्गा मंदिर, शाही मस्जिद, हनुमान मंदिर, डीह बाबा मंदिर और लोक निर्माण विभाग का डाक बंगला सहित बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल के अस्तित्व पर खतरा मंडराता रहता है।

अतः मेरी आपके माध्यम से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र घोसी को घाघरा के कटान से जल्द से जल्द निजात दिलाया जाए और ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री चन्द्र प्रकाश जोशी को श्री हरिनरायन राजभर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया (टोंक -सवाई माधोपुर) : महोदया, राजस्थान में तीन टाइगर रिजर्व सरिस्का, रणथम्बौर और मुंकदरा टाइगर क्षेत्र में कुल 108 गांवों को विस्थापित किया जाना है अब तक केवल 8 गांव स्थापित हुए हैं। 3 टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में सौ गांव के लगभग चौदह हजार परिवारों को विस्थापित किया जाना शेष है। जिसके लिए लगभग 1424 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र रणथम्भौर में 26 गांवों का विस्थापन किया जाना है, जिसमें से अभी तक केवल पांच गांव ही विस्थापित हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, कल वूमैन डे था और हमारी मुख्य मंत्री सुश्री वसुंधरा जी का जन्मदिन भी था। मुझे कल आपके माध्यम से रणथम्भौर की सौगात मिली है, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जो नया भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसके तहत इन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। पहले किसानों को दस लाख रुपये का मुआवजा मिलता था, वह वर्ष 2008 के कानून के तहत मिलता था। इस दस लाख रुपये में न तो परिवार विस्थापित हो पाता है और न ही वह अपना मकान बना सकता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नया भूमि आधिग्रहण बिल लागू हुआ है, उसमें करीब पचास लाख रुपये एक परिवार को दिये जायें। इसके साथ-साथ वहां सब सुख-सुविधाएं दी जायें, जैसे नयी सड़क बने, बिजली-पानी हो, ताकि वह परिवार विस्थापित होकर अपना जीवन सही ढंग से व्यतीत कर सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री सी.पी. जोशी को श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कृपाल बालाजी तुमाने (रामटेक) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। देश के विभिन्न राज्यों में अनेक माइक्रो फाइनेंस कम्पनियों की स्थापना हुई है। इन कम्पनियों द्वारा विशेषकर ग्रामीण इलाके की महिलाओं को ऋण देने का काम किया जा रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में ऐसे कई किस्से सामने आये हैं। वहां अनपढ़

महिलाओं से, जो खेती का काम करती हैं, उनसे गलत जानकारी लेकर ऋण दिया जा रहा है और जब ऋण की वसूली में कठिनाइयां होती हैं, तो उनके घरों में गुंडे प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर उनके आदमियों और बच्चों को मारने तथा घर में रखे सामान को उठाकर ले जाने की अनेक वारदातें हो रही हैं। मेरे मतदान क्षेत्र में सात महिलाएं अभी तक इस मैटर में आत्महत्या कर चुकी हैं, जिसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। मैंने पिछले बजट सेशन में बजट पर बोलते हुए यह मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल मुम्बई में माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज से पीड़ित महिलाओं का काफी बड़ा मोर्चा रखा गया है।

अध्यक्ष महोदया, सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे 26 परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है, जो शायद कानून के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि माइक्रो फाइनेंस कम्पनीज ने जिन महिलाओं को फेक में ऋण दिया है, उसकी जांच की जाये और उनके बकाया ऋण को माफ किया जाये।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन लाल मीणा - उपस्थित नहीं हैं।

श्री बैजयंत जे पांडा (केन्द्रपाड़ा) : महोदया, मैं हमारे देश में हो रहे आतंकवाद के एक नए और आकस्मिक खतरे के मुद्दे को उठाना चाहता हूँ, जिसका सामना हम पहली बार कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पिछले पच्चीस वर्षों से हम एक पड़ोसी देश से सरकार समर्थित सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमने घरेलू आतंकवाद का भी सामना किया है। लेकिन, जब बात पार देशीय (ट्रांसनेशनल) आतंकवादी संगठनों की होती है, तो हमने अतीत में काफी लचीला रुख दर्शाया है। अल-कायदा जैसे संगठन बहुत कम भारतीयों को अपनी विचारधारा

से जुड़ने के लिए प्रेरित कर पाये हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों, विशेष रूप से विकसित पश्चिमी देशों के बहुत ज्यादा लोग इनसे जुड़े हैं।

लेकिन महोदया, उज्जैन में ट्रेन विस्फोट और लखनऊ में हुए मुठभेड़ की ये दो घटनाएँ अब पहली बार आईएसआईएस द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मामला हैं। यह एक नया घटनाक्रम है क्योंकि पिछले कई वर्षों से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसनेशनल आतंकवादी संगठन आईएसआईएस भारत में कोई बड़ा हमला नहीं कर सका था। महोदया, लेकिन हाल में जो देखने को मिला है वह एक नाटकीय रूप से नया बदलाव है जिसपर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। खबरों के अनुसार, पिछले साल नवंबर तक, सिर्फ तीन-चार महीने पहले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राज्य एजेंसियों ने 68 गिरफ्तारियाँ की हैं। ऐसा लगता है कि आईएसआईएस के साथ संबंध रखने वाले 70 प्रतिशत भारतीय मध्य और उच्च वर्ग से हैं और वे लोग शिक्षित हैं। यह एक नया खतरा है क्योंकि भारतीय युवा इंटरनेट पर इस खतरनाक विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। हमें इसे अलग तरीके से देखना होगा।

हालाँकि हमारे जवानों, हमारी सरकार और हमारे लोगों ने पिछले पच्चीस वर्षों से ऐसे खतरे का सामना किया है और हम कुछ हद तक इससे अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन आतंकवाद ने जिस नाटकीय रूप से रास्ता बदला है वह हमारे लिए कुछ नया है। अगर हम इसे गंभीरता से नहीं लेंगे, इस सभा में इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे और सरकार विशेष रूप से आईएसआईएस के खतरे पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगी, तो महोदया, हमारा देश बहुत बड़े खतरे में पड़ सकता है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शिवकुमार उदासी, श्री निशिकांत दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री बैजयंत जे पांडा द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एंटो एन्टोनी (पथनमथीट्टा) : महोदया, मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों के प्रभाव को लेकर केरल के लोगों की चिंताओं का समाधान करे।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डॉ. कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित प्रारूप अधिसूचना का समय 4 मार्च, 2017 को समाप्त हो गया। यह ज्ञात हुआ है कि कुछ राज्यों ने अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है, जिससे अंतिम अधिसूचना जारी करने में विलंब हो रहा है। इससे उन लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित स्थानों में निवास करते हैं। केरल सरकार ने राज्य में संपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र को इस प्रयोजनार्थ चिह्नित किया है। केरल अपने कुल क्षेत्रफल के लगभग 29 प्रतिशत क्षेत्र को वन क्षेत्र के रूप में संरक्षित कर रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रतिशत मात्र 22 है। राज्य सरकार ने 123 गाँवों की कृषि भूमि, बागान भूमि और आबादी वाली भूमि के लिए अलग-अलग सर्वेक्षण नंबर भी आबंटित किए हैं और इसकी जानकारी केंद्र सरकार को दी गई है।

इन परिस्थितियों में, यह निवेदन है कि कम से कम केरल राज्य के लिए अंतिम अधिसूचना इस बीच जारी की जाए। माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय राज्यवार अंतिम अधिसूचना जारी कर सकता है।

महोदया, केरल राज्य ने भौतिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर ली है और 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने उस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और 10 मार्च, 2014 को मसौदा अधिसूचना जारी करते समय 3,115 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाहर कर दिया था। अब यह ज्ञात हो रहा है कि मंत्रालय संपूर्ण गाँव को एक इकाई मानने का सुझाव दे रहा है, लेकिन यह केरल राज्य के लिए व्यवहारिक नहीं होगा क्योंकि वहाँ जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है।

इन परिस्थितियों में, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएँ कि केरल राज्य द्वारा प्रस्तुत वर्तमान रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए अंतिम अधिसूचना जारी की जाए। धन्यवाद।

…(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपका भी नाम है।

[अनुवाद]

श्री जोस के. मणि (कोट्टायम) : महोदया, मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहूंगा।

10 मार्च 2014 की मसौदा अधिसूचना के अनुसार, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.ए.) के अंतर्गत आने वाले 123 गांवों को छूट दी गई है और इसे केंद्र सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। 4 सितंबर, 2015 को इसका दोबारा नवीनीकरण किया गया और यह 4 मार्च, 2017 को समाप्त हो गया।

भारत सरकार से हमारा अनुरोध है कि अंतिम अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जाए। उन्हें इसे जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। साथ ही इसका प्रभाव हमारी सरकार तथा हमारे किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए। अतः, मेरा अनुरोध है कि अंतिम अधिसूचना जारी की जाए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से छपी, वहाँ की एक छात्रा ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षा दी

थी, आर.टी.आई. के माध्यम से उसने अपने पास होने का प्रमाण दिया, उसने कहा कि मैं पास हुई थी लेकिन हमें किसी कारणवश फेल कर दिया गया और जो उसको फेल किया गया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट मैटर्स हैं।

... (व्यवधान)

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष जी, यह गंभीर विषय है। एक छात्रा की पीड़ा है। कल महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। आप स्वयं एक मातृ शक्ति की प्रतीक है। सिर्फ एक विषय मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। दैनिक अखबार में पूरी प्रमुखता से यह विषय आया है। बहुत सारे लोगों ने इसे पढ़ा होगा। देश भर के लोगों ने इसे पढ़ा होगा। मेरा कहना है कि ऐसी छात्रा और बहुत सारे छात्र, जो किसान परिवार से आते हैं, इलाहाबाद जैसे शहरों में जाकर पढ़ाई करते हैं और जिनके पिता कभी-कभी तो जेवर गिरवी रखकर, कभी खेत बेचकर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, लेकिन ऐसी प्रतिभा को कुंठित किया गया। आर.टी.आई. के माध्यम से जब उस छात्रा ने पता कराया तो वह पास थी।

अपराह्न 1.00 बजे

पुनः उसे परीक्षा में इंटव्यू के लिए बुलाया गया और इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। यह विषय रायबरेली का है। अभी वहां के माननीय सदस्य यहां बैठे थे। सुभाषनी वाजपेयी रायबरेली की रहने वाली है। हर बात का वह संज्ञान लेते हैं, लेकिन वह महोदय इस गंभीर विषय का संज्ञान नहीं लिये, यह भी एक शर्म का विषय है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी इस तरह की गड़बड़ियों में लिप्त लोग हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जिससे भविय में किसी प्रतिभा को कुंठित न होना पड़े। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सी.पी. जोशी को श्री शरद त्रिपाठी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती कोथापल्ली गीता (अराकु) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले, मैं अपने सभी महिला सांसदों और पूरे भारत तथा विश्व की सभी महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। हम सभी इस देश में परिवर्तन के लिए साहसी बनने और इसके लिए संघर्ष करने का काम करेंगे।

आज मैं आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही एक महत्वपूर्ण संस्था, समेकित आदिवासी विकास एजेंसियों (आईटीडीए) के कामकाज पर चर्चा करना चाहती हूँ। मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अराकु है। अराकु में चार आईटीडीए कार्यरत हैं। ये संस्थाएँ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1869 के अंतर्गत गठित की गई थीं और आंध्र प्रदेश सरकार ने इन्हें 1975 में स्थापित किया था। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से इन एजेंसियों के जरिए करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इन एजेंसियों के प्रमुख राज्य सरकार के आईएएस अधिकारी होते हैं। विभिन्न विभागों से आए अधिकारी इन एजेंसियों में काम करते हैं। परंतु, इन अधिकारियों में उस धनराशि के प्रति कोई स्पष्ट जवाबदेही नहीं है जो केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। कुछ समय पश्चात् ये अधिकारी अपने मूल विभागों में लौट जाते हैं। इस शासी निकाय में केवल दो जनप्रतिनिधि होते हैं, और कभी-कभी तो इसकी वर्षभर में भी बैठक नहीं होती। इन निधियों का विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग भी हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा उप-योजना अनुदान दिया जाता है। अनुदान मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दिए जाते हैं। लेकिन इन निधियों के व्यय में जवाबदेही का अभाव है।

मैं केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि इन एजेंसियों के कार्यकलापों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। मैं यह भी सुझाव देती हूँ कि इस जांच टीम में जनप्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए, ताकि आदिवासी कल्याण एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय और कार्यों की निष्पक्ष जांच हो सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री जितेन्द्र चौधरी जी, श्री शंकर प्रसाद दत्ता जी और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी को श्रीमती कोथापल्ली गीता जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. कुलमणि सामल (जगतसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र जगतसिंहपुर, ओडिशा से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ओडिशा स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र पारादीप ने आज पूरे देश का ध्यान एक औद्योगिक केंद्र तथा एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में आकर्षित किया है। पारादीप पत्तन क्षेत्र न केवल पत्तन गतिविधियों का केंद्र बन गया है, बल्कि समयांतरल में वहाँ बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रो-केमिकल उद्योग, इस्पात परियोजनाएँ, तेल रिफाइनरी, पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड और अनेक सहायक औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित हो चुकी हैं। इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए अब यह महसूस किया जा रहा है कि पारादीप पत्तन क्षेत्र में एक लघु विमानपत्तन की स्थापना की जाए, ताकि देश के विभिन्न महानगरों और पारादीप के बीच तीव्र और सुगम आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। अतः, मैं नागर विमानन मंत्री से आग्रह करता हूँ कि पारादीप, ओडिशा में शीघ्रातिशीघ्र एक लघु विमानपत्तन की स्थापना के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी को डॉ. कुलमणि सामल द्वारा उठाए गए विषय के साथ सबंद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदया, अभी दुनिया में रोजगार की प्रोटेक्शन की बात चल रही है कि अपने लोगों को रोजगार कैसे देना है, उसी से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। मैं झारखंड राज्य से चुन कर आया हूं। झारखंड, बिहार, असम, पूरा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दिल्ली और मुंबई, हम सभी

बांग्लादेशी घुसपैठियों से जूझ रहे हैं। इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, इसे रोजगार के आधार पर जोड़ना चाहिए

क्योंकि हमारा इलाका झारखंड पूरे देश के साइबर क्राइम का हब हो गया है, आतंकवाद का हब हो गया है। जब भी कोई आदमी पकड़ाता है तो पता चलता है कि वह बांग्लादेश का घुसपैठिया है। इतना ही नहीं, वे हमारे यहां के रोजगार को छीन रहे हैं। रोजगार के जितने भी साधन हो सकते हैं, वे गार्ड, सफाई-कर्मचारी और नरेगा के मजदूर, बन रहे हैं। फूड-सिक्योरिटी में जो फूड देने का सवाल है, वे उसे छीनने का प्रयास कर रहे हैं।

बांग्लादेश एक अलग देश है। वहां के नागरिक हमारे नागरिक नहीं हो सकते हैं। "आधार" के आधार पर इसी हाउस में माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि पहले "आधार" बन जाये तो हम "आधार" को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में कंवर्ट करेंगे।

दूसरा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटिजनशिप असम में चल रहा है, वह पूरा नहीं हो रहा है। फेंसिंग लग जाये, "आधार" को एनपीआर के साथ जोड़ दिया जाये, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह एनसीआर में कंवर्ट हो जाये।

जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर यह चिन्हित करने का प्रयास किया जाये कि कौन बाहरी, विदेशी और देसी है। एक कमीशन के द्वारा उसको इमीडिएटली साल-दो साल में एक्सपीडाइट करके, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश में और जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, वे हिन्दुस्तान में रहें और उनको रोजगार का साधन मिले।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिंद, जय भारत।

माननीय अध्यक्ष : कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और श्री शिव कुमार उदासि को श्री निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं सभा के समक्ष एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा रखना चाहता हूं, जो किसी राज्य विशेष से नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र से संबंधित है। हमारे देश में संघीय व्यवस्था है; हमारे पास अपना संविधान है जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने, कहीं भी आने-जाने और कोई भी पुस्तक पढ़ने या अन्य मुद्दों को देखने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अत्यंत चौंकाने वाली और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश में एक सार्वजनिक सभा के दौरान एक... [5*] ने सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया है। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : कृपया किसी का नाम न लें।

... (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन : उन्होंने सार्वजनिक रूप से बयान दिया है कि अगर कोई केरल के मुख्यमंत्री की हत्या करने के लिए सामने आता है वे उसे एक करोड़ रुपये देंगे। ... (*व्यवधान*) वे इससे इनकार कैसे कर सकते हैं? यह समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है। यह लगभग सभी वीडियो में रिकॉर्ड हो चुका है। ... (*व्यवधान*)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार) : माननीय अध्यक्ष महोदया, वे ऐसे निराधार आरोप नहीं लगा सकते। ... (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन : हमारा देश तालिबान नहीं है। ... (*व्यवधान*)

श्री अनन्तकुमार : महोदया, वे ...* *का* नाम ले रहे हैं। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनसे कहा कि उन्हें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में किसी का भी नाम सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[5*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

… (*व्यवधान*)

श्री पी. करुणाकरन : श्री अनन्तकुमार जी, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। यह समाचार पत्र में प्रकाशित हो चुका है। आपको पता होगा कि उन्हें... * *से* निष्कासित किया जा चुका है। उन्हें... **से* क्यों निष्कासित किया गया? वह ... * नेता थे। जब मुख्यमंत्री दिल्ली आते हैं, तो ये ...* *ही हैं* जो उनके समारोह में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। जब वह भोपाल जाते हैं तो वहां भी यही समस्या देखने को मिलती है। जब वे बेंगलुरु जाएंगे, तो ...* आते हैं और *बंद* की घोषणा करते हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे चिल्ला-चिल्लाकर केरल के मुख्यमंत्री जी को धमकियां दे रहे हैं। वे एक दिन में मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उनका एक लम्बा राजनीतिक जीवन है। आपातकाल के दौरान वे जेल में थे। उन्हें प्रताड़ित किया गया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या अन्य दलों के मुख्यमंत्रियों पर हमला करना केंद्र सरकार की कोई नीति है … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री पी.के. बिजू, एडवोकेट जोएस जॉर्ज, डॉ. ए. सम्पत, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री पी. करुणाकरण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

… <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह सरकार का काम नहीं है।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

… <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी (ओंगोले) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह विषय आंध्र प्रदेश के प्रकाशम ज़िले में रामयपट्टनम में एक प्रमुख पत्तन स्थापित करने की आवश्यकता से संबंधित है। वर्ष 2013 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर दूसरा केंद्रीय परियोजना स्थल के रूप में दुगाराजपट्टनम को मंजूरी दी थी और इसकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु इसका उल्लेख आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में भी किया गया था।

इसके बाद, भारत सरकार ने दुगाराजपट्टनम में व्यवहार्यता अध्ययन के लिए ए.ई.सी.ओ.एम. के लागत एवं परियोजना प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया तथा जिसने इसे अव्यवहारिक पाया। विशाखापत्तनम पत्तन न्यास जिसकी इस परियोजना में 75 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी है, ने भी इसे अव्यवहार्य घोषित किया है। यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रस्तावित दुगाराजपट्टनम पत्तन के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।

<u>अपराह्न 1.10 बजे</u> (**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

चूंकि दुगाराजपट्टनम पत्तन के बारे में निर्णय लेने में समय लग सकता है, इसलिए जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने वादा किया था, एक प्रमुख पत्तन रामयपट्टनम में स्थापित किया जा सकता है, जो दुगाराजपट्टनम से मात्र 50 किलोमीटर दूर है और इसे पीपीपी यानि सरकारी निजी भागीदारी मोड में विकसित किया जा सकता है। ... (व्यवधान) यह आंध्र प्रदेश में एक प्रमुख पत्तन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है, जो कई उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, जैसे कि प्रकाशम ज़िले के पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना, क्योंकि चीन, सिंगापुर और अन्य देशों ने रामयपट्टनम में उद्योग स्थापित करने में रुचि दिखाई है। ... (व्यवधान) पत्तन के समीप एक सुपर-थर्मल पावर प्लांट स्थापित होने से आधारभूत संरचना के विकास को वास्तविक बढ़ावा मिलेगा। वहाँ पर्याप्त भूमि

उपलब्ध है; जिसके चलते निजी व्यक्तियों से भूमि खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, पोत परिवहन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रामयपट्टनम आयात और निर्यात के लिए उपयुक्त स्थान है। ... (व्यवधान)

अपराह्न 1.11 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन... जारी

(दो) अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गांधीनगर, गुजरात में आयोजित एक समारोह में केरल की महिला पंचायत प्रमुखों को पारंपरिक वेशभूषा 'हिजाब' पहनकर भाग लेने से कथित रूप से मना करने के बारे में

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : महोदय, मैं सभा का ध्यान एक अत्यंत चौंकाने वाली घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो कल गांधी नगर के महात्मा मंदिर में घटी है। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में छह हजार महिला पंचायत अध्यक्ष भाग ले रही थीं।

इस सम्मेलन में केरल से भी तीन पंचायत अध्यक्ष शामिल थीं। उनमें से एक थीं थिरक्करिपुर पंचायत की उप- अध्यक्ष फौसिया; दूसरी थीं थंकला पंचायत से शाहिन; और तीसरी पंचायत अध्यक्ष थीं शाहरबान। इन्हें केवल इसलिए सम्मेलन कक्ष में प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहना हुआ था। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि हिजाब पहनना उनका धार्मिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। ... (*व्यवधान*) हुआ यह कि सुरक्षा कर्मी इस बात पर अड़े थे कि वे जब तक हिजाब नहीं हटातीं, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह राष्ट्र के लिए शर्मनाक बात है।... (*व्यवधान*)

आखिरकार, उन्होंने विनती करते हुए कहा कि उन्हें इस वेशभूषा में ही प्रवेश करने दिया जाए, परंतु उन्हें अनुमति नहीं दी गई। ... (व्यवधान) 45 मिनट की बहस और गरमागरम बहस के

बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। यह पूरा घटनाक्रम देश के माननीय प्रधान मंत्री की उपस्थिति में हुआ। … (*व्यवधान*)

जब अंततः उन्हें प्रवेश मिला, तो उन पर यह शर्त थोपी गई कि वे केवल पीछे की पंक्तियों में बैठ सकती हैं। इस देश में यह क्या हो रहा है?... (*व्यवधान*) इस तरह की असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यह देश के लिए शर्म की बात है। ... (*व्यवधान*)

मैं यह निवेदन करता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी को पूरे देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी.के. बिजू, एडवोकेट जोइस जॉर्ज, श्री शंकर प्रसाद दत्ता, डॉ. ए. संपत, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन और श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन को श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी) : माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। [हिन्दी] जो बात वे कह रहे हैं, वह बात बिलकुल तथ्यों से विपरीत है और कहीं न कहीं गुमराह करने वाली है।...(व्यवधान) हम समाज के हर तबके के लिए समानता के साथ और इक्वेलिटी के हक के साथ काम करते हैं। जिस तरह की गलत सूचना और कुछ अखबारों में गलत तथ्यों के आधार पर समाचार छपा है, उसके आधार पर सदन में यह बात कहना गलत है और हम उसका खंडन करते हैं। जो बात "हिजाब" से संबंधित कही जा रही है, वह बिलकुल गलत है, निराधार है और बिलकुल तथ्यों से विपरीत है।...(व्यवधान)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रहनेवाले मेजर ऋषि की गंभीर स्थिति

से जुड़ा है। मेजर ऋषि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल गांव में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान 4 मार्च को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उनके चेहरे पर गोली लगी थी और उनकी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। 8 मार्च तक उनका इलाज श्रीनगर के सैन्य अस्पताल में चल रहा था। 8 मार्च को उन्हें नई दिल्ली के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में स्थानांतरित किया गया। उनकी पत्नी, जो सेना में फिजियोथेरेपिस्ट हैं, भी उनके साथ हैं। किन्तु, कल कायमकुलम के सर्कल इंस्पेक्टर को नई दिल्ली से एक संदेश मिला कि मेजर ऋषि का निधन हो गया है, और यह सूचना उनके परिजनों तक पहुंचा दी गई। परिजन, जो पहले मेजर ऋषि की पत्नी से बात कर चुके थे और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे थे, इस खबर से स्तब्ध रह गए।

संदेश में लिखा था: "मृतक ऋषि.आर पत्नी अनुपमा, गांव मुथुकुलम मणिभवनम, अलप्पुझा। 08.03.2017 को आर.आर. हॉस्पिटल, नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। कृपया उनके माता-पिता और परिजनों को सूचित किया जाए।"

यह संदेश धौला कुआं पुलिस स्टेशन के एक एएसआई जगबीर सिंह के नंबर से भेजा गया था। उन्होंने परिजनों को बताया कि उन्हें यह सूचना आर.आर. हॉस्पिटल से मिली थी। परंतु मेजर ऋषि की पत्नी, जो वर्तमान में उनके साथ हैं, ने पुष्टि की कि मेजर ऋषि उपचाराधीन हैं और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। यह एक जवान के परिवार के लिए अत्यंत अपमानजनक और दुखदायी घटना है। मैं सरकार से इस घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगता हूँ और यह भी आग्रह करता हूँ कि मेजर ऋषि को अस्पताल में सर्वोत्तम चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : सर्वश्री पी.के. बिजू, पी. करुणाकरन, एडवोकेट जोइस जॉर्ज और डॉ. ए. संपत को श्री के.सी. वेणुगोपाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 1.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन... जारी

(तीन) छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) के संबंध में झारखंड सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को निरस्त करने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : महोदय, मैं एक बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि झारखंड में संथाल रेबेलियन हुआ था। इस रेबेलियन के तहत वहाँ सन् 1908 में छोटानागपुर टेनेन्सी एक्ट बना था। उसके बाद सन् 1949 में वहाँ संथाल परगना एक्ट बना था। 23 नवंबर को वहाँ की सरकार ने इन दोनों एक्ट्स में सुधार किए हैं। इसमें आदिवासियों को जंगल, कृषि और पानी के संबंध में अधिकार दिए गए हैं। इसको डायवर्ट कर के इसके एक्युजिशन और कमर्शियल यूज के लिए इस एक्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है।

महोदय, इसके साथ ही साथ वहाँ ग्राम सभा का जो प्रावधान है, उसकी पूरी जिम्मेदारी डी.सी. के हाथों में सौंप दी गई है। वहाँ के आदिवासियों को विस्थापित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

महोदय, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यह अनुरोध करूँगा कि वह इसे नॉलेज में ले और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसके सुधार के लिए जो बिल उठाया है, उसे वह एडॉप्ट करे। वहाँ जमीन और जंगल के ऊपर जो आदिवासियों के अधिकार हैं, उन्हें रीस्टोर किया जाए। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया, तो आदिवासियों को बहुत नुकसान होगा।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री शंकर प्रसाद दत्ता को श्री जितेन्द्र चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : महोदय, हमारे माननीय सदस्य ने गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के संबंध में सवाल उठाया है। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि, माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, उसका सत्यता से कोई वास्ता नहीं है। कल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का अवसर था। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने देश भर के सभी राज्यों से चिन्हित कर के छह हजार से अधिक महिला सरपंचों को आमंत्रित किया था। उसमें कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी थीं। उस कार्यक्रम में वही लोग थे, जिन्हें आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर गौतमबुद्ध नगर की शालिनी राजपूत नामक एक बहन भी थी। उस बहन ने सुरक्षा घेरे को तोड़कर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश की थी। वो माननीय प्रधानमंत्री जी को राज्य सरकार के संबंध में कुछ बताना चाहती थी। सुरक्षा घेरे ने उसे माननीय प्रधानमंत्री जी से नहीं मिलने दिया था। उसके बाद शालिनी राजपूत जी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक वाइट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे राज्य सरकार से परेशान हैं और उनके गाँव में विकास नहीं हो रहा है। यह बात वे प्रधानमंत्री जी को बताना चाहती थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय लोक सभा अध्यक्ष जी मौजूद थीं। स्वच्छता के क्षेत्र में जिन महिला सरपंचों ने अच्छा काम किया है, इस कार्यक्रम में उन्हें भी सम्मानित किया गया। माननीय सदस्य ने जो यह बात उठाई है, वह बिलकुल भी सत्य के नजदीक नहीं है।

इससे निश्चित रूप से लोग गुमराह हुए हैं, जिस कारण मुझे यहाँ स्पष्टीकरण देने के लिए खड़ा होना पड़ा है। आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

———————

माननीय सभापति : श्री प्रवेश साहिब सिंह जी।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू पर बोलने का मौका दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। केरल में लगातार एक विचारधारा के लोगों पर अटैक हो रहा है। वहाँ की सरकार सी.पी.आई. (एम) पार्टी द्वारा आर.एस.एस. और बी.जे.पी. वर्कर्स पर लगातार अटैक हो रहा है। 4 मार्च को आर.एस.एस. के चार कार्यकर्ताओं, नामतः विनीश, सुनील, बाबू और सुधीर के कार्यालय पर बम फेंका गया और डंडे-तलवारों से इनके हाथ-पैर तोड़े गए।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : यह एक भ्रामक कथन है, महोदय ।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : ये घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक 53 साल के मजदूर जो मुख्यमंत्री की विधानसभा में रहते हैं, उनके घर पर हमला किया गया। ...(व्यवधान) एक परिवार पर लगातार अटैक हो रहे हैं। अगर सी.पी.आई. (एम) को लड़ाई करनी है, तो उन्हें एक विचारधारा से लड़ाई करनी पड़ेगी। हमारी शांति को कोई कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सी.पी.आई.एम. द्वारा लगातार अटैक, यह वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर एक सीधा कलंक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी जनवरी को सरकार को नोटिस दिया कि लगातार जो अटैक हो रहे हैं, वे ठीक नहीं हैं, एक विचारधारा के ऊपर अटैक हो रहा है। इसलिए मैं सरकार से चाहूंगा कि वह इसमें इंटरवीन करे और वहां की सरकार को बर्खास्त करे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र , श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री निहाल चंद, श्री देवजी एम. पटेल और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस शून्यकाल में इस सभागृह में पेश कर रहा हूं जो कि पिछले दस साल से केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए प्रलंबित है। एक बॉम्बे का नाम मुम्बई हो चुका, लेकिन 'बॉम्बे हाईकोर्ट' का नाम 'मुम्बई हाईकोर्ट' करने की विनती महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से 10 बरस पहले इस केन्द्र सरकार के पास भेजा, इस सभागृह में भी इस विषय के ऊपर मैं स्वयं चार बार शून्यकाल में मुद्दा उठा चुका हूं। हम सारे शिवसेना के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और उनसे विनती की कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट का नामकरण करें। उनके आदेश से इस सभागृह में उसके बारे में विधेयक भी पेश कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विधेयक को वापस कर दिया, विथड्रॉ कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय मैं फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि एक मई, महाराष्ट्र का स्थापना दिन है, बॉम्बे की जगह पर मुम्बई हो चुका है। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बारे में एक मई के पहले निर्णय लें और बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट करके महाराष्ट्र के लिए आप अच्छा तोहफा दें। यह विनती मैं इस शून्यकाल के माध्यम से कर रहा हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री कृपाल बालाजी तुमाने, श्री चंद्रकांत खैरे और श्री प्रतापराव जाधव को श्री विनायक भाऊराव राउत द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्माननीय सभा के माध्यम से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान औद्योगिक गलियारों की घोषणा के विषय पर आकर्षित

करना चाहता हूँ। आप भली-भांति जानते हैं कि नवगठित तेलंगाना राज्य उद्योग, बिजली, सड़क, रेलवे आदि प्रमुख क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। तेलंगाना राज्य के महबूबनगर, करीमनगर, निजामाबाद और अन्य जिलों के लाखों गरीब लोग, जिनमें युवा और छात्र भी शामिल हैं, हर वर्ष रोजगार की तलाश में बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा खाड़ी देशों जैसे दूरस्थ स्थानों की ओर पलायन करते हैं, जहाँ उन्हें अनेक कठिनाइयों और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। अतः इस समस्या को रोकने के लिए तेलंगाना में बुनियादी ढांचे, आधारभूत सुविधाओं और रोजगार के अवसरों में वृद्धि किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

केंद्र सरकार ने चेन्नई-विशाखापत्तनम और चेन्नई-बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्गों को औद्योगिक गलियारों के रूप में घोषित किया है। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 के बेंगलुरु-कुरनूल खंड को भी औद्योगिक गलियारा घोषित किया गया है। इसी क्रम में, यदि राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 के कुरनूल-हैदराबाद-नागपुर खंड को भी औद्योगिक गलियारा घोषित किया जाए, तो तेलंगाना के महबूबनगर, रंगारेड्डी, मेडक, निजामाबाद और आदिलाबाद तथा महाराष्ट्र के यवतमाल, वर्धा, चंद्रपुर और नागपुर जैसे पिछड़े जिलों को विकास और रोजगार के अवसरों के रूप में काफी लाभ मिलेगा। अतः मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से आग्रह करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग- 44 के लगभग 750 किलोमीटर के कुरनूल-हैदराबाद-निजामाबाद-आदिलाबाद-नागपुर मार्गखंड को औद्योगिक गलियारे के रूप में घोषित करने की कृपा करें।

माननीय उपाध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मैं अन्य सदस्यों से एक मिनट के भीतर अपनी बात समाप्त करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि हमें अपराह्न 1.35 बजे कार्यवाही स्थगित करनी होगी। हमारे पास केवल 10 मिनट की अनुमति है। अब, श्री ओम बिरला जी।

[हिन्दी]

श्री ओम बिरला (कोटा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर सरसो का बम्पर उत्पादन हुआ है। सरसो मार्केट में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य से कम दर पर बेची जा रही है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि तुरंत समर्थन मूल्य से राजस्थान में सरसो खरीदी जाए ताकि किसान को उसकी लागत का ठीक मूल्य मिल सके।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, श्री रामचरण बोहरा, डॉ. मनोज राजोरिया, श्री निहाल चंद, श्री देवजी एम. पटेल और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री ओम बिरला जी द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ की विभीषिका से अरबों रूपयों की हानि होती है और जान-माल का नुकसान होता है। गंगा की सफाई का अभियान अधर में लटका हुआ है। निर्मल भारत और नमामी गंगा की हम बात करते हैं, लेकिन गंगा गाद से भर चुकी है। बिहार के पटना से भागलपुर तक का इलाका इससे प्रभावित है। फरक्का में बांध बनने से वहां पर धारा रूक गई है, जिसके कारण भारी परेशानी हो रही है। बिहार के मुख्य मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और राज्य सरकार ने भी चिंता जाहिर की है। इस कारण से महत्वपूर्ण जीव डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है। वहां से सांसद माननीय बुलो मंडल जी हैं और बगल के क्षेत्र से हम हैं, दोनों का क्षेत्र इससे प्रभावित होता है। हमारी मांग है कि फरक्का बैराज, जिससे पश्चिम बंगाल को भी लाभ नहीं है, इस पर तकनीकी दृष्टि से विचार-विमर्श किया जाए एवं जनहित में गंगा पर बने फरक्का बैराज (बांध) को हटाया जाए।

श्री जनक राम (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज की ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। सबसे पहले हम भारत सरकार के प्रधान मंत्री और जल संसाधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि अक्टूबर माह में 71 करोड़ रूपये बिहार सरकार को गंडक

की सफाई के लिए और पिचिंग बांध के लिए रिलीज़ हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार के कानों पर अब तक आवाज़ नहीं जा रही है। इसकी वजह से गोपालगंज जिले के गंडकधियरा संघर्ष समिति के तत्वाधान में हजारों सामान्य लोग एवं जलसत्याग्रही आए दिन संघर्ष करते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने आज तक उसका संज्ञान नहीं लिया है। मैं सदन के माध्यम से बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कार्यवाही करके जल सत्याग्रहियों की मांग को स्वीकृत किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री जनक राम द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री कांति लाल भूरिया (रतलाम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैंने प्रश्न काल में भी इस बारे में प्रश्न उठाया था, लेकिन उत्तर नहीं मिला। मेरे क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में इंदौर से अमदाद की चार लेन की सड़क है। पुल, पुलिया आदि सब बन गया है। मगर यह सड़क नहीं बन रही है। वहां रेल लाइन भी बंद पड़ी है। वहां पर लोगों का आना-जाना बहुत मुश्किल हो रही है। रतलाम से महत्वपूर्ण चार लेन रोड इंदौर-अमदाद के निर्माण कार्य में अत्यधिक विलंब हो रहा है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इस राजमार्ग के निर्माण में विलंब से इंदौर-अमदाद के जन-जीवन पर असर पड़ रहा है। यह मार्ग इंदौर होते हुए मेरे संसदीय क्षेत्र से झाबुआ जिले को जाता है। आवागमन सुचारू रूप से न होने के कारण यात्रियों एवं अन्य आवश्यक माल की ढुलाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक पांच सौ से अधिक लोगों की मौंत एक्सिडेंट्स में हो चुकी है। बीच में सड़क को जोड़ने का रास्ता है, जो एक-दो किलोमीटर पर है, वह आज भी बंद पड़ा है और लोगों को कच्चे रास्ते से होकर निकलना पड़ रहा है। इस वजह से यदि इस निर्माण कार्य में गति लाई जाती है तो लोगों के आवागमन में सुविधा होगी। मैंने पूर्व में भी इस संबंध में सदन में बात उठाई थी, जिसके आश्वासन भी मिल रहे हैं, परंतु पता नहीं क्या कारण है

कि आदिवासी क्षेत्रों में जो फोर लेन का रोड जा रहा है, उसका काम चालू नहीं हो रहा है। रेल मार्ग भी बंद पड़ा है। आखिर आदिवासी क्षेत्रों की उपेक्षा क्यों हो रही है? मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार से आग्रह करता हूँ कि तत्काल उसको पूरा करने की कृपा करें।

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला यहां पर रखना चाह रहा हूँ कि पिछले 25 दिनों से मेरे क्षेत्र में पांच हज़ार किसान करीब 70 हज़ार तुअर की बोरियां लेकर हमारे मार्केट कमेटी में बैठा है। हमने सोमवार को इस बारे में आंदोलन किया है। सरकार ने लिख कर दिया है कि दस तारीख से तुअर की खरीद शुरू होगी। लेकिन कल फिर से उन्होंने सर्क्युलर निकाला है कि तुअर खरीद नहीं करेंगे। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार तुअर की खरीदी तुरंत शुरू करे और लोगों को राहत मिले।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : उपाध्यक्ष महोदय, हिमालय की तलहटी में "बोट" जाति के लोग, नेपाल, भूटान सिक्किम, अरूणाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड सहित उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी, गोण्डा, बहराईच आदि के लोग निवास करते हैं। जिनको विभिन्न अध्ययन दलों द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। बोट जाति इन सभी मानदण्डों के आधार पर अनुसूचित जनजाति में शामिल होने योग्य है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने भी बोट जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की संस्तुति की है। मैंने इस प्रकरण को लोक सभा में व उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी उठाया था, परन्तु उक्त बोट जाति के लोगों को अभी भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिला है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि बोट जाति को समाज की मुख्यधारा में लाने तथा शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक समता प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा तत्काल दिया जाये। धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल (जयनगर) : महोदय, किशोरावस्था की लड़कियाँ मासिक धर्म के दौरान स्कूल आने में सहज महसूस नहीं करतीं। विशेष रूप से ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों में छात्राएँ मुख्यतः घर पर बनाए गए नैपकिन का उपयोग करती हैं, जिससे उनके लिए सामान्य सामाजिक जीवन जीना और भी असुविधाजनक हो जाता है। एक सांसद होने के नाते, मैंने अपनी व्यक्तिगत पहल पर सांसद निधि से धनराशि प्रदान कर सह-शिक्षा और बालिका विद्यालयों में वेंडिंग और सैनिटरी मशीनें स्थापित करने की व्यवस्था करवाई है ताकि वे छात्राएँ आवश्यकता पड़ने पर इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेते हुए सह-शिक्षा एवं बालिका विद्यालयों में इन मशीनों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएँ।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : डॉ. ए. संपत और कुँवर पुष्पेन्द्र चंदेल को श्रीमती प्रतिमा मण्डल जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि दिसम्बर 2014 में इस सदन के अन्दर रोहतक का एक मामला उठा था, जिसमें नेशनल हिरोइन दो लड़कियों को बनाया गया था, लड़कों को बस में पीटने के कारण। उन तीन में से दो लड़कों ने आर्मी का फिजिकल और साथ-साथ मेडिकल टेस्ट क्लियर किया था मगर वह मामला जब इस सदन में और हमारे मीडिया के साथियों ने उठाया तो भर्ती में से उन दोनों युवा साथियों का नाम हटाने का काम सरकार ने और आर्मी ने किया।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह कोर्ट ने उन दोनों युवा साथियों को बरी कर दिया है मगर अब उनकी उम्र आर्मी की भर्ती के लिए लाँघ गई है। इस सदन की गलती की वजह से अगर उनका नुकसान हुआ है तो मैं माननीय डिफेंस मिनिस्टर से माँग करूँगा कि वे इसका संज्ञान लें और उन दोनों युवा साथियों को दोबारा नौकरी पर भर्ती कराने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री राम मोहन नायडू को श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : महोदय, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूँगा। 'शून्यकाल' के दौरान मेरा निवेदन भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उन ग्राहकों पर लगाए जा रहे जुर्माने के संबंध में है, जो अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में असमर्थ रहते हैं। आप कृपया याद करें कि भारत सरकार की नीति रही है कि गरीब से गरीब लोगों के लिए भी जनधन खाते खोले जाएं, लेकिन इसके साथ ही भारतीय स्टेट बैंक और नई पीढ़ी के बैंकों द्वारा गरीब ग्राहकों पर इतने अधिक जुर्माने लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति तीन या चार बार से अधिक नकद निकासी करना चाहता है, तो भी उसे जुर्माना भरना पड़ता है। यह पूरी तरह से आम लोगों के हितों के विरुद्ध है।

मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को यह निर्देश दिया था कि वह उन ग्राहकों पर जुर्माना लगाने के अपने निर्णय की समीक्षा करे, जो न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में असमर्थ हैं, लेकिन भारतीय स्टेट बैंक सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए, मेरी यह अपील है कि इस मामले में कठोर कार्रवाई की जाए।... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष : श्री पी. करुणाकरन, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, डॉ. ए. संपत और श्री राजीव सातव को श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. रिचर्ड हे (मनोनीत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय उठाना चाहता हूँ जो महिलाओं की सुरक्षा की कमी से संबंधित है। महिलाएँ, जो समाज के असामाजिक तत्वों के लिए अपेक्षाकृत आसान शिकार होती हैं, उन पर हमले, बलात्कार और अन्य उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण उन्हें हर जगह असुरक्षित महसूस हो रहा है। यहां तक कि केरल राज्य, जो शत-प्रतिशत साक्षरता दर वाला राज्य है, वहाँ भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं, जैसा कि हाल ही में हुई वीभत्स घटनाओं से प्रमाणित हुआ है, जिन्होंने राज्य को कलंकित किया। यहां तक कि केरल राज्य में, वाहन में यात्रा करने वाली महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं।

मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह केरल राज्य में महिलाओं पर हाल ही में हुए हमलों की जांच करे और उचित दिशा-निर्देश जारी करे तथा महिलाओं की सुरक्षा के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करे।

धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र चंदेल को प्रो. रिचर्ड हे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा) : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। पाला, कोट्टायम जिले के निवासी और पाला डायोसिस के सदस्य, सायरो मालाबार चर्च के फादर टॉम उषुनलिल को यमन में चरमपंथियों ने अपहरण कर एक वर्ष से अधिक समय से बंदी बनाए रखा है। केरल के कैथोलिक समुदाय को उनकी सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता है। यमन में चरमपंथियों ने कई बंदियों को रिहा कर दिया है, लेकिन भारतीय नागरिकों को अभी भी वे अपने कब्जे में रखे हुए हैं। चांगनाशेरी के आर्कबिशप और फोरने काउंसिल उनके शीघ्र रिहाई के लिए अत्यधिक चिंतित हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कई पहल की हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश, फादर टॉम उषुनलिल की रिहाई नहीं हो सकी। परसों, इस घटना को एक वर्ष पूरा हो गया है। पूरे केरल के कैथोलिक चर्चों, जिसमें आर्कबिशप, बिशप

और नन शामिल हैं, ने फादर टॉम उषुनलिल की शीघ्र रिहाई के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस मामले पर संबंधित देश के साथ तुरंत बात करे और फादर टॉम उषुनलिल की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करें।

[हिन्दी]

श्री धर्म वीर गांधी (पटियाला) : सर, सबसे पहले मैं अपनी केन्द्र सरकार और अपने स्वास्थ्य मंत्री श्री जे. पी. नड्डा का इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने स्टेंट प्राइसिंग को रेशनलाइज़ करके उसमें जो कैप लगा दिया है। इससे स्टेंट की कीमतें एक लाख रुपए से कम होकर सीधे 32,000 रुपए पर आ गयी है। इससे दिल के रोगियों को, जिन्हें एक्यूट हार्ट अटैक होता है, बहुत फायदा हुआ है। जो गरीब मरीज़ हैं, इनकी लूट सिर्फ स्टेंटों के द्वारा ही नहीं होती, बल्कि बहुत-से और भी रास्ते हैं। खासकर, जो इंवेस्टीगेशंस लैब्स हैं और जो रेडियोलॉजिकल सेंटर्स हैं, जैसे सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., अल्ट्रासाउण्ड वाले, वहां बहुत ही अन-फेयर प्राइसिंग है। उन पर भी सरकार ध्यान देकर उसकी प्राइसिंग पर कैप लगाए, ताकि गरीब मरीज़ों को सारे हिन्दुस्तान में फायदा हो सके।

मेरी सरकार से विनती है कि जो डायगनोस्टिक सेंटर्स हैं, इनकी प्राइसिंग पर कैप लगाए।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री धर्म वीर गांधी द्वारा उठाए गए विषय के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री आश्विनी कुमार चौबे (बक्सर) : महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं सदन में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लाना चाहता हूं। सरकार, विशेषकर श्री नरेन्द्र मोदी जी, जो

भारत के प्रधान मंत्री हैं, पहली बार हिन्दुस्तान के अंदर उन लाखों गरीब बुनकर माताओं-बहनों पर, जो अपनी जंघा पर धागा काटती थीं, जिसके कारण उनके शरीर पर घाव हो जाता था, उस पर उनका ध्यान गया।

यहां वस्त्र मंत्रालय की मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी बैठी हैं। उन्होंने कल पहली बार उन पीड़ित महिलाओं के लिए तसर बुनियाद रीलिंग मशीन का वितरण किया। इसे हमारे देश के सिल्क बोर्ड के वैज्ञानिकों ने शोध कर तैयार कराया है। उक्त प्रस्ताव को वर्ष 2014 में मैंने ही सेंट्रल सिल्क बोर्ड की बैठक में रखा था। मैं अपने गांव दरियापुर, भागलपुर में फजलू चाचा की पत्नी को देखता था कि सिल्क धागा अपनी जंघा पर काटने के कारण उन्हें किस प्रकार का घाव होता था। उसी समय, मेरा ध्यान इस पर गया और पार्लियामेंट में आने के बाद मैंने वह प्रस्ताव उक्त बोर्ड में रखा। हमारी सरकार और हमारे मंत्री जी ने पूरे देश में तसर ऑटोमैटिक रीलिंग मशीन और छोटे-छोटे तसर बुनियाद मशीनों को देने का काम किया है। वर्ष 2020 तक इसे जंघा पर सूत काटने से उन्मुक्त करने का संकल्प लिया है।

कल 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर गरीबों के कल्याण का एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ। मैं प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अपने वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जी एवं उन वैज्ञानिकों को पूरे देश की जनता की ओर से, विशेषकर उन माताओं और बहनों की ओर से बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री शरद त्रिपाठी को श्री अश्विनी कुमार चौबे द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (वडाकरा) : महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, कालीकट विमानपत्तन केरल के मालाबार क्षेत्र और इसके आस-पास के हजारों हज यात्रियों के लिए एक प्रमुख प्रस्थान स्थल था। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इस सुविधा को समाप्त करने का निर्णय हज यात्रियों के लिए

बहुत कठिनाई और कष्ट का कारण बना है, क्योंकि अब उन्हें हज यात्रा के लिए रवाना होने के लिए कोच्चि तक जाना पड़ता है। ऐसा कदम शायद विमानपत्तन पर पुनः डामरीकरण और उसकी मरम्मत करने के लिए उसे आंशिक रूप से बंद किए जाने के कारण उठाया गया था। इस कार्य के पूरा होने में अत्यधिक देरी के कारण अरब देशों को जानेवाली उड़ानों को रद्द किया जा रहा है। हज यात्रियों को पहले की उपलब्ध सुविधाओं से वंचित करना कोई न्यायसंगत कदम नहीं है।

मैं सरकार से अपील करता हूँ कि कालीकट विमानपत्तन पर हज यात्रियों के लिए उड़ानों और सुविधाओं को फिर से शुरू किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बुंदेलखण्ड क्षेत्र में कानपुर-सागर नेशनल हाईवे नं. 86, जिसे राज्य सरकार ने बी.ओ.टी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनवाया था, उसके बारे में भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर से कबरई तक उस 120 किलोमीटर के पैच में है, प्रतिदिन मार्ग दुर्घटनाओं के कारण दो-तीन मृत्यु वहां पर हो रही है। उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो एग्रीमेंट किया था, उसमें वह डिवाइडर नहीं बना और केवल टू-लेन सड़क बनी। चूंकि लखनऊ-कानपुर का पूरा ग्रिट बिल्डिंग मैटेरियल्स बुंदेलखण्ड के उसी क्षेत्र से जाता है, क्योंकि वह माइंस और मिनरल्स वाला एरिया है। वहां डिवाइडर न होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं घटती हैं। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां एक-एक गांव में तीस-तीस लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह है कि कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग-86 को एन.एच.ए.आई. टेक-ओवर करे और उसे डिवाइडर सहित फोर-लेन बनाकर जल्दी से जल्दी लोगों के जीवन को बचाने का काम करे।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र जी को कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल जी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

सभा अपराह्न 2.40 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.39 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्नभोजन के लिए अपराह्न 2.40 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.45 बजे

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.45 बजे पुन: समवेत हुई।

(**माननीय उपाध्यक्ष** *पीठासीन हुए*)

नियम 377 के अधीन मामले [6*]

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है व जो

[6*] सभा पटल पर रखे माने गये

उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले के पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर सौंप दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गये हों। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) झारखंड में रेल परियोजनाओं में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्ल्यू.ई.) की समस्या देश के लिए सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। झारखंड इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक है। इस राज्य में ऐसे दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र हैं जिनके आर्थिक विकास के लिए संपर्क-व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है। रेल संपर्क की अपर्याप्तता वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध लड़ाई को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है।

इसलिए, मैं रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपील करता हूं कि वे संथाल परगना और अंग क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम पहलों के तहत विक्रमशिला से कटेरिया तक वाया बटेश्वर स्थान (गंगा पुल), गोड्डा-पाकुड़ और बसुकीनाथ-चित्रा की स्वीकृत परियोजना (2016-17) को शीघ्र पूरा करें। रेल मंत्रालय और झारखंड सरकार के नवीनतम वित्त पोषण नीति के तहत गोड्डा के रास्ते, पीरपैंती से जसीडीह के लिए एक रेललाइन पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। हालांकि, इसका कार्य बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहा है।

ये विस्तार लाइनें आगामी तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे सिमलॉंग विस्तार, हुरा "सी" और चुपर्विटा, तथा ईसीएल की मौजूदा खान से कोयला के उठाव में मदद करेंगी। इस लाइन के बिना कोयले की ढुलाई में समस्या आएगी।

खनिज संपन्न राज्य झारखंड, कोल इंडिया का सबसे बड़ा राजस्वदाता है और फिर भी इसे हमेशा उपेक्षित किया गया है। ये रेललाइनें पांच प्रमुख रेल मार्गों को जोड़ेंगी। इनमें शामिल हैं :

(क) दिल्ली से गुवाहाटी वाया कटेरिया, बटेश्वर स्थान।

(ख) भागलपुर से हावड़ा वाया पीरपैंती, पाकुड़।

(ग) भागलपुर से रामपुरहाट वाया हंसडीहा।

(घ) दिल्ली से हावड़ा और खड़गपुर वाया जसीडीह।

(ङ) हावड़ा से दिल्ली वाया धनबाद।

इन रेल लाइनों से हल्दिया और पारादीप जैसे बंदरगाह भी साहेबगंज टर्मिनल या आंतरिक जलमार्गों के जरिए जोड़े जाएंगे।

इससे इस क्षेत्र के और झारखंड राज्य के पिछड़े आदिवासी समाज को लाभ होगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाए जाएं।

(दो) उत्तर प्रदेश के खीरी संसदीय क्षेत्र में धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को विकसित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : मेरे लोक सभा क्षेत्र लखीमपुर (खीरी) उ.प्र. तराई में नेपाल सीमा पर स्थित घने वनों व नदियों से घिरा एक खूबसूरत क्षेत्र है। जहां दुधवा नेशनल पार्क टाईगर रिजर्व व वन क्षेत्र हैं व बारासिंहा, सांभर सहित हाथी, गैंडें, तेंदुआ आदि भी रहते हैं। यहां की नदियों में क्रोकोडाइल व डॉल्फिन भी पायी जाती है।

लखीमपुर (खीरी) का ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व भी है। यहां ग्राम दुलही व रामवटी में गोस्वामी तुलसीदास की रामचरित मानस की हस्तलिखित पांडुलिपि सहित पांडवों के अज्ञातवास व गोल गोलकरन नाथ, गज मोचन नाथ, खैरीगढ़ में रूकमणी मंदिर, संकटा देवी व लिलौथी नाथ का भी बड़ा महत्व है तथा पुराने समय में सिंगाही (खैरीगढ़ स्टेट), ओयल, झण्डी, ईसानगर आदि रजवाड़ों ने भी मेडक मंदिर, भूल भुलैया, रानी महल व खैरीगढ़ का किला जैसे दर्शनीय स्थलों का निर्माण कराया है। यह क्षेत्र खैरीगढ़ नस्ल के बैलों के लिए भी प्रसिद्ध व अच्छी व उपजाऊ कृषि भूमि वाला खुशहाल क्षेत्र है।

ऐसी अनुकूल परिस्थितियों के कारण क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है किः-

1. मेरे लोक सभा क्षेत्र खीरी, उत्तर प्रदेश को रामायण सर्किल से जोड़ने व पर्यटन स्थल घोषित करके विकसित करने एवं

2. मेरे लोक सभा क्षेत्र में पर्यटन व आवागमन के साधन बढ़ाने हेतु पूर्व से निर्मित पलिया (पटिहन) एयरपोर्ट से लखनऊ व दिल्ली हेतु विमान सेवा प्रारंभ करने की कृपा करें।

(तीन) संगम एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 14163/64) को समय पर चलाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : मेरठ से इलाहाबाद के बीच बुलन्दशहर, अलीगढ़, कानपुर होते हुए 14163/64 संगम एक्सप्रेस का संचालन किया जाता है। यह रेलगाड़ी मेरठ से सांयकाल 07 बजे प्रस्थान करती है तथा इलाहाबाद अगले दिन प्रातः 08.15 बजे पहुंचती है। वापसी में यह रेलगाड़ी इलाहाबाद से 05.45 बजे चलकर अगले दिन प्रातः 06.40 बजे मेरठ पहुंचती है। इलाहाबाद में संगम होने के साथ-साथ प्रदेश का उच्च न्यायालय भी स्थित है जिस कारण प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में नागरिक इस रेलगाड़ी से आवागमन करते हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि मेरठ के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह रेलगाड़ी पिछले लगभग छह माह में एकाध बार को छोड़कर अधिकांश कई-कई घंटे देरी से इलाहाबाद व मेरठ पहुंची है। इस कारण से यात्रियों को अत्यंत कठिनाई होती है तथा विशेषकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने वाले वादियों को अत्यधिक आर्थिक हानि व मानसिक संताप होता है। इस संबंध में अनेक बार अधिकारियों से भी वार्ता की गई परन्तु संगम एक्सप्रेस के संचालन में कोई सुधार नहीं हुआ है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि 14163/64 संगम एक्सप्रेस के गत छह माह के संचालन की जांच कराकर इसका समयबद्ध संचालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(चार) महाराष्ट्र में वर्धा से नागपुर तथा अमरावती के बीच चलने वाली विदर्भ एक्सप्रेस और इंटरसिटी एक्सप्रेस में मासिक पासधारकों के लिए एक अतिरिक्त डिब्बा लगाए जाने की आवश्यकता

श्री रामदास सी. तडस (वर्धा) : मेरा माननीय रेल मंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के मासिक रेल पास यात्रियों को हो रही समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह है कि लगभग 10 हजार मासिक रेल पास धारक यात्री वर्धा से नागपुर एवं अमरावती दैनिक सफर करते हैं। जिसमें व्यवसायी, कामगार एवं विद्यार्थी भी होते हैं, वर्धा से जाने वाली ट्रेनों में जनरल बोगी की संख्या कम होने से स्लीपर की बोगी में विगत वर्षों में मासिक रेल पास धारक यात्री यात्रा करते हैं, किन्तु कुछ समय से रेल कर्मचारीगण इन यात्रियों के साथ अनुचित व्यवहार कर मनमाना दंड ले रहे हैं जिससे यात्रियों में काफी रोष है।

अतः आग्रह है कि वर्धा से जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस एवं इन्टरसिटी एक्सप्रेस में एक आतिरिक्त कोच मासिक पास धारकों के लिए लगाया जाए नहीं तो पूर्व की भांति स्लीपर कोच में मासिक पास धारकों को सफर करने का निदेश जारी किया जाए जिससे कि समस्याओं का निदान हो एवं दैनिक सफर करने वालों को सहूलियत हो।

(पाँच)अंडमान और निकोबार की सेल्युलर जेल परिसर में वीर विनायक दामोदर सावरकर की उद्धरण वाली पट्टिका को फिर से लगाए जाने की आवश्यकता

श्री हरिओम सिंह राठौड़ (राजसमन्द) : विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के सेनानी नेता थे। उन्हें प्रायः वीर सावरकर के नाम से सम्बोधित किया जाता है। विनायक दामोदर सावरकर न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि एक भाषाविद, बुद्धिजीवी, कवि, दृढ़ राजनेता, समर्पित समाज सुधारक, दार्शनिक, द्रष्टा, महान कवि, महान इतिहासकार और ओजस्वी वक्ता भी थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें महानतम लोगों की श्रेणी में उच्च पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। सावरकर दुनिया के अकेले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें दो-दो आजीवन कारावास की सजा मिली, सजा को पूरा किया और फिर से राष्ट्र जीवन में सक्रिय हो गए।

"देशभक्ति का यह व्रत हमने आंख मूंद कर नहीं लिया है। इतिहास की प्रखर ज्योति में हमने इस मार्ग की परख की है। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर दिव्य अग्नि में जलने का निश्चय जानबूझकर किया है। इसका व्रत लिया है, आत्मविश्वास का। "- वीर सावरकर।

सन 2004 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री ने उपरोक्त पट्टिका जो कि अंडमान-निकोबार जेल में लगी हुई थी, उसे हटवा दिया था और पिछले दिनों वर्तमान सरकार के मंत्रिमंडल ने संसद के केंद्रीय कक्ष में वीर सावरकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते समय यह निर्णय लिया था कि उपरोक्त उद्धरण पट्टिका को फिर से लगाया जायेगा। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उक्त पट्टिका को पुनः लगवाकर वीर सावरकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर में किसानों के लिए वर्तमान में मृदा परीक्षण हेतु तहसीलवार मृदा परीक्षण की जांच प्रयोगशालाएं संचालित हैं, जिनके नमूनों का परीक्षण जिला मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। जिससे किसानों के मृदा परीक्षण की जांच रिपोर्ट काफी विलम्ब एवं कठिनाई से प्राप्त हो पाती है।

यदि इन प्रयोगशालाओं को विकास खंड स्तर पर संचालित किया जाए तो किसानों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त एक सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला मृदा विश्लेषण तथा ऑपरेटर सहित संचालित होना भी अति आवश्यक है जिससे कृषकों द्वारा तत्काल मृदा परीक्षण की जांच मौके पर ही की जा सके।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में हर क्षेत्र में हर ब्लॉक स्तर पर एक मृदा परीक्षण केन्द्र एवं एक सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संचालित कराने का कष्ट करें।

(सात) साइबर अपराधों के शिकार उपभोक्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने तथा साइबर अपराधों की बढ़ती हुई घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा) : देश में साइबर अपराधियों द्वारा बैंकों से ग्राहकों का रूपया निकालने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र एवं देश के विभिन्न भागों में ग्राहकों के रूपये साइबर अपराधियों द्वारा निकाल लिए गए हैं। बगैर ए.टी.एम. नम्बर खाते की जानकारी व ओ.टी.पी. बताए रूपए निकले हैं। इस तरह की घटनाओं ने बैंक और ग्राहकों के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि साइबर क्राइम के इस तरह के मामलों में जो रूपया निकलता है, उसको बैंक द्वारा खाताधारकों को लौटाने की व्यवस्था व ग्राहकों के रूपयों की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। साइबर अपराधियों पर कार्यवाही के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन नम्बर जारी किया जाना चाहिए तथा उनके विरूद्ध त्वरित कार्यवाही हो इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

(आठ) झारखंड के चतरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : मैं सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा बच्चों में राष्ट्रीय एकता एवं भारतीयता की भावना का विकास करना है। इस मिशन को प्राप्त करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों में भी जिले में कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। मेरे द्वारा लोक सभा में पूछे गए एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में दिनांक 18-07-2016 को बताया गया कि देश के 160 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय नहीं है। झारखंड राज्य के आठ जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र का चतरा जिला भी एक है। जबकि चतरा में एन.टी.पी.सी. और सी.सी.एल. कंपनियों से संबंधित विभिन्न इकाइयाँ चल रही हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सेवा क्षेत्र की खासकर अर्द्ध-सैनिक बल और सेना में हजारों की संख्या में यहाँ के लोग कार्यरत हैं। चतरा जिला अत्यंत पिछड़ा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, परंतु चतरा जिले में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है।

मेरे द्वारा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी को दिनांक 14 जुलाई, 2015 को पत्र लिखकर चतरा में केंद्रीय विद्यालय खोलने की माँग की गई थी। दिनांक 31 जनवरी, 2016 को श्री उपेन्द्र कुशवाहा, राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री जी द्वारा सरकारी दौरे पर चतरा आगमन पर प्रेस वार्ता के दौरान चतरा में जल्द केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत करने का आश्वासन दिया गया था, जो अखबारों में प्रमुखता से छपा था। मेरे द्वारा लोक सभा में पूछे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के जवाब में दिनाँक 18.08.2016 को बताया गया था कि झारखण्ड राज्य से चतरा एवं एक जिले में केंद्रीय विद्यालय खोलने की माँग लम्बित है।

अतः मैं भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से माँग करता हूँ कि चतरा जिले में केंद्र प्रायोजित एक केंद्रीय विद्यालय स्वीकृत कर उसे शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे

इस पिछड़े क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके और समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके।

(नौ) देश में बाल तस्करी को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : देश में हर साल हज़ारों बच्चे लापता होते हैं जिनमें से कुछ ही अपने घर लौट पाते हैं। ज्यादातर गुमशुदा बच्चे अखबार के कोने में छपी खबर में दर्ज होकर रह जाते हैं। ये गुमशुदगी भयानक नहीं होती बल्कि इसके तार सुनियोजित रूप से अपराध जगत से जुड़े हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार जिन बच्चों का पता नहीं लगता है, वे वास्तव में लापता नहीं होते बल्कि उनका अवैध व्यापार किया जाता है। रिपोर्ट इस तथ्य की ओर भी इशारा करती है कि 80 प्रतिशत पुलिस के लोग गायब होने वाले बच्चों की तलाश में कोई रूचि नहीं दिखाते। नोबल पुरस्कार विजेता और बचपन बचाओ आंदोलन संस्था के अध्यक्ष कैलाश सत्यार्थी कहते हैं कि जो बच्चे गायब हो रहे हैं इन्हें गुमशुदा बच्चे कहना सही नहीं है। ये बच्चे गुम नहीं होते बल्कि इनको चुराया जाता है। देश में बच्चों के रहस्यमय ढंग से लापता होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि इस अपराध पर रोक लगाने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाएं।

(दस) राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य योजना का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर) : मैं सरकार का ध्यान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ।

राजस्थान राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के 69.09 प्रतिशत लाभार्थी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जबकि राजस्थान की तुलना में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समृद्ध राज्यों में प्रतिशत कवरेज अधिक है। गुजरात में 74.64 प्रतिशत, कर्नाटक में 76.04 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 76.32 प्रतिशत तथा तमिलनाडु में 82.55 प्रतिशत। इसके आतिरिक्त मध्य प्रदेश में 80 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 79.56 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 74.47 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 84.25 प्रतिशत, बिहार में 85.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या प्रतिशत अधिक है।

राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का पुनः निर्धारण किए जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में कई बार अनुरोध किया जा चुका है। इस मुद्दे पर दिनाँक 15.06.2016 को नीति आयोग, नई दिल्ली में बैठक में चर्चा की गई जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्थान की माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा भी अपने पत्र दिनाँक 09.08.2016 के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से अनुरोध किया जा चुका है।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि राजस्थान राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एन.एफ.एस.ए.) के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का शीघ्र पुनः निर्धारण करने की कृपा करें।

(ग्यारह) बिहार के सिवान में एक कैंसर अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री ओम प्रकाश यादव (सीवान) : मेरे संसदीय क्षेत्र सीवान में कैंसर रोगियों की संख्या काफी ज्यादा है और कैंसर जांच की कोई सुविधा जिले में नहीं होने के कारण कैंसर रोगी पटना, दिल्ली और देश के अन्य शहरों में जाकर जांच एवं इलाज कराने को मजबूर हैं। अगर सीवान में कैंसर संस्थान सह अस्पताल खुल जाये तो यहां के रोगियों को जांच एवं इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहां पर ही गरीब रोगियों का स्थानीय स्तर पर सस्ते दर पर इलाज हो सकेगा।

अतः मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सीवान में एक कैंसर संस्थान सह अस्पताल खोला जाये ताकि सीवान तथा गोपालगंज एवं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में रोगियों को कैंसर के इलाज हेतु कहीं अन्य जगह न जाना पड़े।

(बारह) धनबाद, झारखंड में बागमारा विकास खंड में बीसीसीएल की कोयला लिंकेज बोलियों में पात्र और हितबद्ध पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : कोल इण्डिया के अंतर्गत बी.सी.सी.एल. क्षेत्र के बाघमारा प्रखण्ड स्थित आठ (8) कोलियरियों मुराईडीह, शताब्दी, नदखरकी, बेनीडीह, जमुनिया, जोगीडीह, महेशपुर एवं खरखरी में लिंकेज कोयला के खरीदार नहीं के बराबर हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में कथित कोयला माफिया के एक सिंडिकेट का कब्जा है। जो भी लिंकेज होल्डर इन कोलियरियों से कोयला की खरीददारी करते हैं, उन्हें कथित रंगदारी टैक्स के रूप में प्रति टन 1150 रू. की रंगदारी बतौर लोडिंग देनी पड़ती है। इस कारण इन कोलियरियों में ऑफर के कोयला के खरीददार नहीं मिल रहे हैं और लिंकेज के कोयला को बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को कम दामों पर बेचना पड़ रहा है। लिंकेज कोयला की खरीदारी के लिए बी.सी.सी.एल. व इ.सी.एल. के करीब 152 लिंकेज होल्डर (भट्ठा मालिक) लिस्टेड हैं, लेकिन कोयला माफिया के सिंडिकेट के डर और 1150 रू. की रंगदारी नहीं देने के कारण 50 प्रतिशत लिंकेज होल्डर खरीददारी में हिस्सा तक नहीं लेते। बचे हुए 50 प्रतिशत होल्डर एफ.एस.ए. (फ्यूल सप्लाई) एग्रीमेंट से बाहर होने के डर से भाग लेते हैं, लेकिन कोयला की खरीददारी जितनी मात्रा में होनी चाहिए, उतनी खरीददारी नहीं करते हैं। ऑफर निकलने के बावजूद भी बाघमारा की कोलियरियों में कोयला की बिक्री नहीं होने से बी.सी.सी.एल. प्रबंधन को लिंकेज के कोयला को पॉवर प्लाण्टों को बेचना पड़ रहा है। लिंकेज होल्डर को ऑफर के तहत एक टन कोयला 3866 रू. में बेचा जाता है, जबकि यहीं कोयला पॉवर प्लाण्टों को सप्लाई देने पर बी.सी.सी.एल. को 2000 रू. प्रति टन ही मिलता है। ऐसे में लिंकेज के 50,000 टन कोयला पॉवर प्लाण्टों को देने से बी.सी.सी.एल. को प्रति माह 9 करोड़ 33 लाख व सालाना करीब 111 करोड़ 96 लाख का नुकसान हो रहा है। लिंकेज कोयला की बिक्री बाघमारा क्षेत्र में प्रतिमाह लगभग 50,000 टन एवं कुल मिलाकर साल का करीब 6,00,000 टन नहीं हो पा रहा है। केंद्र व राज्य सरकारों की बात करें तो

लिंकेज होल्डरों द्वारा प्रति टन कोयला पर करीब 1063 रू. टैक्स दिया जाता है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को प्रतिमाह 53 लाख 15 हजार रू. व सालाना करीब 63 करोड 78 लाख रू. का नुकसान हो रहा है। अगर इन क्षेत्रों में माफियाओं का दबदबा है तो इन कोलियरियों के लिए एक स्थान पर कोयला स्टॉक किया जाए एवं वहीं से उसकी बिक्री की जाए। अन्यथा इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। कोल इण्डिया, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को हो रहे राजस्व के नुकसान से संबंधित यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।

अतः केंद्र सरकार से मेरा आग्रह होगा कि इन कोलियरियों में लिंकेज होल्डरों को समुचित सुरक्षा प्रदान करते हुए माफियाओं पर अंकुश लगाया जाए, ताकि लिंकेज होल्डर पूरा ऑफर लगा सकें। साथ ही इस पूरे मामले की सी.बी.आई. जाँच कराई जाए, ताकि कोल इण्डिया सहित केंद्र व राज्य सरकारों को जो राजस्व का नुकसान अभी तक हुआ है, उसका पता चल सके।

(तेरह) डेयरी क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय को कृषि आय के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री देवजी एम. पटेल (जालौर) : ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 70 प्रतिशत मवेशी छोटे, मझोले और सीमान्त किसानों के पास हैं, जिनकी पारिवारिक आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा दूध बेचने से प्राप्त होता है। डेयरी की प्रगति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अधिक संतुलित विकास होगा। दूध ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा के साथ ही जीवन की सुरक्षा भी देता है। दूध देने वाली एक गाय या भैंस पालना किसानों को आत्महत्या करने तक से बचा सकता है। आज डेयरी उद्योग कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा है यथा-संगठित डेयरी फार्म का अभाव, निवेश की कमी, मशीनों और उपकरणों की ऊंची कीमतें। दूध जल्द खराब होने वाला प्रोडक्ट है इसलिए प्रोसेसिंग और उसे पाउडर, बटर, घी, पनीर जैसे लम्बे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट में बदलना लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत है। अतः डेयरी फार्म से आने वाली आय को कृषि आय घोषित किया जाये।

(चौदह) गुजरात के भरूच जिले में एक प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : भारत सरकार द्वारा "प्लास्टिक पार्क की स्थापना " की स्कीम बनाई गई है। इसके लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रस्ताव किए गए हैं।

गुजरात भारत में एक विकास इंजन के रूप में उभरा है। पूरे गुजरात में कई किस्म के उद्योगों का विकास हुआ है। आज तक गुजरात में आठ वाइब्रेन्ट समिट हुए हैं। इसमें देश-दुनिया के जाने माने उद्योग घराने बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं एवं इसमें भारी मात्रा में निवेश भी किया है। गुजरात में वर्ल्ड क्लास प्लास्टिक एक्सपो भी हो चुका है।

गुजरात में प्लास्टिक उद्योग का विकास भारी मात्रा में हो रहा है तथा उसक भविष्य भी उज्ज्वल है। इसको बढ़ावा देने के लिए गुजरात राज्य के भरूच जले के सायका गांव में एक प्लास्टिक पार्क के लिए दरख्वास्त केंद्र सरकार को भेजी गई है। हाल ही में अन्य राज्यों में प्लास्टिक पार्क की मंजूरी दे दी गई है।

अतः मेरी मांग है कि गुजरात में प्लास्टिक पार्क के निर्माण हेतु गुजरात सरकार की दरख्वास्त को जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, जिससे गुजरात में उद्योग जगत में विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

(पंद्रह) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी के मुख्यालय को हटाए जाने के निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डॉ. जे. जयवर्धन (चेन्नई दक्षिण) : हाल ही में, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी (सिपेट) के महानिदेशक से सिपेट का मुख्यालय चेन्नई से दिल्ली-एनसीआर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है। यह राज्य और प्लास्टिक उद्योग के लिए एक बड़ा आघात है। सिपेट एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है जिसे 1968 में चेन्नई में स्थापित किया गया था और जो उस समय से लेकर आज तक पूरे भारत में फैला है। तमिलनाडु देश के सबसे औद्योगिकीकृत राज्यों में से एक है, जहाँ ऑटोमोबाइल, हेवी इंजीनियरिंग, चिकित्सा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख उद्योगों में प्लास्टिक के विविध उपयोग की आवश्यकता है। उद्योग और सिपेट दोनों को राज्य की आर्थिक प्रगति से लाभ मिला है। सिपेट के मुख्यालय को चेन्नई से स्थानांतरित करने का कारण इसके भौगोलिक स्थान को बताया गया है। वर्तमान समय में उपलब्ध उन्नत संचार एवं परिवहन व्यवस्थाओं को देखते हुए, एक राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय दिल्ली-एनसीआर में स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है; इसके स्थान पर विभिन्न तकनीकी विकल्पों का सहारा लिया जा सकता है। वास्तव में, यह पूरे दक्षिणी राज्यों से चेन्नई में संस्थान होने का लाभ छीनने जैसा होगा; साथ ही मुख्यालय के स्थानांतरण से जुड़ी लागतें, लॉजिस्टिक्स और कठिनाइयों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। अतः रसायन और उर्वरक मंत्रालय को सिपेट के मुख्यालय को चेन्नई से स्थानांतरित करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए।

(सोलह) अमरीका में भारत के सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े पेशेवर लोगों को सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. सौगत राय (दमदम) : अमेरिका में राष्ट्रपति के आप्रवासन संबंधी बयान के बाद भारतीयों पर हुए हमले एक चिंता का कारण बन गए हैं। आंध्र प्रदेश के भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ श्रीनिवास कुचिभोटला को 22 फरवरी को ओलैथे, कंसास में एक अमेरिकी द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि उनके मित्र आलोक मदसानी गंभीर रूप से घायल हो गए। एक और भारतीय, हर्निश पटेल, एक किराना दुकान के मालिक को दक्षिण कैरोलिना के लैंकेस्टर में उनकी दुकान बंद करते समय मार दिया गया। फिर 4 मार्च को दीप राय नाम के एक और भारतीय पर वॉशिंगटन राज्य के केंट में हमला किया गया। एच-1बी वीजा से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए विदेश सचिव के अमेरिका दौरे के बावजूद, अमेरिकी सरकार ने स्पष्ट किया है कि एच-1बी वीजा पर अभी रोक है। शीर्ष भारतीय अधिकारियों ने अपनी ओर से यह वकालत की कि इसे एक व्यापार और सेवा मुद्दे के रूप में देखा जाए न कि आप्रवासन मामले के रूप में । अमेरिकी सरकार ने कार्य से संबंधित वीजा कार्यक्रमों की पुनर्रचना करने और एच-1बी वीजा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कार्यकारी आदेश तैयार किया है। इस संदर्भ में अमेरिकी कांग्रेस में एक अलग विधेयक भी पेश किया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह हमारे आईटी कंपनियों और पेशेवरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए और साथ ही इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठाया जाए ताकि भारतीय प्रवासियों के मन से असुरक्षा की भावना को दूर किया जा सके ।

(सत्रह) महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के नियंत्रण तथा इसकी रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती अपरूपा पोद्दार (आरामबाग) : भारतीय महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर के मामले आम तौर पर देखने को मिलते हैं और यह भारत में महिलाओं की मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। सर्वाइकल कैंसर सामान्यत: महिलाओं को 35 वर्ष की उम्र में होता है और यह 55 से 64 वर्ष की आयु में चरम पर पहुंचता है। निवारक उपचार और टीकाकरण द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। 100 से अधिक देशों ने सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध टीकाकरण की प्रभावी व्यवस्था की है। भारत के ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में सर्वाइकल कैंसर के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सामुदायिक स्क्रीनिंग शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है।

(अठारह) देश में लापता हुए बच्चों के बारे में

श्री रवीन्द्र कुमार जेना (बालासोर) : लापता बच्चों के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2014 (जून तक) के बीच 3.25 लाख से अधिक बच्चे लापता हुए, जो कि औसतन हर साल लगभग 1 लाख बच्चों के लापता होने के बराबर है। अधिक चिंता की बात यह है कि लापता बच्चों में 55% लड़कियां हैं और लापता बच्चों में से 45% का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जिससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि उन्हें या तो मार दिया गया है या भीख मांगने या यौन उत्पीड़न के जाल में फंसा दिया गया होगा। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया जाए ताकि इस मुद्दे पर विस्तार से योजना बनाई जा सके और इसे लागू किया जा सके, जिससे हमारे देश में लापता बच्चों की समस्या का समाधान हो सके।

(उन्नीस) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक नया रेलवे जोन स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अनकापल्ली) : भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 के तहत यह आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश में एक नया रेलवे जोन स्थापित किया जाएगा, जिसमें तीन डिवीजन अर्थात् विजयवाड़ा, गुंटूर और गुंटकल तथा पूर्वी तट रेलवे का वाल्टेयर डिवीजन शामिल होगा।

लगभग एक दशक से, एक नया रेलवे जोन स्थापित करने की मांग की जा रही है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम हो, कारण कि वर्तमान वाल्टेयर डिवीजन पूर्वी तट रेलवे जोन में सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाला डिवीजन है। वाल्टेयर डिवीजन की कुल आय वर्ष 2013-14 में लगभग रु. 6,280 करोड़ है, जो पूर्वी तट रेलवे जोन के कुल वार्षिक राजस्व का लगभग 50% है।

विशाखापत्तनम को 2 प्रमुख बंदरगाह होने का स्वाभाविक लाभ है। विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है। वाल्टेयर डिवीजन में सबसे बड़ा लोको शेड और एक उत्कृष्ट कोच रखरखाव डिपो है।

विशाखापत्तनम एशिया में सबसे तेजी से विकसित होता हुआ शहर है, जिसमें पूर्वी नौसेना कमान, एन.एस.टी.एल., बी.एच.ई.एल., बी.ए.आर.सी., एच.पी.सी.एल. रिफाइनरी, हिंदुजा पावर प्रोजेक्ट आदि जैसे कई प्रतिष्ठित संगठन हैं, तथा वर्तमान वाल्टेयर रेलवे डिवीज़न में चिकित्सा, शैक्षिक, खेलकूद, बुनियादी ढांचा आदि सभी सुविधाएं मौजूद हैं, जो नए रेलवे जोन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं।

आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद, राज्य में एक नए रेलवे जोन के गठन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है क्योंकि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। यह स्पष्ट है कि पूर्वी तट रेलवे के वाल्टेयर डिवीजन को दक्षिण मध्य रेलवे के तीन डिवीजनों के साथ मिलाकर

आंध्र प्रदेश को एक नया रेलवे जोन देना और विशाखापत्तनम को प्रस्तावित नए रेलवे जोन का मुख्यालय बनाना एक आदर्श विकल्प होगा।

(बीस) तेलंगाना में कोथापल्ली-मनोहारबाद-अक्कानापेट-मेढक रेल लाइन हेतु पर्याप्त निधियों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी (मेडक) : मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान कोथापल्ली-मनोहराबाद-अक्कानापेट -मेडक रेलवे लाइन की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जिसका निर्माण कार्य अभी जारी है।

चूंकि इस रेलवे लाइन का निर्माण हाल ही में शुरू हुआ है, मंत्रालय को इस काम को शिघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियाँ आबंटित करने की जरूरत होगी।

नवगठित पिछड़े राज्य तेलंगाना में रेललाइन की आवश्यकता को देखते हुए, मैं माननीय रेल मंत्री से इस परियोजना के शीघ्र पूरा करने हेतु वर्तमान बजट में पर्याप्त निधियां आबंटित करने का अनुरोध करता हूं।

(इक्कीस) प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत चिकित्सा सहायता राशि की सीमा को बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के अंतर्गत गरीब रोगियों को आपातकालीन सर्जरी जैसे हृदय शल्य चिकित्सा , किडनी प्रत्यारोपण और कैंसर उपचार आदि के लिए अधिकतम सहायता राशि को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया जाए। अचानक होने वाली बड़ी सर्जरी या अस्पताल में भर्ती होने पर उससे संबंधित खर्च गरीब और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों पर असहनीय बोझ डाल देता है। मैंने ऐसे कई गरीब मरीजों की अपीलें भेजी हैं, जिनके लिए सर्जरी के लिए न्यूनतम 15 लाख रुपये की आवश्यकता थी, लेकिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के तहत केवल 3 लाख रुपये ही मिल सके। हालांकि पीएमएनआरएफ के तहत मिलने वाली सहायता कुछ राहत प्रदान करती है, लेकिन पूरे इलाज के लिए आवश्यक राशि की तुलना में यह बहुत कम है। इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि वे राहत राशि को बढ़ाने पर विचार करें।

(बाईस) देश में कृषि क्षेत्र का विकास करने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : चालू वर्ष में खाद्यान्न का उत्पादन गत 5 वर्षों की तुलना में सबसे आधिक 271.98 मिलियन मीट्रिक टन है। यह एक सुखद समाचार है किंतु अधिक उत्पादन से देश के किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कर्ज के भुगतान से विवश किसान आर्थिक संकट से घिरा हुआ है। कर्ज उपलब्ध कराने की सरकारी व्यवस्था किसान के आर्थिक संकट को निपटाने में समर्थ नहीं है। 1951 में देश का किसान परिवार बैंकों के माध्यम से 7.2 प्रतिशत ऋण प्राप्त करता था जो अभी 2013 तक 56 प्रतिशत ही ऋण इस स्रोत से ले पा रहा है। नेशनल सेम्पल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2002-2003 में भारतीय किसान की मासिक आय 2,115 रूपये थी जो 2012-2013 में बढ़कर 6,426 रूपये हो गयी। इस दशक में किसान की आय बढ़ी परन्तु किसान द्वारा आत्महत्या करने की विवशता भी बड़ी दिखायी देती है। मेरा विचार है कि देश की समृद्धि गाँव की समृद्धि के साथ जुड़ी है और गॉव की समृद्धि खेती की खुशहाली पर निर्भर है।

इसलिये मेरा आग्रह है कि सरकार देश में विकास के मॉडल पर पुनः विचार करे। सरकार देश में किसान की समृद्धि के लिये खेती के विकास पर बल देते हुए योजना युद्धस्तर पर लागू करे और वर्तमान कृषि विकास योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन कर जवाबदेह आधार पर खेती के विकास के लिए परियोजनायें तैयार करे।

(तेईस) पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

एडवोकेट जोइस जॉर्ज (इडुक्की) : पश्चिमी घाट में पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ई.एस.ए.) से संबंधित मुद्दा अभी भी सरकार के पास लंबित है। सरकार ने उच्च स्तरीय कार्य समूह (एच.एल.डब्ल्यू.जी.) द्वारा प्रस्तावित ई.एस.ए. को अधिसूचित करने के लिए 3 मसौदा अधिसूचनाएं जारी की हैं। परंतु अंतिम अधिसूचना अभी जारी नही की गई है। हालाँकि, दिनांक 13.11.2013 के आदेश के अनुसार प्रतिबंध और विनियमन अभी भी लागू हैं, जो प्रस्तावित ई.एस.ए. में विकासात्मक गतिविधियों में बाधा डाल रहे हैं। विभिन्न राज्यों द्वारा जमीनी कार्य और सीमांकन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और उनकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी गई है। केरल सरकार ने ई.एस.ए. को वन क्षेत्र तक ही सीमित कर दिया है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह जन बसावटों, कृषि भूमि और बागानों को ई.एस.ए. से बाहर रखते हुए, शीघ्रातिशीघ्र अंतिम अधिसूचना जारी करे।

———————

अपराह्न 2.45 बजे

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016

(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सभा में अब मद संख्या 12 – प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर विचार किया जाएगा।

माननीय मंत्री जी, कृपया आरंभ करें।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस सम्माननीय सभा में प्रगतिशील प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 प्रस्तुत करना मेरे लिए सम्मान और सौभाग्य की बात है।

भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में श्रम को महत्वपूर्ण माना गया है तथा औपचारिक क्षेत्र में महिला कामगारों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। हालांकि, गर्भावस्था और प्रसव के बाद महिलाओं की देखभाल गंभीर चिंता का विषय रहा है। इसी वजह से श्रम विषय समवर्ती सूची में होने के बावजूद, विभिन्न विधान सभाओं और संसद ने कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कई विधान पारित किए हैं।

अतएव, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 इस प्रकार एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को प्रसूति प्रसुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

इस अधिनियम के द्वारा कतिपय स्थापनों में महिला कर्मचारियों के नियोजन का विनियमन होता है तथा इसमें प्रसूति तथा कतिपय अन्य प्रसुविधाओं का उपबंध है।

इस अधिनियम का उद्देश्य परिवार को सुरक्षित करना और महिला कामगारों के मामले में प्रसूति प्रसुविधा में एकरूपता सुनिश्चित करना है। यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 के अनुरूप है, जो प्रसूति प्रसुविधा से संबंधित है।

महोदय, यह अधिनियम प्राथमिक रूप से खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग, बागानों, दुकानों और अन्य स्थापनाओं पर लागू होता है, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिसमें सरकार के अधीन कोई भी स्थापना शामिल है, सिवाय उन स्थापनों के जो ईएसआईसी अधिनियम के तहत आते हैं। हालांकि राज्य सरकारें केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ इसे अन्य स्थापनों पर भी लागू कर सकती हैं।

महोदय, यह अधिनियम वर्ष 2008 में संशोधित किया गया था जिसमें प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत दिये जानेवाले चिकित्सा बोनस की निर्धारित अधिकतम सीमा को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया, यदि नियोक्ता द्वारा निःशुल्क प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान नहीं की जाती है। साथ ही, चिकित्सा बोनस की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपये तक करने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया।

हमारे 44वें, 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलनों में आवश्यक प्रसुविधा अर्थात् चिकित्सा बोनस को बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने भी इस अधिनियम के तहत मातृत्व अवकाश बढ़ाने का अनुरोध किया है। आईएलसी, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा अन्य संगठनों की सिफारिशों के आधार पर, अब हमने प्रसूति प्रसुविधा को दो जीवित बच्चों तक के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का तथा दो से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह का प्रस्ताव किया है। साथ ही, अधिकृत माताओं और गोद लेने वाली माताओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा 12 सप्ताह रहेगी।

हमने इस विधेयक में माताओं को घर से काम करने की सुविधा (वर्क फ्रम होम) भी प्रदान की है। 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक स्थापना में शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना

अनिवार्य किया गया है। साथ ही, प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपनी महिला कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के समय ही लिखित रूप में या ईमेल माध्यम से इस विधेयक के तहत प्राप्त होने वाले मातृत्व लाभों की जानकारी देनी होगी। इस विधेयक का उद्देश्य नवजात शिशु को उसे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि में संपूर्ण मातृत्व देखभाल देने के उद्देश्य से प्रसूति प्रसुविधाओं में वृद्धि करना है। । वर्तमान संशोधन विधेयक में प्रस्तावित वर्धित लाभों का श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे महिला कर्मचारियों के कार्य और जीवन में बेहतर संतुलन आएगा। सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है कि मां और बच्चे का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाए। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे।

महोदय, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस देश में संगठित क्षेत्र में नियोजित माताओं को लाभ होगा। यह कदम माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की दूरदर्शी सोच के अनुरूप है। यह न केवल महिला कार्यबल को लाभान्वित करेगा, बल्कि देश की समग्र आर्थिक वृद्धि में उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इविधेयक को इस सम्माननीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।"

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर) : महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। आज सुबह मेरे मन में यह विचार आया कि क्या यह विधेयक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में प्रस्तुत किया गया है क्योंकि कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। मेरा मानना है कि यह विधेयक संगठित क्षेत्र में कार्यरत उन महिलाओं की समस्याओं को संबोधित करता है जो गर्भवती हैं या स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। लेकिन यह केवल भारत की महिलाओं से संबंधित नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी की कार्यक्षमता, उनका स्वास्थ्य और उनकी बाहरी व आंतरिक शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि हम गर्भावस्था के दौरान अपनी महिलाओं की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं और प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने की अवधि में महिलाओं का कितना समर्थन करते हैं। यह विधेयक भले ही महिलाओं के जीवन के एक विशेष चरण पर केंद्रित हो, लेकिन इस विधेयक को किस तरह लागू किया जाता है, इसका सीधा असर हमारे देश की आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। आखिरकार, शारीरिक रूप से शक्तिशाली महिला ही एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म दे सकती है जो कि बाद में चलकर राष्ट्र निर्माण में भाग लेगा।

महोदय, यह विधेयक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि समय-समय पर, भारतीय विधि आयोग सहित विभिन्न मंचों से यह लगातार मांग उठती रही है कि प्रसूति प्रसुविधा अवधि को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक रूप से यह बात बार-बार कहे जाने की मंशा हमारे देश में महिला कार्यबल की भागीदारी को बढ़ाना है। यदि हम इसमें वृद्धि कर पाते हैं तो यह सीधे-सीधे हमारे आर्थिक विकास दर और समग्र अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए मैं इसे केवल महिलाओं से जोड़कर या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जोड़कर नहीं देखती बल्कि ऐसा मानती हूँ कि इस विधेयक का व्यापक सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पड़ेगा तथा यह निश्चित रूप से देश के भविष्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

इस विधेयक पर बात करने वाली पहली वक्ता के रूप में मैं मुख्य संशोधनों पर संक्षेप में बात करना चाहूंगी। प्रसूति प्रसुविधा उन संगठित क्षेत्रों पर लागू होगा जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और इसकी अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दी गई है। इस प्रकार, यह कारखानों, खदानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा तथा विशेष रूप से जहां यह अवधि अपेक्षित प्रसव तिथि से केवल छह सप्ताह पहले तक लागू होती थी, यदि मुझे अच्छे से याद है। अब, यह प्रसव की अपेक्षित तिथि से आठ सप्ताह पहले की भी हो सकती है, जो एक सराहनीय संशोधन है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि यदि आपके दो या उससे अधिक बच्चे हैं, तो यह अवधि 12 सप्ताह हो जाएगी। इस विधेयक में “अधिकृत माताओं" का एक नया प्रावधान जोड़ा गया है। गोद लेना भले ही नया विषय नहीं है, लेकिन अधिकृत माताएँ वे महिलाएं होती हैं, जो सरोगेसी के माध्यम से बच्चे पैदा करने के लिए किसी अन्य महिला की सेवाएं लेती हैं। ऐसे मामलों में, यदि संतान तीन महीने से कम उम्र की है, तो प्रसूति प्रसुविधा की अवधि 12 सप्ताह होगी। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा, किसी भी प्रतिष्ठान में यदि 50 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो क्रेच (शिशु देखभाल केंद्र) की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। सभी महिला कर्मचारियों को अपने बच्चे से मिलने के लिए शिशु देखभाल केंद्र में कम से कम चार बार जाने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रसूति प्रसुविधा अवधि के दौरान, नियोक्ता और कर्मचारी आपसी सहमति से 'वर्क फ्रॉम होम' यानी घर से कार्य करने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

अब मूल प्रश्न यह उठता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए प्रसूति प्रसुविधा क्यों आवश्यक है? यदि हम अपने देश के आँकड़ों पर ध्यान दें, तो स्थिति काफी चिंताजनक है। हाल ही में, 'सेव द चिल्ड्रन' जैसी एक प्रतिष्ठित संस्था द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, वैश्विक मातृत्व सूचकांक में भारत 179 देशों में से 140वें स्थान पर है। यह आंकड़े इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वैश्विक मातृत्व सूचकांक के लिए एक राष्ट्र के रूप में भारत का स्थान मातृ स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल जैसे मापदंडों के आधार पर तय किया जाता है। यह तथ्य भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध

है कि भारत के कार्यबल में केवल 25 प्रतिशत महिलाएं वेतनभोगी कार्य में शामिल हैं, जबकि वैश्विक औसत लगभग 40 प्रतिशत है।

मुझे इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। सीधे तौर पर, इस विधेयक से केवल संगठित क्षेत्र की लगभग 18 लाख गर्भवती महिलाएं ही लाभान्वित होंगी। ऐसा इसलिए है, क्योंकि 90 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं जो श्रम बल का हिस्सा हैं,असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार सवाल यह है कि यदि हम कहें कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 इस जरूरत को पूरा कर रहा है, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे सुनिश्चित करें कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के बीच समानता स्थापित की जाए। अन्यथा, इस नए विधेयक का लाभ देश की अधिकांश कार्यरत महिलाओं तक नहीं पहुंचेगा।

इसके अलावा, जहां तक प्रसूति प्रसुविधा का प्रश्न है, यह कार्यस्थल पर पुरुष और महिला को समान रूप से देखने के दृष्टिकोण को सीधे प्रभावित करता है।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

यह विधेयक अत्यंत प्रगतिशील प्रतीत होता है, किंतु मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह निजी क्षेत्र में महिलाओं की भर्ती के लिए एक अवरोधक न बन जाए। आज यदि कोई 22, 23 या 24 वर्ष की युवती नौकरी के लिए आवेदन करती है, तो नियोक्ता के मन में पहला विचार यही आएगा कि क्या इस सक्षम और योग्य महिला को नियुक्त करने के कारण उसे अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा? क्योंकि इस विधेयक के अनुसार, संपूर्ण प्रसूति प्रसुविधा का व्यय नियोक्ता को स्वयं वहन करना होगा। इसमें सरकार द्वारा किसी वित्तीय सहायता का प्रावधान नहीं है। साथ ही, जैसा कि कई विकसित देशों में इस संबंध में सामाजिक बीमा का प्रावधान देखने को मिलता है, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है । ऐसे में, मेरा प्रश्न है कि क्या यह सुविधा वास्तव में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के बजाय उनके रोजगार को कठिन नहीं बना देगी?

इस समस्या को दूर करने के दो उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय तो यही है कि सरकार स्वयं इसमें आंशिक वित्तपोषण या सामाजिक बीमा जैसी किसी योजना का प्रावधान करे। दूसरा, एक अभिनव उपाय यह हो सकता है कि पितृत्व अवकाश को भी अनिवार्य कर दिया जाए। यदि पुरुष और महिला दोनों को समान अवकाश का अधिकार प्राप्त होगा, तो यह धारणा समाप्त हो जाएगी कि केवल महिला ही अवकाश लेगी, और इस प्रकार महिला के रोजगार में बाधा नहीं आएगी।

महिला और बाल विकास मंत्री ने भी माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा है, लेकिन मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि जिस तरह माननीय महिला और बाल विकास मंत्री ने किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया था, अधिनियम में एकल पुरुष को बच्चा गोद लेने का अधिकार प्रदान किया है, यद्यपि वे बालिका को गोद नहीं ले सकते। उसी तरह एकल पुरुष को भी पितृत्व अवकाश का अधिकार दिया जाना चाहिए। आज यदि कोई एकल पुरुष एक शिशु को गोद लेता है, और उसे पूर्ण भुगतान अवकाश नहीं मिलता, तो क्या यह उसके साथ भेदभाव नहीं होगा? ऐसे में, मेरा सरकार से आग्रह है कि चाहे वह पुरुष विवाहित हो या अविवाहित, उसे भी महिला के समान पितृत्व अवकाश का अधिकार दिया जाए।

इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण विषय है जो अधिकृत (कमीशनिंग) माताओं और विधिक रूप से गोद लेने वाली माताओं के संबंध में है उनके लिए शर्त यह रखी गई है कि वह जो शिशु गोद लेते हैं वह तीन माह से कम आयु का होना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि यदि कोई चार या पांच माह का शिशु सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है या गोद लिया गया है, तो उसे इस लाभ से वंचित क्यों किया जाए? यदि इसके पीछे कोई विशेष औचित्य है, तो मैं आग्रह करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय अपने उत्तर में उसे स्पष्ट करें। इसके अलावा, एक और पहलू है । यदि किसी महिला के दो से अधिक बच्चे हो जाते हैं, तो उसके लिए मातृत्व अवकाश की अवधि घटाकर 12 सप्ताह कर दी जाती है। मैं इस संबंध में कुछ कहना चाहूंगी क्योंकि मेरा इस पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण भी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने परिवार में चौथी संतान हूं। मेरी तीन बड़ी बहनें हैं। यदि जब मैं पैदा हुई उस मेरी माता कार्यरत होतीं, तो क्या यह न्यायोचित होता कि मेरे पालन-पोषण के समय उन्हें कम अवकाश मिलता, जबकि मेरी बहनों को अधिक मिला? मुझे इस पर आपत्ति है। क्योंकि तीसरे या चौथे संतान को भी उतना ही अधिकार मिलना चाहिए, जितना पहले या दूसरे बच्चे को मिला है। मुझे संदेह है कि कहीं इस प्रावधान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से परिवार नियोजन नीति को लागू करने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। मैं अनुरोध करती हूं कि सरकार इस पर भी स्पष्टीकरण दे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : महोदय, साक्षी महाराज जी हमेशा लोगों से आग्रह करते हैं कि आप दस बच्चे पैदा करें। तो, उस विषय में यह विधेयक कैसे काम करेगा?

माननीय उपाध्यक्ष : सरकार की नीति अलग है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे हमेशा ऐसी दलील देते हैं और सब ताली बजाते हैं कि सबको दस बच्चे पैदा करने चाहिए। इसके बारे में क्या? तब, यह अधिनियम लागू नहीं होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : किसी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई व्यक्तिगत राय सरकार की राय नहीं है। सरकार की नीति भिन्न है। परिवार नियोजन एक सरकारी नीति है, अतः इसे अपने हिसाब से नहीं लिया जा सकता।

… (*व्यवधान*)

कुमारी सुष्मिता देव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में स्वयं मां और शिशु के कल्याण की बात कही है। यदि मेरी सरकार वही करना चाहती है जो वह कहती है, तो मैं अनुरोध करती हूँ कि तीसरे और चौथे बच्चे पर लगाई गई इस सीमा को हटाया जाए।

अंत में, शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा की बात आती है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जहां 50 या उससे अधिक कर्मचारी हों, वहां क्रेच की व्यवस्था अनिवार्य होगी। अब मेरा सवाल यह है कि यदि उन 50 कर्मचारियों में सभी पुरुष हों तो क्या फिर भी क्रेच की अनिवार्यता होगी? इसलिए, मेरा सुझाव है कि इसे पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए कि यदि किसी संस्थान में पांच, तीन या एक महिला भी कार्यरत हो, तो उस स्थिति में शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। अन्यथा, यदि कोई 50 पुरुष कर्मचारियों वाला संस्थान है तो शिशु देखभाल केंद्र की अनिवार्यता का कोई तर्क नहीं रह जाता। मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि माताओं को चार बार ही शिशु देखभाल केंद्र जाने तक सीमित न किया जाए। विश्वभर में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ 'मातृत्व' अवकाश या स्तनपान अवकाश की व्यवस्था महिलाओं की आवश्यकता के अनुसार होती है। इसलिए दो, तीन, चार बार जैसे सीमित आंकड़े तय करना उचित नहीं है क्योंकि इसका इसके लिए ठोस तर्क नहीं है।

मैं यह कहना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी, मैं और मेरे सहकर्मी इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि सरकार ने श्रम क्षेत्र में अनेक सुधार लाए हैं। परंतु केवल प्रदर्शन पर्याप्त नहीं है, बल्कि विधायिका में लाए जा रहे कानूनों में गहन सोच और गंभीरता भी आवश्यक है ताकि वे वास्तव में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

और, मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करती हूँ कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता जन्म से ही सुनिश्चित करना संभव नहीं है। प्रकृति ने हमें भिन्न बनाया है और यही ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन हमारा कर्तव्य है, चाहे हम समाज के सदस्य हों या सरकार के मंत्री, कि हम इस व्यवस्था में हस्तक्षेप करें जो इन शारीरिक बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करे और हमारे संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आदर्शों को साकार करें।

इसके साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ और अपने दल का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (बीड) : महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया।

इस विधेयक में मुख्य रूप से प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। जिसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना है। आज सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मिलने वाली विभिन्न जानकारियों से पता चलता है और यह सर्वविदित भी है जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इसकी सिफारिश करता है कि बच्चों को उनके बेहतर शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कम से कम छह माह तक केवल मां का दूध पिलाया जाना चाहिए। इससे माताओं के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

आज जब हम देश में कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, तो क्या हमारी पहली प्राथमिकता यह नहीं होनी चाहिए कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पर्याप्त पोषण और विश्राम प्रदान किया जाए? जब हम कहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, तो क्या केवल युवाओं की संख्या मायने रखती है या यह भी जरूरी है कि हमारे युवा स्वस्थ भी हों? इस दृष्टि से, मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

इसमें अधिकृत माताओं और गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह की छुट्टी प्रदान करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा, इस संशोधन विधेयक का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रत्येक ऐसे संस्थान में, जहां 50 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, एक निश्चित दूरी के भीतर शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यहाँ मैं महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल का उल्लेख करना चाहती हूँ, जिसके तहत सरकारी संस्थानों/कार्यालयों में 'हिरकणी कक्ष' नाम से एक विशेष कक्ष का प्रावधान है, जहां वे माताएँ जो काम करती हैं, अपने शिशुओं को स्तनपान करवा सकती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की पहल अन्य राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा भी शुरू की जानी

चाहिए। जब हम सरकारी कार्यालयों में इस तरह की व्यवस्था लागू करेंगे तो निजी क्षेत्र में भी इसे लागू करना आसान हो जाएगा।

इस संशोधन में एक और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि कार्य की प्रकृति ऐसी है कि वह काम घर से किया जा सकता है तो महिलाओं को घर से कार्य करने की सुविधा दी जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर संस्थान को अपने महिला कर्मचारियों को नियुक्ति के समय लिखित एवं ईमेल के माध्यम से मातृत्व लाभों की जानकारी देना अनिवार्य होगा। जहां तक मैं समझती हूँ, यह प्रावधान केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही लागू होगा। लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं का क्या? उन्हें उनके अधिकारों और मातृत्व लाभों के विषय में कौन जागरूक करेगा?

अगर हम असंगठित क्षेत्र की बात करें, उन की बात करें जो बड़े प्रतिष्ठानों में कार्यरत नहीं हैं या खेतों में कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कामगारों का क्या होगा? गन्ना काटने वाले श्रमिकों का क्या होगा? ये लोग केवल जिलों के भीतर ही नहीं, बल्कि राज्यों के बीच भी छह से सात महीने तक प्रवास करते रहते हैं। जब ये महिलाएँ लगातार प्रवास कर रही हैं, तो हम उनके लिए कौन-सी सुविधाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं? मेरा मानना है कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

यदि सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं के लिए काउंसलिंग अनिवार्य कर दे, जैसे हम एचआईवी की जांच से पहले अनिवार्य करते हैं, तो यह एक अच्छा कदम होगा। जब हम संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उन संस्थानों को भी महिलाओं को उनके मातृत्व लाभों के अधिकारों की जानकारी देनी चाहिए, चाहे वे संगठित क्षेत्र से संबंधित हो या असंगठित क्षेत्र से। इसी माध्यम से हम एक बड़े तबके तक पहुँच सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं तक पहुँचने और उन्हें उनके लाभों के बारे में जागरूक करने का कोई और प्रभावी माध्यम है।

असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को *जननी सुरक्षा योजना* और *मातृत्व सहयोग योजना के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए,* जिनके तहत उन्हें प्रसव के लिए 6000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

मातृत्व अवकाश बढ़ाने से नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। कुछ देश जैसे सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका ने इस दिशा में एक मिश्रित मॉडल अपनाया है, जिसमें नियोक्ता और सरकार दोनों मिलकर खर्च वहन करते हैं। हमारे देश में भी इस प्रकार का मॉडल अपनाने पर विचार किया जा सकता है।

हमारे देश में निजी कंपनियाँ अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत भी लाभांश का एक भाग सामाजिक कार्यों पर खर्च करती हैं। मेरा मानना है कि आने वाली स्वस्थ पीढ़ी का विकास भी सीएसआर कार्यों में शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ गैर-सरकारी संगठन भी इस कार्य को अपने उद्देश्यों में शामिल कर सकते हैं।

मैं अपने भाषण के माध्यम से माननीय मंत्री जी को केवल दो सुझाव देना चाहती हूँ, पहला कि इस संशोधन में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए और दूसरा, पितृत्व अवकाश का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य सुश्री सुष्मिता देव ने भी अपने भाषण में पितृत्व अवकाश को विधेयक में शामिल करने की मांग की है। आज के समय में जब एकल परिवारों का चलन बढ़ता जा रहा है, अगर कोई दंपत्ति किसी छोटे शहर में अपने कार्य के कारण रह रहा है और यदि माँ मातृत्व अवकाश लेती है, तो पिता की भी समान जिम्मेदारी बनती है। वह पितृत्व अवकाश लेकर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि पितृत्व अवकाश का प्रावधान भी इस विधेयक में होना चाहिए।

इस पर अधिक विस्तार से न बोलते हुए, मैं अपने भाषण को इस बात के साथ समाप्त करना चाहती हूँ कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो केवल इस विषय पर बात करना पर्याप्त नहीं है। बल्कि अब समय आ गया है कि हम वास्तव में अपनी महिलाओं को इतना सशक्त करें

कि वे बिना किसी दबाव या अपराधबोध के अपने निर्णय स्वयं ले सकें। क्योंकि मातृत्व केवल एक चरण नहीं है, बल्कि वह एक जीवन पद्धति है जो एक महिला तभी से जीने लगती है जब वह गर्भधारण करती है। तो हम उन महिलाओं को अपने बच्चे के पालन-पोषण और अपने करियर के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करें? क्यों न हम उन्हें एक बेहतर माँ बनने के साथ-साथ एक सफल पेशेवर और परिवार की आर्थिक सहायक बनने का अवसर भी प्रदान करें?

अंत में, मैं सभी महिलाओं को कल के महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद।

[7*]**श्रीमती एम. वसन्ती (तेनकासी) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वणक्कम। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। महिलाएं किसी राष्ट्र के लिए आंख और दृष्टि के समान होती हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएँ हमारे देश की आधी आबादी हैं और यह आवश्यक है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए। इस प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक को विशेष रूप से गर्भावस्था के दौरान मातृ स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से लाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी संस्थाएँ, जो स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती हैं, ने मातृत्व अवकाश की अवधि को कम से कम 24 सप्ताह तक बढ़ाने का सुझाव दिया है ताकि समुचित मातृ और शिशु देखभाल सुनिश्चित की जा सके। भारतीय विधि आयोग ने वर्ष 2015 में श्रम कानूनों में बदलाव करने की सिफारिश की थी, विशेष रूप से मातृत्व अवकाश की अवधि को 24 सप्ताह तक बढ़ाने की। भारतीय विधि आयोग ने असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की थी। इस विधेयक के अंतर्गत 1961 के प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में संशोधन लाने का प्रस्ताव है। इसी पृष्ठभूमि में, यह विधेयक मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रस्ताव रखता

[7*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

है, और अब इसे लोक सभा में विचार करने और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक को 11 अगस्त 2016 को राज्य सभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया था।

यदि हम दुनिया के अन्य देशों की बात करें, तो केवल ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को 52 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है। भारत में मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाकर कम से कम हमने इस लक्ष्य के आधे तक पहुंचने का प्रयास किया है। लेकिन जब हम अपनी तुलना अन्य देशों से करते हैं, तो हम बेहतर स्थिति में हैं। इस प्रावधान को सरकारी क्षेत्र में लागू करना आसान हो सकता है, लेकिन असली चुनौती इसे निजी और असंगठित क्षेत्रों में लागू करने में है। लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन क्षेत्रों की कार्यरत महिलाएँ भी इससे लाभान्वित हों। मैं इस विधेयक के उस प्रावधान का स्वागत करती हूँ जो महिलाओं को विशेषकर गर्भावस्था के दौरान घर से काम करने की सुविधा देता है यदि उनके कार्य की प्रकृति इसकी इजाजत दे। एक अन्य प्रावधान गर्भवती महिलाओं को केवल दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की अनुमति देता है। यदि उनके दो से अधिक बच्चे हैं तो वे केवल 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश ही ले सकती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आपने यह संशोधन देश में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित किया है। माताएँ जिनकी गोद ली हुई संतान तीन महीने से कम आयु की है, उन्हें 12 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश लेने की अनुमति गई है। मैं इस प्रावधान का स्वागत करती हूँ। मैं अधिकृत माताओं को 12 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश की अनुमति देने के प्रस्ताव की भी सराहना करती हूँ। इससे खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को बहुत लाभ होगा। यह विधेयक 50 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यस्थलों पर शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना को अनिवार्य करता है। सरकार को मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। तमिलनाडु राज्य सरकार, जो पूर्व मुख्यमंत्री पुरात्ची थलाइवी अम्मा के नक्शे कदम पर काम कर रही है, महिलाओं, विशेष रूप से महिला कामगारों की देखभाल के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। जब माननीय अम्मा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थीं, तब उन्होंने नियम 110 के तहत एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि सरकारी महिला कर्मचारियों

के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने की जाएगी। महिला कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र में 9 महीने का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश प्रदान किया गया। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा एक सरकारी आदेश भी जारी किया गया था। यह एक शानदार उपलब्धि है, जिसे हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। सरकारी महिला कर्मचारी स्वयं यह निर्धारित कर सकती हैं कि वे गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक, किस दिन से 9 महीने के मातृत्व अवकाश का लाभ लेना चाहती हैं। जो महिला कर्मचारी पहले से अवकाश पर हैं, वे भी इस मातृत्व अवकाश का लाभ उठा सकती हैं और अपने अवकाश की अवधि बढ़ा सकती हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय पुरात्ची थलाइवी अम्मा के पदचिह्नों पर चलते हुए, तमिलनाडु राज्य सरकार महिलाओं, विशेषकर महिला श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है। तमिलनाडु में 20 नए कार्यशील महिला छात्रावासों की स्थापना की गई है। विवाह के समय शिक्षित महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ-साथ तिरुमंगल्यम (मंगलसूत्र) के लिए 8 ग्राम सोना भी प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका सुरक्षा योजना के तहत हर वर्ष लगभग 2.5 लाख बालिकाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत परिपक्वता लाभ प्राप्त करने की आयु सीमा को 20 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। एक महत्त्वाकांक्षी योजना के रूप में, तमिलनाडु में ''क्रेडल बेबी स्कीम' या पालना शिशु योजना लागू की गई है। समेकित बाल विकास योजना तमिलनाडु में हर वर्ष 1475 करोड़ रुपये के व्यय के साथ लागू की जा रही है। इस योजना के तहत लगभग 24 लाख 41 हजार आंगनवाड़ी बच्चे, 6 लाख 88 हजार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएँ लाभान्वित हो रही हैं। एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में, तमिलनाडु में विस्थापित श्रमिकों और उनके परिवारों को चल (मोबाइल) आंगनवाड़ी सेवाएं प्रदान की जाती हैं यानी ऐसी आंगनवाड़ी सेवाएं जो एक स्थान पर स्थायी रूप से न होकर, वाहन आदि के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर जाकर बच्चों और माताओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं प्रदान करती हैं। अम्मा कैंटीन योजना के तहत महिला श्रमिकों को बिल्कुल नाममात्र शुल्क पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य की भी व्यापक रूप से रक्षा हो रही है। मैं इस बात पर बल देना

चाहती हूँ कि तमिलनाडु में सफलतापूर्वक लागू की जा रही इन अनेक कल्याणकारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की जानी चाहिए। यदि तमिलनाडु में लागू योजनाएँ पूरे देश में लागू करने योग्य पाई जाती हैं, तो केंद्र सरकार को भी इन्हें पूरे देश में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। मैं एक बार फिर प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2016 का अन्तर्मन से स्वागत करती हूँ। मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए पुनः धन्यवाद।

डॉ. रत्ना डे (नाग) (हुगली) : महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहती हूं यह विधेयक स्वागत योग्य है क्योंकि इसमें मातृत्व अवकाश को वर्तमान 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान शामिल है। जैसा कि सभा अवगत है, यह विधेयक जीवित दो बच्चों के लिए मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान करता है और यह प्रावधान उन सभी स्थापनों पर लागू होगा जहाँ 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधेयक में अधिकृत माताओं और गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान किया गया है तथा उन प्रतिष्ठानों के लिए शिशु देखभाल केंद्र सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है जहां कामगारों की संख्या 50 या उससे अधिक है। वर्तमान में, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में अधिकृत या गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुझे आशंका है क्योंकि कोई भी प्रतिष्ठान कानून के इस प्रावधान का पालन करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए, मैं सुझाव दूंगी कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों दोनों में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन हेतु एक सख्त निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए।

अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के मामलों को देखने लिए इस विधान में विकेन्द्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली की अवश्य व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकारी फ्रंटलाइन वर्कर जैसे आशा कार्यकर्ता, जो सभी महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का कार्य करती हैं; मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता; आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका; एवं मनरेगा के तहत कार्य करने वाली

महिलाओं सहित असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान किसी प्रकार की वेतन क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है।

मातृत्व अवकाश और इससे मिलने वाले लाभ का उद्देश्य मातृत्व के सम्मान की रक्षा करना है ताकि महिला और उसके बच्चे का जब वह कार्य नहीं कर रही हो, पूर्ण रूप से और स्वस्थ पोषण सुनिश्चित हो सके। आज के युग में जब अधिकाधिक महिलाएँ कार्यबल में शामिल हो रही हैं, यह सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है कि आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत महिला को अपनी संतान की देखभाल करते समय कोई समझौता न करना पड़े। अध्ययन बताते हैं कि अधिक लंबे मातृत्व अवकाश से स्वास्थ्य लाभ की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि उनके और उनके शिशु के स्वास्थ्य को कोई हानि न पहुंचे। महिलाओं को बच्चे को जन्म देने, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने और बच्चे को स्तनपान कराने के लिए पर्याप्त समय चाहिए होता है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि वे केवल गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के कारण अपनी नौकरी न खो दें। इस प्रकार की सुरक्षा महिलाओं को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराती है। महिलाओं की संख्या आर्थिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों में केवल 30 प्रतिशत है। जबकि वे कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत हैं, लेकिन केवल एक प्रतिशत महिलाएँ केंद्र और राज्य सरकार में कार्यरत हैं और मात्र तीन प्रतिशत महिलाएँ विधायी, प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी पदों पर कार्यरत हैं।

प्रसूति प्रसुविधा महत्वपूर्ण हैं क्योंकि कुपोषण आज भी एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है। भारत में, लगभग हर तीन में से एक बच्चा, यानी लगभग 4.8 करोड़ बच्चे, अविकसित हैं। बिना कोई लाभ दिए, किसी भी एकल माता के लिए अपने बच्चे को पर्याप्त पोषण प्रदान करना कठिन हो जाता है। एक माँ को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि उसका बच्चा सभी प्रकार की बीमारियों के खिलाफ पूरी तरह से टीकाकरण प्राप्त करे। भारत अब भी सभी बच्चों के 100 प्रतिशत टीकाकरण को सुनिश्चित

करने के लक्ष्य से बहुत दूर है। वास्तव में, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के पहले चरण के अनुसार, गोवा, सिक्किम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की दर सबसे अधिक है।

इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना एक सशर्त नक़द हस्तांतरण योजना है, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करना है। यह योजना 52 जिलों में 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए उनके पहले दो प्रसव/शिशुजन्म के लिए लागू की जा रही है। यह अनुमान है कि हर वर्ष लगभग 3 करोड़ महिलाएँ गर्भवती होती हैं। यदि प्रत्येक को ₹60,000 दिए जाएँ तो हर वर्ष ₹18,000 करोड़ की आवश्यकता होगी। हालाँकि, वर्तमान बजट में इस योजना के लिए केवल ₹400 करोड़ आबंटित किए गए हैं। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं अपने राज्य पश्चिम बंगाल का उल्लेख करना चाहूँगी। हमारे यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? असंगठित क्षेत्र में निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के मामले में, यदि बच्चा लड़का है तो ₹6000 और यदि बच्ची है तो ₹12000 की राशि प्रदान की जाती है। यदि महिला को तीन दिन के बाद भी अस्पताल में रहना पड़ता है तो उसे ₹200 प्रतिदिन की दर से सहायता दी जाती है।

पहले के समय में लोग संयुक्त परिवार में एक साथ रहा करते थे। उस समय जब कोई नवजात शिशु पैदा होता था तो पूरा परिवार उस नवजात शिशु की देखभाल करता था। अब, हमारे देश में एकल परिवार का चलन देखने को मिल रहा है जहां नवजात शिशु की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। माता-पिता को अपने नवजात शिशु की देखभाल के लिए हर संभव प्रयास करना पड़ता है। इसलिए, पिता के लिए भी पितृत्व अवकाश सुविधाएं आवश्यक हैं ।

पश्चिम बंगाल में हमारी मुख्यमंत्री ने 30 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान किया है। विधेयक में कहा गया है कि अन्य मामलों में मौजूदा 12 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा लागू रहेगी। जिन महिलाओं

के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें केवल 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे इस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि 12 सप्ताह का अवकाश किसी भी माँ के लिए पर्याप्त नहीं है। उसे बच्चे को एक निश्चित स्तर तक बड़ा करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, ताकि वह अपने कार्यस्थल पर लौट सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर अवश्य विचार करेंगे।

विधेयक के अनुसार मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह तक बढ़ाने की स्पष्ट प्रक्रिया होनी चाहिए। माताएँ अवकाश पर कब जाएँगी? यह 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश कब शुरू होगा? मेरे अनुसार, प्रसव से दो महीने पहले और प्रसव के चार महीने बाद का समय, आदर्श होगा। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे असंगठित क्षेत्र की महिलाओं का ध्यान रखें, जहां महिला कार्यबल कि संख्या सबसे अधिक है; और वहीं वे सबसे अधिक पीड़ित हैं। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों पर विशेष ध्यान देंगे।

मैं इस विधेयक के पीछे सरकार की सोच की सराहना करती हूं। हमें एक ऐसा भविष्य का निर्माण करना होगा जहाँ महिलाएँ भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के हर क्षेत्र में समान भागीदारी निभाएँ।

किसी भी बच्चे के लिए उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसकी माँ होती है। आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जहाँ हर महिला को अपने सपनों को साकार करने की पूरी स्वतंत्रता मिले और कोई भी शिशु शुरुआत के दिनों में माँ के काम पर जाने के कारण उसकी ममता से वंचित न रहे।

श्री तथागत सत्पथी (धेंकानल) : महोदय, मैं महिला वक्ताओं के बीच पहला पुरुष वक्ता हूं...

माननीय उपाध्यक्ष : आपके अलावा, अन्य वक्ता भी हैं। आपके बाद, सूची में शामिल अन्य वक्ताओं को बुलाया जाएगा।

श्री तथागत सत्पथी : मैं पहला पुरुष वक्ता हूं। अभी तक महिला वक्ता ही इस विधेयक पर अपना वक्तव्य दे रही थीं...

माननीय उपाध्यक्ष : सत्पथी जी, वे पहले से ही पुरुषों के लिए भी प्रावधान जोड़ने की सिफारिश कर रही हैं। महिला सदस्यों द्वारा पहले ही एक संशोधन पेश किया जा चुका है। वे चाहती हैं कि यह लाभ पिताओं को भी मिले।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, आज मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

हम इस सरकार द्वारा लगातार प्रस्तुत किए जा रहे आर्थिक विधेयकों से परेशान हो चुके हैं। ये सभी विधेयक कुछ चुनिंदा लोगों के लिए व्यापार को आसान बनाने के लिए लाए जा रहे हैं, जो पैसा कमाकर राजनीतिक पार्टियों को देंगे, और हम केवल उन कानूनों को पारित करने का बोझ झेल रहे हैं जो कुछ गिने-चुने भारतीयों को फायदा पहुंचाएंगे, न कि देश के आम लोगों को। आम भारतीय नागरिक कुछ दूसरी बातों को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। समय में खुद को सुधार करने की शक्ति होती है, और धीरे-धीरे समय ही बताएगा कि कौन सही था, कौन गलत था और देश के लिए क्या अच्छा था या नहीं था।

मुझे बहुत खुशी है कि हमारे श्रम मंत्री ने यह विधेयक पेश किया है जिसे मैं एक सामाजिक विधेयक मानता हूं। इसका अर्थव्यवस्था से तो कोई खास संबंध नहीं है; लेकिन इसका संबंध सामाजिक पहलू से ज्यादा है कि हमारे देश में लोग किस तरह रहते हैं, हम अपनी महिलाओं के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं और, वास्तव में अब समय बदलने के साथ महिलाएं कैसे रह रहीं हैं। इस संबंध में, मैं श्रम मंत्री जी को बधाई देने के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा और स्वास्थ्य सचिव श्री मिश्रा को भी बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने किशोरों के लिए इस लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुझे नहीं पता था कि यह सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा एक व्यक्ति पर केंद्रित रहता है जो सारे अच्छे काम का श्रेय स्वयं ले लेते हैं। बाकी सभी लोग, अच्छा काम करने वाले मंत्री और अधिकारी नजरंदाज हो जाते हैं। मुझे उनके लिए खेद है। उन्हें भी एक अवसर मिलना चाहिए। उन्हें भी सामने आने का अवसर दिया जाना चाहिए।

एक कहावत कही जाती है कि जब अंडा अंदर से टूटता है, तो एक जीवन का पादुर्भाव होता है; लेकिन जब अंडा बाहर से तोड़ा जाता है, तो जीवन नष्ट हो जाता है। अब यह आप सभी पर निर्भर है कि आप आंतरिक रूप से परिवर्तन और विकास लाकर एक नए भारत का निर्माण करें। तमाम अच्छी-बुरी चीजों के बावजूद हमें आज भी उम्मीद है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कदम उठाया है, वह बहुत ही सराहनीय है। यह एक प्रगतिशील पहल है जिसमें प्रशिक्षित शिक्षक और कर्मी स्कूलों में जाकर बच्चों को यह सिखा रहे हैं कि लड़कों के लिए रोना भी सामान्य बात है। हमारे घरों में, विशेष रूप से उत्तर भारत में जैसा कि महोदय आपने भी वर्षों तक देखा होगा कि एक सामाजिक व्यवहार देखने को मिलता है कि माता-पिता जब अपनी बेटी को पुकारते हैं, तो 'बेटी' शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे अक्सर कहते हैं, "बेटा इधर आओ।" वे कभी भी "*बेटी*" नहीं कहते जो आश्चर्यजनक है। यह एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। हम अपनी बेटियों को वह सम्मान नहीं दे रहे, जो उन्हें मिलना चाहिए। हम चाहते हैं कि वे बेटियाँ न होकर बेटा होते। कल्पना कीजिए कि अगर देश में केवल पुरुष ही होते, तो कैसी दुनिया होती!

इस लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को यह भी सिखाया जा रहा है कि समान लिंग के प्रति आकर्षण गलत नहीं है जो कि एक बिल्कुल न्यायसंगत सोच है। लड़कियों को यह भी सिखाया जा रहा है कि यदि वे किसी बात के लिए 'न' कहती हैं, तो उन्हें अपने विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए। हमारे समाज के रूढ़िवादी मानसिकता, गलत आचरण वाले पुरुषों को यह समझना होगा कि जब कोई महिला या लड़की 'न' कहती है, तो उसका अर्थ 'न' ही होता है और उन्हें सम्मानपूर्वक उनकी बात का सम्मान करना चाहिए। हमें यह सोच हमारे समाज के लोगों में बैठानी होगी।

मैं एक बार फिर से श्रम मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और उनके सचिवों को इस सराहनीय काम के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस पहल से बहुत प्रसन्न हूं।

अब, फिर से इस विधेयक पर आते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस सभा को पुरुषों और महिलाओं के वेतन के बीच मौजूद असमानता पर भी ध्यान देना चाहिए। आज भी इस क्षेत्र में समानता नहीं है। महिलाएं हमारे समाज में लगभग आधे भाग का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन हम इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। पुरुष और महिलाएं दो मुख्य कारणों से काम करते हैं, एक तो अपनी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के लिए; और दूसरा, विशेष रूप से महिलाएं इसलिए काम करती हैं क्योंकि उन्हें परिवार की आय में योगदान देना पड़ता है। ये दो प्रमुख कारण हैं जो किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस पुरुष प्रधान, पारंपरिक मानसिकता वाले देश में हम अपने जीवनसाथियों को बाहर जाकर काम करने देने में हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि अगर मेरी पत्नी, बेटी या मां काम कर रही है तो यह मेरे लिए शर्म की बात है, जैसे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां निभाने में असमर्थ हूं। यह एक पूरी तरह से गलत सोच है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां मेरी मां कामकाजी थीं, मेरी बहनें और मेरी पत्नी भी कामकाजी हैं। इसलिए, मैं कह सकता हूं कि मैंने किसी हद तक इस सोच से आगे बढ़ने की कोशिश की है, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल हुआ हूं। मेरे कुछ ऐसे मित्रजन होंगे जो इस बात से सहमत न हो।

राष्ट्र निर्माण के लिए मातृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें इस तथ्य पर भी विचार करना होगा। हमारे एक साथी वक्ता ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र बन रहा है। लेकिन हम इतनी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि उन्हें ठीक से शिक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं, न ही उन्हें शारीरिक रूप से सक्षम बना पा रहे हैं, और न ही उनके कौशल का विकास या उन्हें अपडेट कर पा रहे हैं। आज की सरकार 'कौशल विकास' का अर्थ केवल इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर या फिटर बनने से जोड़ती है। लेकिन मेरे लिए कौशल का अर्थ है सामाजिक कौशल है — यह कि क्या मैं अपने पड़ोसी से सभ्यता से बात कर सकता हूं? क्या मैं एक पुरुष या महिला से सम्मान के साथ बातचीत कर सकता हूं और वही सम्मान अपने लिए भी अपेक्षित कर सकता हूं? ये ऐसे कुछ बुनियादी कौशल हैं जिन्हें हम भारतीय, विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ी के लोग खोते जा रहे हैं। इसलिए, जनसंख्या वृद्धि को भी हतोत्साहित

करना जरूरी है। जब एक दंपति के दो जीवित संताने हो जाती हैं, तो तीसरे बच्चे तक तो 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देना ठीक है। लेकिन तीसरे जीवित बच्चे के बाद कोई मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए। यह 12 सप्ताह का अवकाश केवल एक दिखावा है और एक गलत परंपरा को बढ़ावा देगा। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। किसी सदस्य ने पहले कहा था और महोदय आपने कहा था कि यह उनकी व्यक्तिगत राय थी। मुझे नहीं पता कि वह कौन थे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम इस देश में बढ़ती जनसंख्या को इस तरह बढ़ावा नहीं दे सकते। हम उन्हें न ठीक से खिला पा रहे हैं, न शिक्षित कर पा रहे हैं, और न ही उन्हें बुनियादी सुविधाएं दे पा रहे हैं।

आज भी कॉरपोरेट जगत में मातृत्व को एक अवरोध की दृष्टि से देखा जाता है। हमें इस विषय पर नियोक्ता के दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए। यदि कानून के अनुसार नियोक्ता को एक महिला कर्मचारी को इतने लंबे समय तक वेतन सहित अवकाश देना अनिवार्य कर दिया जाए, तो इसका एक दुष्परिणाम यह होगा कि नियोक्ता महिलाओं को काम पर रखने से पहले सोचा करेंगे। वे अपनी कार्यबल में महिलाओं की संख्या को सीमित कर देंगे। 'घर से काम' करने से संबंधित जो प्रावधान इस विधेयक में है, वह स्पष्ट नहीं है। विधेयक में न तो यह स्पष्ट है कि इसकी परिभाषा क्या है, और न ही यह कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा।

इस विधेयक में एक प्रभावी शिशु देखभाल केंद्र और बाल देखभाल सुविधा का प्रावधान किया गया है, लेकिन उस पर भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। हमने पहले भी देखा है कि अस्पष्ट रूप से परिभाषित कानून बनाने से नियमों को तोड़ने वालों को बहाने बनाने का अवसर मिल जाता है। इसलिए, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि तीसरे बच्चे के बाद सरकार को कोई ऐसा प्रस्ताव लाना चाहिए जिससे महिलाओं को करियर की ओर ध्यान देने और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, क्योंकि महिलाएं वास्तव में बेहतर कर्मचारी सिद्ध हो सकती हैं। मैं दो समाचार पत्रों का उदाहरण दे सकता हूं, जिनमें इस विषय पर उपयोगी सामग्री प्रकाशित हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष : परिवार नियोजन नीति दो बच्चों के मानदंड की बात करती है। लेकिन आप तीसरे बच्चे के बारे में भी कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होना चाहिए।

… (*व्यवधान*)

श्री तथागत सत्पथी : तब तो हम चौथे, पांचवें, छठे, सातवें बच्चे और आगे भी आगे तक की बात करते रहेंगे। क्यों नहीं?

मुझे नहीं पता कि भारतीय पौराणिक कथाओं में किसके हजार बच्चे थे। हमारे किसी गुरु या पंडित जी को इसकी जानकारी अवश्य ही होगी। आप अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, या अपनी बेटियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना देते हैं जैसे वे किसी उत्पादन लाइन का हिस्सा हों। अंततः यह सब लड़का पैदा करने और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न रख पाने का मामला है।

पितृत्व अवकाश पर विचार करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? एक पूर्व वक्ता ने सुझाव दिया था कि पुरुषों को भी कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए। यदि वे वास्तव में किसी बच्चे को गोद लेते हैं, यदि वे कानूनी तौर पर किसी अनाथ बच्चे को गोद लेते हैं, चाहे वह परिवार के भीतर से हो या बाहर से, तो क्या आप उनके लिए भी पितृत्व अवकाश प्रदान करने पर विचार करने को तैयार हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां परिवार के पुरुष सदस्यों ने अपने परिवार के ही बच्चों को गोद ले लिया है, जिनके माता-पिता की मृत्यु दुर्घटना या अन्य कारणों से हो गई थी। तो, क्या आप इस पर भी विचार करने को तैयार हैं?

मैं एक बार फिर सरकार और श्रम मंत्री को इस विधेयक पर उनके वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं। हमें खुशी है कि सरकार अब सामाजिक समस्याओं की ओर भी ध्यान दे रही है। सरकार यदि ऐसे सामाजिक सुधारों की दिशा में कार्य करती है तो हम उन्हें पूरा समर्थन देंगे न कि उनके किसी गलत कार्यों में, बल्कि उन सभी अच्छे कार्यों में जो सामाजिक हित में हैं। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2016 के ऊपर माननीय मंत्री महोदय ने जो बिल प्रस्तावित किया है, उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम अंग्रेजी में कहते हैं कि बच्चा एक माँ को जन्म देता है।

अपराह्न 3.42 बजे (श्री हुक्मदेव नारायण यादव पीठासीन हुए)

मां होना बहुत बड़ी बात होती है। हम भाग्यवान हैं कि उस मां की कोख से हमारा जन्म हुआ। लेकिन, जब परिवार आगे बढ़ता गया तो दिक्कतें मालूम पड़ने लगीं। भगवान की दया से आज जो परिवार की पाबंदी है, वह उस वक्त नहीं थी। हमारा परिवार भी बहुत बड़ा है। चार बहनें हैं, पत्नी है, बेटी है और सभी नौकरियां करने वाली हैं। यह सब देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें क्या-क्या दिक्कतें होती हैं। आपने 26 हफ्तों की प्रसुति छुट्टी की एक अच्छी सुविधा का प्रावधान किया है। सर्विस करने वाली महिलाएं, खासकर हमारे मुम्बई शहर में हम देखते हैं तो हमें उन पर बहुत गर्व होता है कि वे बेचारी क्या-क्या नहीं करती हैं। वे कितनी दूर से आती हैं? 30-40, 50-60 किलोमीटर की दूरी से नौकरी के लिए मुम्बई आती हैं, परिवार की सारी दिक्कतें देखती हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, पढ़ाती हैं, नौकरी करती हैं और फिर वे भीड़ में जाने वाली ट्रेनों से सफर भी करती हैं। ऐसी स्थिति में जब वे गर्भिणी होती हैं, तो वे क्या-क्या दिक्कतें महसूस करती हैं, उसका कोई अन्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मैंने एक बार रेलवे की मीटिंग में मांग की कि हमारी लोकल ट्रेनों में भी महिलाओं के डिब्बे में टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। पहले तो शुरू

में उसे किसी ने सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने कहा कि जब बारिश में ट्रेन दो स्टेशनों के बीच रूक जाती है और उस समय बाढ़ आई होती है, पानी भरा होता है और वे बेचारी अन्दर हैं, वह गर्भिणी है, नीचे कूद नहीं सकती। उस अवस्था में उसे किस-किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यह उसी को पता है। वहां टॉयलेट की भी सुविधा नहीं है।

हाल ही में मुम्बई में मेट्रो रेल दो स्टेशनों के बीच बंद पड़ी। मेट्रो रेल की तो और भी बुरी हालत है। वहां तो कहीं कूद भी नहीं सकते। वह तो ए.सी. है। बिजली गयी, गाड़ी बंद है। अंदर सफोकेशन हो रहा है और महिलाएं उसमें हैं, गर्भिणी महिला उसमें है।

बच्चे को जन्म देने के बाद उसे क्या-क्या सुविधाएं देनी हैं, हमने सिर्फ यह सोचा है, या उसके एक महीने पहले उसे क्या सुविधाएं देनी हैं। मगर, उसके पहले जो दिक्कतें उन्हें महसूस करना पड़ता है, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा।

अब रही बात 26 हफ्ते की, तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि एस.ई.जेड. में यह कानून लागू होगा या नहीं होगा, यह मुझे बताना होगा। एस.ई.जेड. में आई.टी. सेक्टर आया है और आप जानते हैं कि इस सेक्टर में नौकरी लगाते समय बहुत सारी कंपनियों का नाम तो दिया जाता है कि यह कंपनी ऐसा काम करती है, वह कंपनी वैसा काम करती है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि उस महिला को नौकरी देने के समय पूछा जाता है कि शादी हुई है, कब शादी करने वाली हो, अगर शादी करोगी तो बच्चा पैदा करने का क्या समय होगा, बच्चा पैदा करने का प्लानिंग क्या है? ये कंपनियां नौकरी दे रही हैं या हमारी दुनिया भर की जांच कर रही हैं। ऐसा क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको छुट्टी देनी पड़ेगी, अगर छुट्टी देते हैं तो तनख्वाह भी देना पड़ेगा। यह छुट्टी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते होगी, तो छह महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी। वह पेड लीव होगी।

अब एस.ई.जेड. में हमारी जो महिलाएं नौकरी करती हैं, क्या आपने इन सारी एस.ई.जेड. कंपनियों के बारे में सोचा है? ऐसा मुझे नहीं लगता है। यह मेरी प्रार्थना है कि यह कानून हर जगह

लागू होनी चाहिए। जैसा कि अभी हमारी भगिनी ने कहा कि क्या यह कानून अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर में लागू होगा? उन्होंने जो उल्लेख किया, मैं खास कर जान-बूझकर उसका दोबारा उल्लेख करूंगा कि जो हमारी महिलाएं सूगर केन इंडस्ट्री में गन्ना काटने के लिए आती हैं, वे गांव छोड़कर वहां आती हैं और दूसरे राज्यों में भी जाती हैं। क्या गन्ने की फैक्ट्री वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये बेचारी महिलाएं अपने बच्चों को खेत में धूप में छोड़ती हैं या पेड़ के नीचे रख देती हैं, फिर गन्ना काटने के लिए जाती हैं। अभी यह बच्चा दो महीने का भी नहीं हुआ है, उसको बेचारी महिलाएं ऐसे ही छोड़ देती हैं। वे ऐसी गरीबी में क्या करेगी? अभी उसको यह पता नहीं है कि मातृत्व सुरक्षा के तहत उसे 6 हजार रूपये मिलते है। वह गन्ना काटने के लिए एक गांव से निकलकर दूसरे राज्य में आयी हैं। आपको सूगर केन इंडस्ट्री को भी इसके बारे में कहना होगा, क्योंकि ये आप की डायरेक्टली एम्पलायमेंट नहीं है। [अनुवाद] लेकिन वे आपके यहां अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, कार्यरत हैं; और यदि वह गर्भवती है या उसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है, तो कंपनी को कम से कम बच्चे के लिए शिशु देखभाल केंद्र की व्यवस्था करने की थोड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। [हिन्दी] इन सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने एस.ई.जेड. की बात कही है।

मुझे एक बात और कहनी है, आपने यह अच्छा प्रावधान किया है कि जहां दस और इससे ज्यादा लोग हैं, इनके ऊपर कंट्रोल को कौन देखेगा? इसके लिए अपनी कौन-सी टीम होगी? यह कैसे मालूम चलेगा कि वह छुट्टी देता है या नहीं देता है। वहां पर यूनियन भी फार्म नहीं होने देते हैं। आपको पता नहीं होगा कि ये लेबर लॉ को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। [अनुवाद] अब आप उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्रों में श्रमिक संघ बनाने की अनुमति दे रहे हैं लेकिन जहाँ 50 से कम श्रमिक हैं, वहाँ आप उन्हें यूनियन बनाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। [हिन्दी] यह तो अभी आप कानून बना रहे हैं कि यह एक हजार तक होगा, तब ही लेबर यूनियन बना सकते हैं। अगर वह एक हजार तक के लिए लेबर यूनियन नहीं बना सकता हैं तो दस वाले को कौन देखेगा। इसको आप कैसे देखेंगे? इसके लिए आपके पास कौन-सी प्लानिंग है जिससे इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन कर सकेंगे। ये मेरी थोड़ी सी क्वेरिज़ और मैं इस बिल का स्वागत करते हुए कहता हूं कि इसको अच्छी तरह इम्पलीमेंट करने की जो रूल्स

बनाएंगे, उस रूल में एस.ई.जेड., अन-अर्गनाइज्ड सेक्टर और खासकर यह जो दस का लेबर लॉ कहता है, जहां पर पचास या सौ होंगे, वहां पर लेबर लॉ लागू नहीं होगा, जहां हजार है वहां लेबर लॉ लागू नहीं होगा तो इनको कौन देखने वाला है। जब लेबर लॉ ही लागू नहीं है तो फिर यह कैसे लागू होगा। इसको कौन देखेगा?

माननीय सभापति : अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अरविंद सावंत : सर, मैं एक सेकेंड लूंगा। मैं फिर दोबारा इस बिल का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैंने आपके सामने जो समस्या प्रकट किया है, उसका निराकरण आप किस तरह से करेंगे, मैं इसका भी उत्तर चाहता हूं। धन्यवाद, सभापति महोदय।

[अनुवाद]

डॉ. रवीन्द्र बाबू (अमलापुरम) : *धन्यवाद!* श्री नारा चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी की ओर से, हम इस प्रगतिशील विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

मेरी माननीय मंत्री से एक विनम्र सुझाव है। इस विधेयक में जो प्रसूति प्रसुविधा प्रसव के बाद दी जा रही है, मेरी विनती है कि इन लाभों को तभी से दिया जाए जब कोई महिला गर्भवती होती है। जैसे ही कोई महिला गर्भधारण करती है, उसी समय से उस पर विशेष ध्यान और लाभ दिए जाने चाहिए। उदाहरण के तौर पर, एयर इंडिया में कतिपय पेशागत खतरों को देखते हुए, जैसे ही कोई महिला कर्मचारी गर्भवती होती है, उसे प्रसव से लेकर प्रसव के बाद छह माह तक पूरे वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है, क्योंकि वे दबाव वाले केबिनों में काम करती हैं, जिससे गर्भपात की संभावना रहती है। इसी प्रकार, मातृत्व अवकाश या प्रसूति प्रसुविधा देने के स्थान पर, गर्भवती होने के दिन से ही महिलाओं को गर्भावस्था प्रसुविधा और गर्भावस्था अवकाश दिया जाना चाहिए।

महोदय, किसी महिला की समस्याओं, गर्भावस्था की शारीरिक जटिलताओं को समझने के लिए स्वयं एक लड़की के रूप में जन्म लेना पड़ता है। रजस्वला होने की अवस्था से लेकर रजोनिवृत्ति तक, एक लड़की को होने वाली समस्याओं को समझना, यहां तक कि सुनना भी बहुत कठिन होता

है। मासिक धर्म की समस्याओं, गर्भपात और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं को तो छोड़ ही दें, उसे इस कालावधि में काफी तनाव से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा पोषण संबंधी परेशानियाँ, और समाज की ओर से भेदभाव- ये सभी एक लड़की की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। हाल के दिनों में लिंग निर्धारण की एक और समस्या सामने आई है। यदि दुर्भाग्यवश यह ज्ञात हो जाए कि गर्भ में कन्या है, तो उस महिला पर पूरे परिवार और समाज का कहर टूट पड़ता है। परिवार और समाज के सभी लोग उसे बेटी को जन्म देने के लिए कोसते हैं।

एक महिला के रूप में जन्म लेने के कारण उन्हें पेशागत खतरों के साथ-साथ आनुवंशिक समस्याओं तथा सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। 'एक्सएक्स' गुणसूत्रों के कारण उन्हें यौवन से लेकर रजोनिवृत्ति तक जीवनभर हार्मोनल परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और बहुत सारे सामाजिक भेदभावों से संघर्ष करना पड़ता है।

इसलिए, माननीय मंत्री जी को मेरा विनम्र सुझाव है कि प्रसव के बाद प्रसूति प्रसुविधा देने के बजाय, बल्कि गर्भधारण के दिन से ही ये लाभ दिए जाएं। यह सभी महिलाओं के प्रति सच्ची भेंट होगी। हमने कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। यदि हम वास्तव में महिलाओं का सम्मान करना चाहते हैं, तो गर्भधारण के क्षण से लेकर स्तनपान की अवधि तक सभी आवश्यक लाभ उन्हें देने चाहिए। यदि कोई लड़की 16 या 18 वर्ष की उम्र में गर्भवती हो जाती है, तो गर्भपात का खतरा अधिक होता है। ऐसे में यदि उसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाए तो उसके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। … (*व्यवधान*)

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात) : महोदय, 16 वर्ष की आयु किसी भी संगठन में कार्य करने या गर्भवती होने की वैध आयु नहीं है … (*व्यवधान*)

डॉ. रविन्द्र बाबू : महोदया, ऐसे कई मामले हैं जहां 14 साल की लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। … (*व्यवधान*) यह गलत है लेकिन ऐसा हो रहा है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू : महोदया, हम भारत में रहते हैं। यहाँ हमें ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। … (*व्यवधान*)

कुमारी सुष्मिता देव (सिल्चर) : यदि आप उस उम्र की बच्चियों को लाभ देने का सुझाव दे रहे हैं, तो क्या आप इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं... (*व्यवधान*)

डॉ. रविन्द्र बाबू : महोदया, मैं कोई न्यूनतम आयु निर्धारित करने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है, उसे लाभ मिलने शुरू हो जाने चाहिए — जो भी उसकी पात्र आयु हो, प्रसव तक तथा प्रसव के छह महीने के बाद भी जब तक माँ स्तनपान कराती है। स्तनपान की अनिवार्य अवधि होती है, जिसमें शिशु का स्वास्थ्य पूरी तरह मातृ स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। प्रसूति प्रसुविधा उचित है, क्योंकि मां का स्वास्थ्य ही शिशु या बच्चे के स्वास्थ्य को निर्धारित करता है।

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपस में बात मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. रविन्द्र बाबू : मैंने किसी विशेष आयु वर्ग की बात नहीं की है। … (*व्यवधान*) मैं 14 वर्ष की आयु को केवल रजस्वला होने की आयु के रूप में उल्लेख कर रहा था। यह गर्भवती होने की आयु नहीं है। मुझे खेद है कि आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि एक लड़की जिन पीड़ाओं का सामना करती है, उन्हें समझने के लिए हमें स्वयं एक महिला बनकर

जन्म लेना होगा, तभी हम उसकी पीड़ा को समझ पाएंगे। लड़की होना वास्तव में कठिन है। यही बात मैं इस सभा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूँ ... (*व्यवधान*) मेरा निवेदन केवल इतना है कि गर्भधारण के दिन से लेकर प्रसव तक और प्रसव के बाद छह महीने की अवधि तक लाभ दिए जाने चाहिए। यह कुल 12 महीनों की अवधि है।

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार : महिला होना कोई आनुवंशिक दोष नहीं है।

डॉ. रविन्द्र बाबू : मुझे नहीं पता कि आपने मेरी बात को किस प्रकार समझा। मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है कि जिस दिन एक लड़की गर्भवती होती है, उसी दिन से लेकर प्रसव और उसके बाद के छह महीने के स्तनपान अवधि तक, उसे सभी लाभ अनिवार्य रूप से दिए जाने चाहिए। यही मेरे भाषण का सार है। मैंने यह भी कहा कि एक महिला की पीड़ा को पूरी तरह से समझने के लिए व्यक्ति को स्वयं एक लड़की बनकर जन्म लेना पड़ेगा। जब एक लड़की रजस्वला से लेकर, जब वह यौवन प्राप्त करती है, और रजोनिवृत्ति तक के जीवन चरणों से गुजरती है, तब वह जिन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करती है, उन्हें पूरी तरह वही समझ सकता है जो स्वयं उन स्थितियों से गुज़रा हो। यही मैंने कहा था। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या गलतफहमी हो गई।

... <u>(व्यवधान)</u>

[हिन्दी]

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया आप बैठ जाइए।

... <u>(व्यवधान)</u>

डॉ. रविन्द्र बाबू : यही मेरी गंभीर चिंता है। मेरी चिंता बहुत व्यापक है — वह बचपन से शुरू होकर रजोनिवृत्ति तक और फिर जीवन के अंत तक जाती है। मैं जन्म से लेकर मृत्यु होने तक की बात कर रहा हूं। जन्म से लेकर मृत्यु होने तक, बालिकाओं के साथ भेदभाव होता है। उन कुछ समस्याओं के समाधान के लिए, मैं ये सुझाव दे रहा हूँ। यह स्पष्ट है कि उनके साथ भेदभाव होता है। इसीलिए, मैं

चाहता हूँ कि इन बातों को विधेयक में जोड़ा जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बात को सही रूप से समझा।

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड (भोंगीर) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

सबसे पहले, मैं माननीय श्रम मंत्री श्री बंडारू दत्तात्रेय जी को इस सामाजिक रूप से प्रगतिशील विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जिससे निःसंदेह कई माताओं को लाभ होगा। जैसा कि हम जानते हैं, प्रसव एक महिला के लिए दूसरा जीवन होता है। यह वास्तव में एक 'पुनर्जन्म' जैसा होता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं मानसिक तनाव, शारीरिक बदलाव और आर्थिक हानि से गुजरती हैं। श्रम मंत्रालय और 'लेबर रूम' के बीच इस बार एक विशेष प्रकार का संबंध देखने को मिल रहा है। यह पहली बार है जब श्रम मंत्रालय ने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जो 'लेबर रूम' में प्रसव कराने वाली माताओं को सीधा लाभ देगा। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ।

साथ ही, इस विधेयक के कुछ पहलुओं को लेकर मेरी कुछ शंकाएं हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि कि प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक को पेश करने के कारण भारत आज दुनिया में प्रसूति प्रसुविधा देने वाले देशों में तीसरे स्थान पर आ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कनाडा में 50 सप्ताह और नॉर्वे में 40 सप्ताह का प्रसूति प्रसुविधा अवकाश दिया जाता है, यह विधेयक पारित होने के बाद भारत 26 सप्ताह का प्रसूति प्रसुविधा अवकाश देगा, जो एक प्रगतिशील सामाजिक कदम है जो माताओं को लाभ पहुंचाएगा।

एक बात जिसे लेकर मैं थोड़ा चिंतित हूं, वह यह है कि हमारे देश की अधिकांश शिक्षित महिलाएं सॉफ्टवेयर उद्योग में कार्यरत हैं, जबकि अशिक्षित या कम शिक्षित महिलाएं कपड़ा उद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे महिला-केंद्रित श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

यह विधेयक जब कहता है कि 10 या अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों में महिला कर्मचारी को 26 सप्ताह का पूर्ण भुगतान अवकाश मिलेगा, तो यह संदेश तो अच्छा है। लेकिन हथकरघा या हस्तशिल्प जैसे महिला-प्रधान श्रम उद्योग में, मान लीजिए कि इस पूरे खर्च का भार यदि नियोक्ता पर ही डाला जाए, जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने बताया है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव महिला रोजगार पर पड़ सकता है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और विभिन्न अन्य देशों में वित्तपोषण के पैटर्न का अध्ययन करें। कई देशों में प्रसूति प्रसुविधा का वहन आंशिक रूप से नियोक्ता तथा आंशिक रूप से बीमा प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जिससे पूरा भार अकेले नियोक्ता पर नहीं आता और लंबे समय में यह महिला रोजगार को नुकसान नहीं पहुंचाता।

दूसरा, कुछ सदस्यों ने तीसरे बच्चे को लेकर आपत्तियाँ जताई है। वर्तमान विधेयक में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि 'दो जीवित बच्चे' होने की शर्त क्या है। मुझे लगता है कि आपको इसका उल्लेख करना चाहिए। अन्यथा, कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला ने दो बार प्रसूति प्रसुविधा लिया हो, लेकिन यदि उसके किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए तो नियोक्ता कह सकता है कि आपने पहले ही दो बार लाभ लिया है, अब तीसरी बार आप इसकी पात्र नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए विधेयक में 'दो जीवित बच्चे' की स्पष्ट परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए। मेरा मानना है कि हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी दो बच्चों की सीमा तय करना आवश्यक है।

हमारी कुछ महिला सांसदों ने पितृत्व अवकाश की बात भी की है, जो बहुत ही सराहनीय है। आज यह एक आवश्यकता बन गई है क्योंकि अधिकांश परिवार अब एकल परिवार बन चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि मां के देखभाल के लिए न तो ससुराल पक्ष से और न ही मायके पक्ष से कोई रिश्तेदार तुरंत उपलब्ध होता है। एक डॉक्टर के रूप में मैंने कई बार देखा है कि पति-पत्नी दोनों सिजेरियन डिलीवरी के लिए अस्पताल आते हैं और दोनों को वहीं रहना पड़ता है। ऐसे मामलों में

यदि पति को 8 से 12 सप्ताह का पितृत्व अवकाश दिया जाए, तो वह प्रसूता महिला को मानसिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से बहुत बड़ा सहारा दे सकता है।

जहां तक गोद लेने वाली और अधिकृत माताओं का सवाल है, तो यह बहुत ही उचित और सराहनीय प्रावधान है। आजकल मोटापा और पर्यावरणीय कारणों की वजह से बांझपन तेजी से बढ़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि एक प्रसिद्ध हस्ती ने सरोगेसी के माध्यम से बच्चा प्राप्त किया है। ऐसे मामलों में यदि गोद लेने वाली या अधिकृत (कमीशनिंग) माँ को 12 सप्ताह का अवकाश दिया जाए, विशेष रूप से उस महिला को जिसने अंडाणु डोनेट किए हों, तो यह एक अत्यंत स्वागतयोग्य कदम होगा।

अब बात करते हैं शिशु देखभाल केंद्र की व्यवस्था की। विधेयक में प्रस्ताव है कि 50 कर्मचारियों से अधिक वाले संस्थानों में यह सुविधा अनिवार्य हो। लेकिन मान लीजिए कि किसी संस्था में केवल 10 कर्मचारी हैं, जिनमें से पांच महिलाएं हैं और उनमें से दो की छोटी संतानें हैं, तो क्या वे इस सुविधा की पात्र नहीं हैं? मेरा निवेदन है कि यह संख्या आधारित नहीं बल्कि आवश्यकता आधारित व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस खंड पर नए सिरे से विचार करें, इसे संख्या आधारित न बनाकर आवश्यकता आधारित बनाएं।

अब यदि हम विभिन्न राज्यों में प्रसूति प्रसुविधा से जुड़े कानूनों को देखें, तो पाएंगे कि उनके प्रावधान एक समान नहीं हैं। जैसे कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के तहत, पूरा वेतन देने की जिम्मेदारी नियोक्ता की होती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत, यह साझा जिम्मेदारी होती है अर्थात राज्य और नियोक्ता दोनों की। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए केवल नियोक्ता फंड होता है, केंद्रीय सेवाएं- नियोक्ता फंड; तथा फैक्टरी के लिए भी केवल नियोक्ता जिम्मेदार होता है।

अब यदि हम वास्तविक आंकड़ों की बात करें, तो यह विधेयक केवल 2.18 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करता है, जबकि 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। इस प्रकार हम असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ देते हैं, जबकि वास्तव में उन्हें

ही सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता है। आप जरा कल्पना कीजिए एक घरेलू कामकाजी महिला की, जो या तो पूरे दिन काम करती है या साल भर पार्ट-टाइम काम करती है। उसे न तो कोई आकस्मिक अवकाश, न अर्जित अवकाश और न ही कोई चिकित्सा अवकाश प्राप्त है। अब अगर वह गर्भवती हो जाती है, तो ऐसे में यह विधेयक उसे क्या सुविधा प्रदान करेगा?

हमारे देश में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए कोई विशेष लाभ उपलब्ध नहीं है। मैं जानता हूँ कि एक योजना है जो संस्थागत प्रसव के लिए कुछ सुविधाएँ प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत ₹6,000 की राशि प्रसूति प्रसुविधा के रूप में दी जाती है। यह घोषणा हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विमुद्रीकरण के पश्चात की गई थी। हमारे राज्य में हमारी सरकार ने एक ऐसा कानून पारित किया है जिसके तहत किसी भी संस्थागत प्रसव के लिए ₹12,000 की राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही सरकार 'केसीआर किट' देने का भी प्रस्ताव रखती है, जिसमें नवजात शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं — जैसे मच्छरदानी, डायपर, बेबी फ़ूड आदि प्रदान की जाती हैं। जब तक हम असंगठित क्षेत्र में कार्यरत गर्भवती महिलाओं और प्रसूति माताओं के लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं करते, तब तक हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि सरकार के पास सीमित निधियाँ हैं, तो हमारे पास संव्यवहार श्रमिक निधि है, तो हम कुछ वस्तुओं पर एक मामूली अधिभार लगा सकते हैं। सरकार के पास एक निगम है जिसके माध्यम से इन मुद्दों को विशेष रूप से संबोधित किया जा सकता है। … (*व्यवधान*)

महोदय, आज भी भारत में लगभग 38 प्रतिशत नवजात शिशु एवं बच्चों में खून की कमी देखने को मिलती है और उनका विकास सामान्य से कम देखा जाता है। शिशु का अवरुद्ध विकास गर्भ में ही शुरू हो जाता है। अतः हमें इस समस्या की जड़ तक जाना होगा। हम इस विधेयक के प्रावधानों का अन्तर्मन से स्वागत करते हैं परंतु सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की स्थिति पर पुनः विचार करना चाहिए और उन्हें भी इस विधेयक के दायरे में लाया जाना चाहिए।

वे हमारी महिला-कार्यबल का मुख्य गढ़ हैं और लगभग 90 प्रतिशत महिला-कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ।

श्री पी.के. बिजू (अलथूर) : महोदय, मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस देश की गर्भवती महिलाओं और आने वाली पीढ़ी से संबंधित मुद्दों पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

महोदय, यह विधेयक मूल प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के दो से तीन उपबंधों में संशोधन करने हेतु लाया गया है। यह मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान करता है और साथ ही उन संस्थानों में, जहाँ 50 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, एक शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है।

महोदय, मैं इस विधेयक के प्रावधानों से संतुष्ट हूँ, लेकिन मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि हम इस दिशा में बहुत देर से आगे आए हैं। वैश्विक स्तर पर देखें तो कई देश अपने बच्चों के भविष्य के प्रति अधिक सजग हैं। उदाहरण के लिए, कोरिया में, सरकार माता को 60 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा और पिता को 30 सप्ताह का पितृत्व लाभ प्रदान करती है। जापान, नॉर्वे, आइसलैंड जैसे कुछ अन्य देशों में भी इसी प्रकार का प्रावधान मौजूद है। इस संबंध में हम अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं एक पेशेवर चिकित्सक नहीं हूं , लेकिन डॉ. रविंद्र बाबू ने कुछ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने यह अवश्य कहा कि माँ के स्वास्थ्य की चिंता आवश्यक है। प्रसव के बाद तो अवकाश और सुविधाएँ दी जा सकती हैं, लेकिन प्रसव से पहले, जब एक महिला गर्भवती होती है और वह अपने गर्भ में बच्चे को पाल रही होती है, हमें उस समय के लिए भी कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में इस संबंध में बुरे अनुभव से रूबरू होना पड़ा। पलक्कड़ जिले के आदिवासी क्षेत्र में 36 नवजात बच्चों की मृत्यु कुपोषण के कारण हुई। 2009 से

2014 तक मैं महिला और बाल विकास संबंधी स्थायी समिति का सदस्य था। हर वर्ष हमने इस मुद्दे पर चर्चा की। हमने पाया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय को कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। मंत्रालय ने सरकार से ₹1.25 लाख करोड़ की माँग की थी लेकिन अंततः उन्हें केवल ₹20,000 करोड़ ही स्वीकृत किए गए।

हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कुपोषण की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि हमारी स्थिति उप-सहारा अफ्रीकी देशों से भी पीछे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वैश्विक स्तर पर जो महिलाएं और बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं, उनमें से 44 प्रतिशत भारत में हैं। उन्होंने इस परिस्थिति को राष्ट्र के लिए अत्यंत शर्मनाक बताया। यह मुद्दा केवल श्रम मंत्रालय का नहीं है, बल्कि यह कई अन्य मंत्रालयों की भी जिम्मेदारी है।

मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह सभी मंत्रालयों के साथ इस पर चर्चा करें और इस स्थिति से निपटने के लिए एक ठोस प्रस्ताव लेकर आए तथा आई.सी.डी.एस. के लिए बजटीय आबंटन को बढ़ाया जाए ताकि इसका समुचित क्रियान्वयन हो सके और हमारे देश में कुपोषण के स्तर को कम किया जा सके।

महोदय, इस विधेयक में विधि मंत्रालय द्वारा एक संशोधन लाया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि उनका काम ऐसा है जो घर से किया जा सकता है, तो नियोक्ता महिला को घर से काम करने की अनुमति दे सकता है। यह एक ऐसा प्रावधान है जिसका भविष्य में दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है। हमें इस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। यदि किसी महिला को प्रसूति प्रसुविधा दी गई है, तो संबन्धित कंपनी इस आधार पर उस महिला को घर से काम करने के लिए बाध्य न करे। यह एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है।

विगत वर्षों में कई कंपनियाँ शुरू हुई हैं, यहाँ तक कि आईटी उद्योग भी एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। हाल ही में कुछ माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को सभा में भी उठाया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने एक विज्ञापन में उल्लेख किया था कि गर्भवती महिलाएं किसी पद विशेष के लिए आवेदन नहीं

कर सकतीं। यह अत्यंत शर्मनाक है। एयर इंडिया में भी ऐसा निर्देश रहा है, चाहे वह नियमों में लिखा हो या नहीं, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है। कुछ आईटी कंपनियां भी गर्भवती महिलाओं को आवेदन की अनुमति नहीं देतीं।

हमने मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह की है। हमें संबन्धित प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए। इससे देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कंपनियां गर्भवती महिलाओं को अपनी कंपनियों में नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। इससे देश में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर कम होंगे। हमें महिलाओं की सहायता करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

हमने यह कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमयों और राष्ट्रीय विधि आयोग के निर्देशों के तहत उठाया है।

एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस विधेयक में असंगठित क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया है और असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को इसमें संबोधित नहीं किया गया है। हमारे देश में 46 करोड़ श्रमिक हैं, जिनमें से 14 करोड़ महिलाएं हैं। राष्ट्रीय विधि आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों तक भी ये लाभ पहुंचाए जाने चाहिए, लेकिन इस विधेयक में वह कहीं परिलक्षित नहीं होता।

अतः, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए पर्याप्त प्रावधानों को इस विधेयक में शामिल किया जाए और उन्हें मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जाए। साथ ही, अन्य क्षेत्रों के श्रमिकों को भी यह लाभ मिलना चाहिए। निजी क्षेत्र अभी तक इस दिशा में पूरी तरह से तैयार नहीं है। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि निजी क्षेत्र में भी 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश को अनिवार्य बनाया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, प्रत्येक सत्र में, समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण के लिए विधेयक लाकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ।

मुझे यह याद है कि अपने एक भाषण में उन्होंने यह बताया था कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ उनकी माता खेत में मजदूरी किया करती थीं। मुझे लगता है कि वही माँ उनके सामने रही होंगी जब उन्होंने यह विधेयक तैयार किया।

कुछेक बिन्दुओं पर मुझे स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगी। उन्होंने स्पष्टतः महिलाओं को ध्यान में रखकर यह विधेयक तैयार किया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सभी विषयों को तर्कसंगत बनाया जाए। आपने इस विधेयक में सुधार लाने तथा महिलाओं के हित में इसे और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए लगातार नए-नए विचारों को अपनाया है।

<u>अपराह्न 4 .17 बजे</u> (श्री प्रह्लाद जोशी *पीठासीन हुए*)

परंतु, आज की स्थिति यह है कि कई विधेयक परस्पर अतिव्यापी हैं। कुछ माननीय सदस्य जो डॉक्टर हैं जिन्होनें महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता यह है कि बहुत-सी महिलाएँ अपने प्रसव के अंतिम दिन तक कार्य करती रहती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सभी महिलाओं को छह महीने की छुट्टी की आवश्यकता हो। कई महिलाएँ प्रसव के बाद बहुत जल्दी कार्य पर लौट आती हैं क्योंकि उनके पास घर पर एक अच्छी सहायक व्यवस्था होती है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हर महिला को वास्तव में इसकी आवश्यकता है। इसलिए मेरा पहला बिंदु यह है कि क्या यह संभव है कि 26 सप्ताह की यह अवकाश अवधि एक साथ लेने के बजाय विभिन्न चरणों में ली जा सके? क्योंकि हर महिला की परिस्थितियाँ और ज़रूरतें अलग होती

हैं। अगर यह सुविधा दी जाए कि वह इन छुट्टियों को आवश्यकतानुसार बाद के समय में भी उपयोग कर सकें, तो यह और अधिक व्यावहारिक होगा।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय असंगठित क्षेत्र का है, जिस पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आप हर गर्भवती के बारे में कैसे पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उसे सभी लाभ मिलें? यदि कोई महिला किसी पिछड़े गाँव या खेत में कार्यरत है, तो उसके गर्भवती होने की जानकारी और उस पर आवश्यक देखभाल कैसे सुनिश्चित होगी? यह सही है कि आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस कार्य में सहयोग करती हैं, परंतु क्या वह बुनियादी देखभाल उस महिला के लिए पर्याप्त है?

हमने कुपोषण पर चर्चा की, लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो छूट गया है, जो एनीमिया यानी खून की कमी से जुड़ा है। महिलाएँ स्वयं कुपोषित नहीं होतीं, लेकिन उनमें खून की कमी होती हैं, जिसके कारण वे कुपोषित बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यदि 73 प्रतिशत भारतीय महिलाओं में खून की कमी है, तो समस्या की जड़ वहीं है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ...(*व्यवधान*)

माननीय सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती सुप्रिया सुले : जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एनीमिक महिलाएं कुपोषित बच्चों को जन्म देती हैं। यही मेरा मुख्य बिंदु था।

इस विषय को केवल अवकाश तक सीमित न रखें। महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा श्रम मंत्रालय को इस प्रयोजनार्थ एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। केवल तभी यह योजना सफल हो सकती है।

श्री अरविंद सावंत जी ने महिला हित में बहुत सशक्त भाषण दिया। परंतु कुछ अन्य वक्तव्यों में हमें एक कमजोर लिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। हम अपने मातृत्व पर गर्व करती हैं। हम महिलाएं इतनी सक्षम हैं कि हम बच्चों को जन्म देने के बाद शीघ्र कार्य पर लौट

सकती हैं। यह महज एक छुट्टी नहीं है जिसे कोई हम पर उपकार करके दे रहा हो। इसे ऐसा ना समझा जाए कि हर बार जब महिला माँ बनने वाली है, तब हमें मजबूरी में उसे छह महीने की तनख्वाह देनी है। प्रश्न यह है कि विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, इस तनख्वाह का भुगतान कौन करेगा? यदि सरकार वास्तव में इस विषय में संजीदा है और महिलाओं की स्थिति को सुधारना चाहती है, तो उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। यह योजना उन महिलाओं के लिए नहीं है जो आईटी कंपनियों में कार्यरत हैं, जिनके पास पहले से ही दुगनी आय की सुविधा है। यह वास्तव में उन महिलाओं के लिए है जो समाज के सबसे निचले स्तर पर हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हम ऐसी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कैसे करें और यह सुनिश्चित करें कि उन्हें यह लाभ प्राप्त हो। यही वह व्यापक दृष्टिकोण है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। पितृत्व अवकाश पर सभी सदस्य सहमत हैं और उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।

मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि हम इस व्यवस्था को सार्वभौमिक कैसे बनाएँगे? हम यह भुगतान कैसे करेंगे या इसे कैसे कार्यान्वित करेंगे। साथ ही इसे सभी के लिए निष्पक्ष कैसे बनाएँगे?

अब मैं तीसरे बच्चे के विषय पर बात करना चाहती हूँ। हमारे देश में कई बार महिलाएं अपनी इच्छा से तीसरा बच्चा नहीं करतीं, जैसा कि माननीय कुमारी सुष्मिता देव ने कहा। मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। मैं अकेली संतान हूँ। मेरी माँ ने कार्य नहीं किया, इसलिए उन्हें दूसरे बच्चे के लिए कोई अवकाश या लाभ नहीं मिला। लेकिन कुमारी सुष्मिता जी जैसे मामले में, जो पहली संतान हैं, उनके दृष्टिकोण से सोचें उनका क्या दोष है? बचपन में उनके पास यह विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता कि उनकी माँ को तीसरा बच्चा पैदा करना पड़ा या नहीं। हमें इस विषय को व्यापक रूप से देखना चाहिए। यदि हम जैविक दृष्टिकोण से देखें, तो तीसरे और चौथे बच्चे तक पहुँचते-पहुँचते महिला शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाती है। क्या यह न्यायसंगत है? यदि यह परिवार नियोजन से जुड़ा मुद्दा है, तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।... (*व्यवधान*) मैंने बच्चों को जन्म दिया है, आपने नहीं। इसलिए इस पर विवाद न करें। यह संसद है। आज वैसे भी, पुरुष

रजोनिवृत्ति की बात कर रहे हैं, जिस पर मुझे गंभीर आपत्ति है। आप कौन होते हैं यह तय करने वाले कि हमारी रजोनिवृत्ति कब होगी? मुझे इस विषय पर पूरी आपत्ति है? ... (*व्यवधान*)

माननीय सभापति : कृपया आपस में बात न करें।

श्रीमती सुप्रिया सुले : इस सभा में कई पुरुष सदस्य टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। हम केवल गरिमा बनाए रखते हुए चुप हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को इस प्रकार सार्वजनिक मंच पर चर्चा का विषय बनाया जाए। यह पूरी तरह से अनुचित है। हम लैंगिक समानता के पक्ष में हैं। इसलिए मैं नहीं समझती कि हम शिकायत कर रहे हैं। फिर पुरुष सदस्य इस विषय पर बेवजह आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? और ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनका विषय से कोई संबंध नहीं है ... (*व्यवधान*) कुछ पुरुष सदस्य आपत्ति जता रहे हैं, सभी नहीं। कुछ हमारे साथ भी हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया इस विषय में स्पष्टता प्रदान करें। देश में लाखों महिला शिल्पकार हैं, जो आदिवासी और अन्य पिछड़े वर्गों से आती हैं। वे कार्य के लिए बाहर जाती हैं। वे तीसरा या चौथा बच्चा केवल सामाजिक कारणों की वजह से नहीं कर पातीं। हम इस सामाजिक सच्चाई को कैसे समाधान करेंगे? यह एक अत्यंत गंभीर विधेयक है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ कि जब आप ऐसे प्रावधान बनाएं, तो कृपया सभी सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं को ध्यान में रखें और उन्हें समेकित करें। आपकी मंशा निस्संदेह सराहनीय है, और मैं व्यक्तिगत रूप से एक महिला के रूप में आपकी सराहना करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। लेकिन साथ ही, मेरा यह भी निवेदन है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यह विधेयक लागू भी हो सके और वह भी बिना किसी त्रुटि के। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में यह स्पष्ट करें कि इसे किस प्रकार क्रियान्वित किया जाएगा ताकि यह सहायता वर्ग के निचले स्तर की महिला तक पहुँच सके, जिसके हित को केंद्र में रखकर यह विधेयक लाया गया है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : महोदय, आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा विधेयक, 2016 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बिल के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वास्तव में यह विधेयक संगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं अपनी बात आरम्भ करने से पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और लेबर मिनिस्टर आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने काम करने वाली महिलाओं को प्रसूति के दौरान छुट्टी की समस्या को हृदय से समझा और 12 सप्ताह के अवकाश को बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान किया है। यह उन महिलाओं को न केवल स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की दिशा में एक कारगर कदम है, बल्कि जो नवजात शिशु हैं, उनके प्रारम्भिक पालन-पोषण करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि जब नवजात पैदा होता है तो माता तथा शिशु दोनों को ही ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। जब थोड़े समय की छुट्टी के बाद काम करने वाली महिलाओं को इतने कम समय के अवकाश के बाद काम पर जाना पड़ता है, तो बच्चे और माता, दोनों के स्वास्थ्य को यह प्रभावित करता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं कि यदि हम उन कर्मचारियों के अलावा, जो कर्मचारी राज्य बीमा आधिनियम 1948 के अंतर्गत आते हैं, कतिपय अवधि के लिए बालक जन्म से पूर्व और पश्चात् कारखानों, खानों, सर्कस, उद्योग, उद्यानों, दुकानों या संस्थापनों में, जिनमें दस से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, महिलाओं के नियोजन को विनियमित करता है और प्रसूति प्रसुविधा और अन्य लाभों के लिए उपबंध करता है।

मैं एक जमीनी सच्चाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे साथी अरविंद सावंत जी ने कहा था कि बहुत-से नियोक्ता ऐसी महिलाओं को, जिनकी अभी-अभी शादी हुई

है या उन्हें लगता है कि जल्दी ही उनकी डिलीवरी हो सकती है, तो वे ऐसी महिलाओं को नौकरी देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम इन्हें नौकरी देंगे, तो इन्हें वेतन सहित छुट्टी देनी पड़ेगी और इसलिए वे या तो उन्हें आरम्भ से ही छुट्टी देते हैं या फिर उन्हें नौकरी से निकाल देते हैं। ऐसे में ऐसी महिलाओं को नौकरी पर रखने तथा प्रसूति के दौरान छुट्टी देने के लिए बाध्य करेगा और ऐसी महिलाओं को हम रोजगार से वंचित होने से बचा पाएंगे तथा उनको 26 सप्ताह तक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने का अवसर भी दे पाएंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संगठित क्षेत्र में तकरीबन हर नियोक्ता, जो 10 या उससे आधिक कर्मचारी रखता है व कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत पंजीकृत होता है, वहाँ पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है, परन्तु हमें यह देखना होगा कि बहुत-से नियोक्ता जान-बूझकर अपने आप को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवाते हैं। उनको पंजीकृत करवाने के लिए ईएसआईसी पहल करे। जो नियोक्ता 10 से कम कर्मचारी रखते हैं और वे भी इससे न बच पाएं। हमारे बहुत-से साथियों ने इस संबंध में बातें कही हैं कि संगठित क्षेत्र में तो यह नियम लागू होगा, परन्तु हमें असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए भी कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि वे भी प्रसूति के दौरान छुट्टी की पात्र हों।

हम और आप सभी राजनीतिक-सामाजिक हित में काम करने वाले लोग हैं। हमने देखा है कि सड़क के किनारे लोहगढ़िया परिवार की जो महिलाएं होती हैं, उनकी डिलीवरी के तीसरे-चौथे दिन से वे हथौड़ा उठाकर लोहा पीटने का काम करने लगती हैं। ऐसे ही सड़कों के किनारे बहुत-सी बहनों को देखा है, जो डिलीवरी होने के चार-पाँच दिनों के भीतर ही सिलबट्टा, खलबट्टा और चक्की बनाने का काम करती हैं। उनको कोई विशेष सुविधा नहीं मिल पाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री सुरक्षा अभियान प्रारम्भ किया है, उसके तहत उनको छह हजार रुपये की राशि तो मिल पाती है, लेकिन ऐसी महिलाएं, जो घरेलू कामकाज करती हैं, उनको भी छुट्टी का लाभ मिल सके। इसके लिए उनकी सोशल सिक्योरिटी निर्धारित करने की आवश्यकता है और छह महीने तक एक निश्चित राशि प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें और उनका लालन-पालन ठीक ढंग से हो सके।

भवन निर्माण में और बीड़ी निर्माण में जो महिलाएं लगी रहती हैं, उनके सुरक्षित मातृत्व के लिए, उनको सवैतिनिक छुट्टी नहीं मिल पाती हैं, लेकिन उनको सोशल सिक्योरिटी प्रदान करने की दिशा में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक सकारात्मक कदम उठाया जाना चाहिए।

दत्तक माता और अधिकृत माता के संबंध में जो बात आयी है कि वे बालक को हस्तगत करने की तारीख से 12 सप्ताह की प्रसूति सुविधा की हकदार होंगी। इसमें मेंरा व्यक्तिगत रूप से कहना है कि एक बायोलोजिकल माँ को अपने शिशु और माँ के बीच में एक भावनात्मक रिश्ता बनाना पड़ता है, इसके लिए यह आवश्यक है। एक प्राकृतिक नियम है कि जब एक दत्तक माता को अपने शिशु और अपने बीच तालमेल स्थापित करना होता है, उसके लिए उनको ज्यादा समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिस माँ का बच्चा होता है, वह माँ के पास लेटा होता है, माँ उठकर भी जाती है, तो एक महीने के बाद बच्चा टकटकी भरी नज़रों से माँ को देखने लगता है कि माँ उठकर जा रही है। इसलिए दत्तक माता को भावनात्मक रूप से संबंध स्थापित करने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें दत्तक माता को भी 12 सप्ताह से ज्यादा की छुट्टी का प्रावधान होना चाहिए, ताकि जिस बच्चे को उसने गोद लिया है, उसका लालन-पालन ठीक ढंग से कर सकें। इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

एक संशोधन और है, वह यह है कि ऐसे संस्थानों में जो माताएं काम करती हैं, उनको घर से काम करने की सुविधा हो और उसे सुगम बनाया जा सके। यह एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उपबंध है। इससे नियोक्ता का काम भी हो पाएगा और साथ ही ऐसी महिलाओं को भी सुविधा मिल सकेगी कि वे घर से अपना काम पूरा करके नियोक्ता को दे सकेंगी। यह एक स्वागतयोग्य कदम है। मैं इसका समर्थन करता हूँ।

एक अगला संशोधन है कि 50 से आधिक कर्मचारी रखने वाले संस्थानों के ऊपर बाध्यता हो कि वे क्रेच की स्थापना करें। इसमें यह बात कही गयी है कि ऐसी महिलाओं के बच्चों को क्रेच में

जाने की अनुमति होगी। इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूँ कि इसे चार के आंकड़े में बांधकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे की कई आवश्यकताएं होती हैं, बच्चा पेशाब करता है, पौटी करता है, रोता है, उसे मिल्क फीडिंग भी करानी पड़ती है, उसके कपड़े भी बदलने पड़ते हैं। क्रेच में जाने के लिए चार बार की संख्या का उपबंध किया गया है, उसके बारे में और विचार किया जाना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार माँ को बच्चे के पास जाकर उसे सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अगले संशोधन के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्थापन में महिलाओं की जब नियुक्ति होती है, तो उसी समय अधिनियम के अधीन उपलब्ध प्रसुविधाओं के बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना दे देनी चाहिए। यदि महिला को सूचना देने के साथ ही उसके हस्ताक्षर करा लिए जाएं तो महिलाओं को यह जानकारी होगी कि उनके कौन-कौन से अधिकार हैं। जब उनको उन कानूनों की जानकारी होगी तो वे उनका उपयोग कर सकेंगी।

अंत में, इस बिल के संबंध में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनको बच्चों को घर पर छोड़कर आना पड़ता है। जब उनको ऑफिस में जाकर काम करना पड़ता है, तो उनको व्यक्तिगत रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे वहाँ पर बच्चों को समय देती हैं, तो उनको तरह-तरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं। उसके अभाव में, जब वे बच्चे को घर पर छोड़ आती हैं, तो बच्चे को समय पर माँ का दूध न मिल पाने के कारण लगभग 13 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हो जाती है। शिशु संबंधी संक्रमण के कारण 34 लाख बच्चे मौत की तरफ बढ़ जाते हैं। डायरिया के 39 लाख मामलों में यह देखा गया है कि यदि बच्चों को समय पर माँ का दूध मिलता रहे, तो डायरिया को रोका जा सकता है। माताएँ एक साल से अधिक समय तक शिशु के पास रहकर उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। स्तन कैंसर के 20 हजार मामलों को इसके द्वारा रोका जा सकता है।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी और श्रम मंत्री जी के साथ ही पूरी सरकार का स्वप्न और उद्देश्य सबका साथ - सबका विकास है। इसे हासिल करने की दिशा में यह विधेयक एक बहुत ही अच्छा

कदम होगा। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार (बारासात) : माननीय सभापति महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मैं यहां अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हूं; और मैं माननीय श्रम मंत्री जी को महिलाओं के लिए इतनी सराहनीय सोच प्रस्तुत करने हेतु बधाई देना चाहती हूँ। [हिन्दी] कल ही हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। आज हम यहाँ महिलाओं के लिए चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि 'देर आए, दुरुस्त आए'।

[अनुवाद]

पचपन वर्षों के बाद हम इस कानून में संशोधन ला रहे हैं। लेकिन आखिरकार, हम संशोधन ला रहे हैं, यह खुशी की बात है। मंत्री महोदय, मैं आपको बधाई देती हूं और आपको बताना चाहती हूँ कि हम इसका समर्थन करते हैं।

लेकिन जैसा कि मैं धीरे-धीरे स्पष्ट करूँगी, मैं पूरी तरह से सुप्रिया सुले जी की बात का समर्थन करती हूँ कि हमें अन्य मंत्रालयों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। मुझे खुशी है कि हमारी माननीय महिला और बाल विकास मंत्री भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूँगी कि श्रम मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ एक संयुक्त पर्यवेक्षण निकाय गठित किया जाना चाहिए क्योंकि यह विषय इन सभी से संबंधित है। यह केवल श्रम मंत्रालय का विषय नहीं है।

बच्चे का जन्म एक अत्यंत सुंदर अनुभव है, और हम सभी महिलाओं ने इस अनुभव को जिया है। हम उन पुरुष सदस्यों से सहमत नहीं हैं जो यह कह रहे थे कि बच्चे का जन्म काफी कठिन

होता है। एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि महिलाएँ आनुवंशिक रूप से कमजोर होती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक में 16 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं के लिए भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। 16 वर्ष की आयु में बच्चे को जन्म देना कतई वैध नहीं है।

अतः, इस समय जो भी संशोधन लाए गए हैं, वे निश्चित रूप से पहले से बहुत बेहतर हैं। महिलाओं को 26 सप्ताह तक अवकाश देना पर्याप्त है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन 24 सप्ताह तक स्तनपान कराने की सलाह देता है, जिससे शिशु की श्वसन तंत्र रोग और अतिसार जैसी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मृत्युदर कम होती है।

लेकिन मैं कुछ और बातें जोड़ना चाहूँगी। हमारे सामने पश्चिम बंगाल की दूसरी बार निर्वाचित सरकार का उदाहरण है, जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में उन्होंने मातृ एवं शिशु केंद्रों की शुरुआत की है। जैसे कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि महिलाएँ दूरदराज और असंगठित क्षेत्रों में काम करती हैं, तो मैं यह बताना चाहूँगी कि पश्चिम बंगाल में इन मातृ एवं शिशु केंद्रों के अंतर्गत महिलाओं को गर्भावस्था की अंतिम तिमाही से इन केंद्रों में लाकर रखा जाता है और उन्हें पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है; विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल की जाती है ताकि वे घटनाएँ, जो पहले सुनने को मिलती थीं, कि अस्पताल पहुँचने से पहले किसी महिला ने रास्ते में बच्चे को जन्म दे दिया या उसकी मृत्यु हो गई, अब देखने को न मिलें।

अब हमारे राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर की स्थिति बेहतर हुई है , और देश में भी सुधार हुआ है। हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 'सहस्राब्दी विकास लक्ष्य 5' तक पहुँचना चाहते हैं, जिसे हम अभी तक देश के रूप में प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो हमें और बेहतर प्रदर्शन करना होगा। इसलिए, हमें इस दिशा में भी गंभीरता से सोचना चाहिए।

महोदय, सुप्रिया सुले जी ने अभी-अभी पूछा कि हम कैसे यह पहचान करें कि किन महिलाओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता है? देखिए, यदि हम संस्थागत प्रसव को सार्वभौमिक बना सकें, तभी हम यह जान पाएँगे कि किन महिलाओं को अधिक देखभाल की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए जरूरी

है क्योंकि हम सभी महिलाओं के लिए एक समान मातृत्व अवकाश लाभ नहीं रख सकते। कुछ महिलाएँ उच्च रक्तचाप, प्री-एक्लेम्पसिया और टॉक्सिमिया जैसी चिकित्सकीय समस्याओं से ग्रसित होती हैं। कुछ महिलाओं को मधुमेह, कैंसर या एपीएलए सिंड्रोम हो सकता है। कुछ को पॉलीसिस्टिक ओवरी या सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं। इन सभी मामलों में माँ को अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है; और 26 सप्ताह की अवधि उनके लिए पर्याप्त नहीं होती ।

इसीलिए मैंने कहा कि इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय को भी शामिल किया जाना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपील करना चाहती हूँ चूँकि वे यहाँ उपस्थित हैं और मैं भी स्थायी समिति की सदस्य हूँ कि आज हमारी सेवाओं में बहुत-सी महिलाएं शामिल हो रही हैं। हमारे यहाँ कई महिलाएँ हैं जो सीमा क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और रक्षा बलों में कार्यरत हैं। इन महिलाओं को अतिरिक्त लाभ दिया जाना चाहिए क्योंकि इनका जीवन एक सामान्य गृहिणी महिला की तुलना में अधिक सक्रिय होता है। उन्हें बच्चे के जन्म के तुरंत बाद दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे पहले दो वर्षों के दौरान बार-बार अपने बच्चे के पास आ सकें। अगर वे सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात होंगी, तो यह उनके लिए संभव नहीं होगा। यह प्रावधान भी इस विधेयक में जोड़ा जाना चाहिए।

हमें प्रसवपूर्व देखभाल को भी सार्वभौमिक बनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि हम लोक सभा टीवी चैनल पर स्क्रॉल में यह संदेश देखते हैं कि टिटनस टॉक्सॉइड दिया जाना चाहिए और प्रसवपूर्व जांच अवश्य करानी चाहिए। यह संदेश अंग्रेज़ी और हिन्दी में लिखा होता है। अब आप ही बताइए कि गाँव की कितनी महिलाएँ लोक सभा टीवी देखती हैं और उस स्क्रॉल को पढ़ती होंगी? टीवी पर स्क्रॉल चलाने के बजाय, हमें ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस, ग्रामीण अस्पतालों, उप-स्वास्थ्य केंद्रों और बाजारों में बड़े-बड़े बोर्ड या झंडे क्षेत्रीय भाषाओं में और स्थानीय बोलियों में लगवाने चाहिए। तभी गाँव की महिलाएँ जो बाजार जाती

हैं, पढ़ सकेंगी कि टिटनस के टीके क्यों ज़रूरी हैं, प्रसवपूर्व जांच क्यों ज़रूरी है, और फोलिक एसिड तथा आयरन की गोलियाँ क्यों ली जानी चाहिए। इस व्यवस्था की निगरानी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ग्रामीण इलाकों की महिलाएँ भी यह ठीक से जान सकें कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है।

यह संशोधन विधेयक वास्तव में अत्यंत सराहनीय है, इसके बावजूद मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ कि इस विधेयक के दायरे में सभी बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं शामिल की जाएँ। असंगठित और संगठित क्षेत्र की महिलाएँ भी इस विधेयक के अंतर्गत लाई जानी चाहिएँ। यहां तक कि घरेलू सहायिकाएं, कृषि मजदूर, निर्माण स्थल पर काम करने वाली महिलाएँ, खदानों में कार्यरत महिलाएँ और खेतों में काम करने वाली मजदूर महिलाएँ भी शामिल की जानी चाहिएँ क्योंकि गर्भावस्था का कष्ट हर महिला के लिए समान होता है और इसकी देखभाल अत्यंत आवश्यक है।

मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ। चूँकि मैं 'इंडियन पायनियर इनफर्टिलिटी रिसर्च टीम' की सदस्य हूँ, मुझे पता है कि विज्ञान बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है। इस विधेयक में आपने अधिकृत माताओं का मुद्दा शामिल किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। लेकिन उन्हें आपने जो लाभ दिए हैं, उससे अधिक लाभ की आवश्यकता है क्योंकि उनके लिए परिस्थितियाँ अलग होती हैं।

मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि आजकल लड़कियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और जिसके कारण वे अधिक आयु में विवाह कर रहीं हैं। आगे चलकर जब वे गर्भधारण का प्रयास करती हैं तो आयु के कारण अक्सर उन्हें संतान नहीं हो पाती और वे डॉक्टर से परामर्श एवं सुविचारित राय के पश्चात दाता (डोनर) की सहायता लेती हैं। कुछ लड़कियाँ सामाजिक कार्य के रूप में अंडाणु दान कर रही हैं। उन्हें भी किसी न किसी प्रकार का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

साथ ही, सरोगेट माँ को भी लाभ मिलना चाहिए, विशेषकर जब यह प्रक्रिया व्यावसायिक न होकर सद्भावना के तहत होती है क्योंकि उन्हें शिशु के जन्म तक गर्भधारण करने का कार्य करना पड़ता है। मैंने स्वयं ऐसे मामले देखे हैं जहाँ किसी महिला की माँ या उसकी जेठानी ने बच्चे को जन्म दिया है। जब हम ऐसा एक व्यापक विधेयक बना रहे हैं, तो इन सरोगेट माताओं को भी ध्यान में लिया जाना चाहिए।

मैं एक बार फिर दोहराना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि बंगाल की तरह, पुरुषों के लिए भी 'पितृत्व अवकाश' की व्यवस्था की जाए क्योंकि संतान का जन्म माँ और पिता दोनों की साझी जिम्मेदारी होती है, यह एक संयुक्त प्रयास होता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी एकल माताओं को सभी अधिकार दिए हैं। इसलिए एकल माताओं को विशेष रूप से इस विधेयक में उल्लेखित करते हुए उन्हें भी लाभ प्रदान किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह जो प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2016 है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और मैं इस पर कुछ बोलने से पहले सबसे पहले माननीय मंत्री, श्री बंडारू दत्तात्रेय और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

एक साल के भीतर ही यह चौथा मेजर लेबर रिफार्म है और यह इंडीकेट करता है कि सरकार कितना इस बात को चाहती है कि इस तरह के रिफोर्म्स आएं और देश तरक्की करे। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि हम लोग केवल अमीरों के बिल पास करते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से लेकर किसानों की सुविधाओं और गरीबों के लिए जितना कुछ इस सरकार ने किया है, इतिहास में उतना ज्यादा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। इसके अलावा हमारा जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' आंदोलन है, यह इसका एक प्रमुख हिस्सा है। इस बिल से जो महिलाएं

इन्डिविजुअल वर्कर्स हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी शक्ति मिलेगी। मैं खुद ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स जानता हूं, क्योंकि मैं खुद मेडिकल कालेज में रहा हूं, जहां लड़कियों और महिलाओं को केवल एक प्रेगनेन्सी के लिए अपना कैरियर छोड़ना पड़ता है। जब वे एक बार डिसाइड कर लेती हैं कि बच्चे पालने हैं तो उन्हें कैरियर कंटीन्यू करना बहुत डिफीकल्ट लगता है और ऐसी बहुत-सी महिलाएं होती हैं, जिन्हें अपने कैरियर तक को तिलांजलि देनी पड़ती है। यह बिल लाकर सरकार ने उन महिलाओं के प्रति एक बहुत बड़ा न्याय किया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी और माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

महोदय, इस बिल का सबसे महत्वपूर्ण आस्पेक्ट यह है कि पूरी दुनिया में जब मैटरनिटी बेनीफिट्स के लिए मीटिंग हुई तो आईएलओ और डब्ल्यूएचओ ने जो भी रिक्मेंडेशंस किये, उनसे अच्छी रिक्मेंडेशंस पूरी दुनिया में केवल तीन कंट्रीज ने की हैं। इनमें कनाडा, नार्वे और तीसरा देश हिंदुस्तान है, जो महिलाओं के अधिकारों के प्रति इतना सशक्त है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो आईएलओ के रिक्मेंडेशंस थे, उन्होंने उनसे कहीं आगे बढ़कर रिक्मेंडेशंस दी हैं। उनका 24 वीक्स का रिक्मेंडेशन था, हमने उससे ज्यादा रिक्मेंड किया। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

इसके अलावा एक इश्यु पैटरनिटी का आ रहा है। मैं समझता हूं कि उसके लिए भी माननीय मंत्री जी को जरूर सोचना चाहिए। अगर आपने 26 वीक्स का अवकाश देना है तो उसमें अगर पति भी अवकाश चाहता है तो उसे भी दो हफ्ते का अवकाश देना चाहिए, भले ही वह अवकाश 26 वीक्स में इनक्लूड हो। लेकिन बच्चे की जितनी रिस्पांसिबिलिटी माता की है, उतनी ही रिस्पांसिबिलिटी पिता की भी है। इसे बांटा नहीं जा सकता है कि मां केवल बच्चे को देखेगी और पिता काम करेंगे। आज के जमाने में महिलाएं पुरूषों से ज्यादा काम करती हैं। हम लोग ऑफिस वगैरह जरूर जाते हैं, लेकिन कोई भी पुरूष ऑफिस से आकर घर में बैठ जाता है। हिंदुस्तान का यह थोड़ा कल्चरली डिफेक्टिव सिस्टम है। जबकि महिलाएं ऑफिस से काम करके आती हैं और उसके बाद किचन

संभालना भी उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, घर के हाउसहोल्ड वर्क की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। इसलिए अगर पैटरनिटी बेनीफिट्स मिलें, अगर पुरूष भी बच्चों को संभालें तो उससे महिलाओं के लिए बाकी चीजों की भी सुविधा होगी, इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में वह जरूर सोचें।

दूसरी चीज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वूमेन के बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने दिसम्बर के अंत में जो घोषणा की कि प्रसूता महिलाओं को छह हजार रुपये सरकार की तरफ से मिलेंगे। मैडम मेनका गांधी भी यहां मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए यह एक अच्छा स्टेप है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सफिशिएंट नहीं है। इसे हमें एम.एन.आर.जी.ए. से लिंक करके या कुछ अलग से करके उनके बारे में सोचना पड़ेगा। मैंने देखा है कि जिस वूमेन के डिलीवरी होती है, वह एक दिन पहले या उस दिन भी खेतों में काम करती है और वहां से सीधे हास्पिटल आती है। मुझे लगता है कि उस तरह की महिलाओं के प्रति क्या होना चाहिए, यह मैं बहुत गारंटी से नहीं कह सकता, लेकिन यह एक बहुत बड़ा इश्यू है, यह तुरंत डिसीजन लेने का इश्यू नहीं है। जैसा अभी डा. काकोली ने कहा कि इस पर चाइल्ड एंड वूमेन वेलफेयर डिपार्टमेन्ट, हेल्थ डिपार्टमेन्ट तथा लेबर डिपार्टमेन्ट को मिलकर एक सोल्यूशन हिंदुस्तान की सभी महिलाओं के लिए निकालना चाहिए और खास तौर पर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाओं के लिए जरूर कोई हल निकालना चाहिए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की महिलाएं ज्यादातर लेबर फोर्स के रूप में काम करती हैं और उन्हें इन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में मैं मंत्री जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में जरूर सोचें।

इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हेल्थ मिनिस्टर साहब यहां मौजूद नहीं हैं, लेकिन आज बहुत सारे सांसदों ने सिंगल पेरेन्ट की बात उठाई है। जब वे सरोगेसी का बिल लाएंगे, तब इस बारे में सीरियस थॉट देने की जरूरत है, क्योंकि सिंगल पेरेंट होना कोई अपराध नहीं है। सिंगल मदर्स तो बहुत होती हैं, लेकिन सिंगल फादर भी अगर अपने बच्चे को रखना चाहे तो उसके

लिए इस बात को सरोगेसी बिल में भी सोचना चाहिए और लेबर लॉ में भी सोचना चाहिए कि आज सिंगल पैरेंटिंग हो रही है तो फिर सिंगल पैरेंट, अगर वह मेल है तो उसको क्यों नहीं बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, परंतु मुंबई फिल्म इंडस्क्ट्री में अभी दो मेजर केसेज़ हुए हैं कि सिंगल पेरेंट जो कि मेल हैं, उनको ट्विंस हुए हैं। वैसे ही जो कोई इंडिविजुअल वर्कर है, वह भी ऐसा कर सकता है, इसलिए इसमें एक सोच की जरूरत है कि इस ऑस्पेक्ट को हम लोग क्या करेंगे। इसमें आइवीएफ के जो भी इश्यूज़ हैं, उनके बारे में भी देखने की जरूरत है कि किसी को अगर ज्यादा समय की जरूरत है तो एक मार्जिन उसके पास होना चाहिए, भले ही वह अनपेड मार्जन हो, लेकिन अगर कोई महिला उससे ज्यादा लेना चाहे तो भी एक लिब्रल फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, जिससे वह अपनी जॉब कंटिन्यु कर सके, क्योंकि किसी भी महिला का बच्चा बीमार रहेगा तो केवल वही देखे, यह हमेशा 100% गलत है, मगर फिर भी यह समाज पुरूष प्रधान है। कोई मेल अपनी नौकरी नहीं छोड़ता है, हमेशा यह उम्मीद की जाती है कि महिलाएं ही अपनी नौकरी छोड़ें। इसीलिए उनको यह फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, अगर बच्चे को कोई सीरियस इलनेस है या कुछ और परेशानी है तो उनको और फ्लेक्सिबिलिटी इस बात के लिए मिलनी चाहिए। यह बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन इसकी यही एक कमी दिखी कि यह बिल्कुल वन साइडिड सोच रही है। जो अभी थर्ड और फोर्थ बेनिफिट की बात हो रही थी तो मैं एग्री करता हूँ कि हमें 3$^{रा}$ या 4$^{था}$ फ़ायदा नहीं देना चाहिए। कम्पिटीशन इस बात का होना चाहिए कि कैसे समाज में दो बच्चे पैदा हों। यह नहीं है कि वे छह कर रहे हैं तो तुम आठ करो। इससे बड़ी बेवकूफी दुनिया में कोई नहीं हो सकती है। हमारे यहां तो 24 राज्य 2.1 अचीव कर चुके हैं। सारी परेशानी बिहार और उत्तर प्रदेश में है। बिहार में जहां 1120 लोग प्रति स्क्वेयर किलोमीटर में रहते हैं और यह हिंदुस्तान से तीन गुना है। अगर हम लोग इन सब मुद्दों पर सीरियसली नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होगा। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ कि थर्ड बर्थ पर इन्होंने 12 वीक्स दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। नॉर्मली कामकाज़ी महिलाएं तो दूसरा बच्चा भी पैदा नहीं करती हैं। एक ही बच्चे को पैदा करके उनको रह जाना पड़ता है।

मैं कहूंगा कि यह अच्छा बिल है कि 12 वीक्स से ज्यादा मार्जन नहीं दिया गया है। हमारे बीजेडी के सांसद बहुत दुखी थे। उनका दुख लाज़िमी है, क्योंकि उनको अभी-अभी थोड़ी सी चोट भाजपा से लगी है, इसीलिए अचानक उनका दुख प्रकट हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने जो काम गरीबों, किसानों, मज़दूरों के लिए किया है, वह ऐतिहासिक है। हिंदुस्तान के इतिहास में, 70 वर्षों में आज़ तक किसी ने भी गरीबों और मज़दूरों के लिए इतना काम नहीं किया है, जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी) : महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, जहां तक इस विधान का संबंध है, इस पर किसी को भी इसके उद्देश्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इस विधान का उद्देश्य सराहनीय है। यह विधेयक कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति करेगा जैसे कि मातृत्व अवकाश की अवधि को दुगुना से अधिक किया जा रहा है; 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिशु देखभाल केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराना; और एक महिला को आपसी सहमति के आधार पर घर से काम करने की अनुमति देने की व्यवस्था, ये सभी अत्यंत स्वागत योग्य पहल हैं। एक विशेष बात यह है कि यह विधेयक विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विधि आयोग की सिफारिशों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है।

महोदय, इस विधेयक से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय मंत्री जी और सभी सदस्य भली-भांति जानते हैं कि सैकड़ों विधान मौजूद हैं, लेकिन यदि हम केवल छोटे स्तर पर संशोधन करते रहेंगे तो इससे वास्तविक उद्देश्य पूरा नही हो पाएगा। हमें श्रम कानूनों में समग्र और व्यापक रूप से सुधार करना ही होगा, यह अनिवार्य है।

महोदय, श्रम क्षेत्र के लिए वर्तमान में अनेक कानून हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या हो रहा है? इस देश के नियोक्ता इन कानूनों में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर इनसे बचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। यही वास्तविक सच्चाई है।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें विधि आयोग की सिफारिशों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। विधि आयोग का कहना है कि वर्ष 2014-15 में 90 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थीं और वे 1961 के अधिनियम के दायरे में नहीं आतीं। आयोग ने 2015 में यह सिफारिश की थी कि 1961 के अधिनियम का विस्तार कर असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी इसके अंतर्गत लाया जाए। मेरे कई सहयोगी सदस्यों ने भी इसी बात को दोहराया है। यह इस विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण बात है।

हम सभी जानते हैं कि यदि हम असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को इस कानून के दायरे में नहीं लाते हैं तो इस कानून का मूल उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हम यह भी जानते हैं कि इस क्षेत्र में बहुत कम वेतन और आमदनी होती है और अधिकांशतः महिलाएं ही इस क्षेत्र का बड़ा हिस्सा होती हैं। इसी क्षेत्र में बाल श्रम ज्यादा देखने को मिलते हैं और प्रवासी श्रमिक भी इसी में शामिल होते हैं। इसके अलावा, ईएसआई का भुगतान भी इससे जुड़ा हुआ मुद्दा है। आजकल नियोक्ता उप-ठेकेदारी प्रणाली का उपयोग करके इन कानूनों से आसानी से बच निकलते हैं और श्रमिकों को उनका उचित अधिकार नहीं मिलता। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक व्यापक समाधान की आवश्यकता है।

आज के समय में हम सभी जानते हैं कि प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से होनेवाली नियुक्तियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अधिकांश भर्ती अब संविदा श्रमिकों के माध्यम से की जा रही है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को लेकर अत्यंत गंभीर होने की आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार, हम सभी जानते हैं कि असंगठित क्षेत्र में स्वरोज़गार भी एक बड़ा हिस्सा है। हम महिलाओं को किसी न किसी प्रकार का कार्य करके आमदनी प्राप्त करने हेतु

वित्तीय सहायता तो दे रहे हैं, लेकिन यह श्रम कानून उस श्रेणी को लाभान्वित नहीं करता। इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी जोखिम एक और गंभीर विषय है, जिसकी ओर मेरे कई सहयोगी सदस्यों ने भी ध्यान दिलाया है। निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य जोखिम अब एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। संविदा श्रमिकों में निर्माण श्रमिक शामिल हैं, जो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। इसी तरह, नैमितिक श्रमिक, लघु उद्योगों में कार्यरत श्रमिक, हथकरघा और विद्युतकरघा श्रमिक, बीड़ी और सिगार उद्योग में कार्यरत श्रमिक, दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, चमड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिक, आदिवासी श्रमिक और अन्य असुरक्षित श्रमिक- इन सभी क्षेत्रों के श्रमिक स्वास्थ्य संबंधी खतरों एवं विविध परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

इन श्रमिकों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा की पहल है, वह भी प्रभावी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इनका अत्यधिक शोषण हो रहा है। नियोक्ता उन्हें कोई भी सेवा शर्त या समान वेतन नहीं देते। हम सभी समानता और कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं। 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान भी है। मैं स्वयं पिछले 20-25 वर्षों से एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता रहा हूं। मुझे भली-भांति ज्ञात है कि वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्या हो रहा है और श्रमिकों की वास्तविक शिकायतें क्या हैं। हम सभी कहते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नियोक्ता जानबूझकर महिला कर्मचारियों की तलाश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कम वेतन देकर काम कराया जा सकता है। इसलिए, उस तरह का शोषण हो रहा है। जहां तक समान अवसरों की बात है, हम सभी लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, हम सभी श्रमिकों की भागीदारी और अन्य सभी बातों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि लैंगिक असमानता आज भी गंभीर रूप से मौजूद है।

माननीय सभापति : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर : मैं बस अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूँ, महोदय।

मैं संक्षेप में यह कहना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जब तक हम असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की समस्याओं को गंभीरता से नहीं उठाते, मैं यह पूरे विश्वास से कहता हूं कि इस विधान का मूल उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाएगा।

इन सभी के बावजूद, मैं माननीय मंत्री को इस पहल के लिए और इस महत्वपूर्ण, भले ही सीमित, विधायी प्रयास के लिए एक बार पुनः बधाई देता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गौहाटी) : महोदय, मैं माननीय मंत्री को महिला दिवस की पूर्व संध्या पर यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देती हूं। वास्तव में यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन है। 'महिला' शब्द स्वयं में सबसे सुंदर शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति किसने की, यह मुझे ज्ञात नहीं, लेकिन 'महिला', 'माँ', 'माता' — यह सबसे महान शब्द हैं, क्योंकि महिला करुणा, सहानुभूति, प्रेम, उत्तरदायित्व और समर्पण की मूर्ति है। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए केवल एक विशेष दिन नहीं होना चाहिए। माननीय मेनका गांधी जी भी सभा में उपस्थित हैं, मैं कहना चाहूंगी कि वर्ष के सभी 365 दिन महिलाओं को समर्पित होने चाहिए। हम प्रतिदिन महिलाओं की पूजा करते हैं, क्या यह सत्य नहीं है? [हिन्दी] जब सभी हिंदू मंदिर या अन्य पूजास्थल पर जाते हैं। वे गाते हैं- भगवान दुर्गा है।

'या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूपेण संस्थित

नमस्तस्यै-नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः।

सर्व मंगल मांगल्ये, शिवे सर्वार्थ साधिके।

शरण्ये त्र्यम्बके गौरी, नारायणी नमोऽस्तुते।।'

हम लोग हजार बार भगवान से प्रार्थना करते हैं।

[अनुवाद]

लेकिन जब बात महिलाओं को कुछ देने की आती है, तो हम बहुत *कंजूस* बन जाते हैं। हमें उन्हें कुछ देना पसंद नहीं होता और हम मानते हैं कि यह पुरुष प्रधान दुनिया है।

महिलाएं हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 48 प्रतिशत हिस्सा हैं और उनमें से लगभग आधी मातृत्व के योग्य हैं। एक आँकड़ा है, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके अनुसार लगभग आधी महिलाएं जिनकी आयु 20 से 24 वर्ष है, उनका विवाह 18 वर्ष की आयु तक नाबालिग के रूप में हो जाता है। 20 से 24 आयु वर्ग की हर पांचवीं महिला ने 18 वर्ष की आयु से पहले ही पहला बच्चा जन्म दिया होता है। हर आठवीं महिला के तीन बच्चे होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी महिलाओं में, जो अपेक्षाकृत कम उम्र की हैं, जन्म के 28 दिनों के भीतर मातृ एवं नवजात मृत्यु दर अधिक पाई जाती है, बनिस्बत अधिक आयु की महिलाओं के। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस विषय का उल्लेख किया है, परन्तु जब तक हम महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल नहीं करेंगे, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।

यह विधेयक वास्तव में बहुत अच्छा है, जिसने मातृत्व सुविधाओं को बढ़ाया है। परंतु यदि हम महिलाओं में जागरूकता नही फैलाएंगे और उन्हें शिक्षित नही करेंगे, तो हम अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। यह आज के समय की एक प्रमुख समस्या है। इसके साथ-साथ हमारे देश में आज भी लिंग भेद मौजूद है, जो लड़कियों और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेतक नहीं है।

यहां कहना अच्छा नहीं लगता, परन्तु मैं फिर भी कहना चाहती हूं कि कुछ राज्यों के कतिपय गांव ऐसे हैं जहां बालिकाओं की मृत्यु दर इतनी अधिक है कि वहां लड़कियां लगभग हैं ही नहीं। मैं उन गांवों के नाम माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से देना चाहूंगी, क्योंकि मैं उनका यहां सार्वजनिक रूप से उल्लेख करना नहीं चाहती। लेकिन ये बातें आज 21वीं सदी में भी हो रही हैं, यह भी झूठलाई नही जा सकती है। यह भी सच है कि मातृ मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आई है, लेकिन यदि आप प्रतिशत देखें तो यह अब भी 15 प्रतिशत है, जो काफी अधिक है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र गुवाहाटी में कुछ नदी तटीय क्षेत्र हैं जहां अधिकांशतः तथाकथित बांग्लादेशी निवास करते हैं। आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि उन क्षेत्रों में महिलाओं को हर साल या डेढ़ साल में एक बच्चा जन्म देना पड़ता है, जब तक कि वे और बच्चे जन्म देने की स्थिति में न रह जाएं। मैं यह नहीं कह रही कि यह कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, लेकिन यह एक कटु यथार्थ है। उन क्षेत्रों में मृत्यु दर बहुत अधिक है क्योंकि कुपोषित महिलाएं बच्चों को जन्म देती रहती हैं। इसका कारण क्या है? मैं पुरुषों के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन कम से कम इन क्षेत्रों में कुछ जागरूकता फैलानी चाहिए।

अन्य माननीय सदस्यों ने असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व सुविधाएं देने के संदर्भ में अनेक विचार व्यक्त किए हैं। मैं यह कहना चाहूँगी कि कुछ कार्यक्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ महिलाएं तंबू में बच्चे को जन्म देती हैं। खेतों में काम करने वाली महिलाएं, सड़कों के निर्माण में कार्यरत महिलाएं या रेलवे लाइनों पर काम करने वाली महिलाएं तंबू में प्रसव करती हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं बहुत दूर होती हैं और वे इन सेवाओं तक पहुँच नहीं बना पाती हैं। हमें इन बातों पर भी विचार करना होगा।

मैं यहां कॉफी बागान के बारे में उल्लेख करना चाहती हूँ जो एक संगठित क्षेत्र है। यह क्षेत्र निजी मालिकों या ठेकेदारों द्वारा संचालित होता है। कॉफी बोर्ड हर चीज़ पर नियंत्रण नहीं रख सकता। ये ठेकेदार केवल आठ से दस महीने के लिए मजदूरों को काम पर रखते हैं और उसके बाद वे उन्हें निकाल देते हैं क्योंकि यदि कोई मज़दूर किसी बागान में 11 महीने तक काम करता है, तो ठेकेदारों या मालिकों को उसे बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। ये बातें संगठित क्षेत्रों में भी होती हैं। इसलिए जब तक हम इन गतिविधियों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम कामकाजी महिलाओं को सही मायनों में प्रसूति प्रसुविधा नहीं दे पाएंगे।

कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सुविधाएं देना निःसंदेह एक बहुत अच्छी बात है।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, हमें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और उस पर निगरानी भी रखनी चाहिए कि कोई लड़की या महिला मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हुए बगैर हर वर्ष संतान को जन्म न दे। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। कोई भी व्यक्ति यह देख सकता है कि किसी गरीब या निर्धन क्षेत्र में एक अत्यंत कुपोषित मां बच्चे को जन्म दे रही है, और इसके परिणामस्वरूप, मां और नवजात शिशु दोनों की मृत्यु हो जाती है। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस विषय में व्यापक जन-जागरूकता अभियान और उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को उन क्षेत्रों में जाकर वास्तविक स्थिति का जायज़ा लेना चाहिए और यह देखना चाहिए कि लोग किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं।

मैं भारत सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देती हूँ कि उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को काफी बढ़ावा दिया है और इस क्षेत्र को अनेक अवसर प्रदान किए हैं। मेरा मानना है कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च को सकल घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत तक बढ़ाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। यह न केवल देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में सहायक होगा बल्कि देश की महिलाओं और माताओं के लिए भी यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक-2016 पर बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सरकार प्रसूति प्रसुविधा आधिनियम-1961 में बदलाव करने जा रही है। प्रमुख बदलाव मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने का प्रावधान होने जा रहा है। दूसरा अधिकृत माता और दत्तक माता की परिभाषा के संबंध में उठ रहे विवादों को भी सही परिभाषित कर

बालक के हस्तगत करने की तारीख से बारह सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा का हकदार बनाने का कार्य किया जा रहा है, यह स्वागत योग्य कदम है।

मैं अपनी पार्टी जद(यू) की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा मानना है कि आप घर से कार्य करने में सुविधा और पचास से अधिक कर्मचारी होने पर शिशु कक्ष की स्थापना सरकारी ऑफिसों में तो सम्भव कर सकते हैं, परंतु प्राइवेट सेक्टर में यह सुचारू रूप से लागू हो यह प्रतीत नहीं होता है। अतः इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। इस कानून के कारण विवाहित महिलाओं को प्राइवेट सेक्टर में काम कम मिल रहे हैं, इसकी भी आशंका है। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

आज हर जगह पर प्राइवेट ठेकेदारी पर कर्मचारियों को रखा जा रहा है, तो क्या प्राइवेट कान्ट्रेक्टर उक्त महिला कर्मचारियों को यह सभी सुविधा प्रदान करेगा, ऐसा नहीं लगता है। उक्त महिला कर्मचारी अपने आधिकार से वंचित न रह जाये, इस पर भी माननीय मंत्री जी को ध्यान देने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज काफी अधिक संख्या में महिलायें असंगठित क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में काम कर रही हैं, खास कर दिहाड़ी मजदूर, उन्हें भी इसका लाभ मिले। इसके लिए नियोजक कभी भी तैयार नहीं होगा। अतः सरकार को उक्त क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सरकारी मदद देने का भी प्रावधान करना चाहिए। मैं मानता हूं कि देश में कुछ कार्यरत महिलाओं की संख्या का आधे से अधिक असंगठित क्षेत्र, छोटे घरेलू उद्योग, चिमनी भट्ठा, रियल एस्टेट, कृषि क्षेत्र, सड़क निर्माण आदि अन्य क्षेत्रों में कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। सरकार को उन्हें भी लाभ का पूरा फायदा देना चाहिए। इसका भी रास्ता निकालना चाहिए।

अब प्रश्न उठता है कि कामकाजी महिलाओं में वे भी महिलाएं हैं, जो बड़ी संख्या में स्वरोजगार करती हैं। जैसे-सब्जी बेचती हैं, कई तरह के छोटे-छोटे खुदरा सामान रेल पटरी के किनारे बेचती हैं, मछली बेचती हैं, मेंहदी लगाती हैं, चूड़ी बेचती हैं, इस तरह के काम करने वालों के लिए भी सरकार

को व्यवस्था करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बिल जो लाया गया है, इस बिल से एक नई रोशनी निकली है। मैं सरकार को धन्यवा `क़द देता हूं कि इस बिल में खासकर जो प्राइवेट सेक्टर व असंगठित सेक्टर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती संतोष अहलावत (झुंझुनू) : महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मैटरनिटी बेनेफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करना चाहती हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का और श्रम मंत्री जी का, जिन्होंने यह बिल लाकर यत्र नार्यस्तु पूज्यंते वाली बात को सही मायने में क्रियान्वित करने का काम किया है। भारत की आधी आबादी, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बिल में जो अमेंडमेंट किए हैं, वे काबिले तारीफ हैं।

"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आंखों में पानी " इस मिथक को तोड़कर आज की नारी ने घर की देहरी, शहर और देश की सीमाओं को लांघकर हर चुनौती को स्वीकार कर स्वयं के लिए एक नई कविता का सृजन किया है -

धीर है गंभीर है, शक्ति का तू पुंज है।
सृष्टि की तू रचियता, प्रेम की तू खान है।
नारी तू महान है, नारी तू महान है।
माता है, बहन है, जीवन की तू संगनी है।
मित्र है, तू गीत है, कविता है, तू छंद है।
नारी तू मिठास है, नारी तू सुगंध है।

महोदय, आज के दिन यह वातावारण सर्वत्र दिखाई दे रहा है। आज की नारी ने हर एक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज कराई है। घर की देहरी पार कर वह विभिन्न क्षेत्रों में काम करने में लगी है। चूल्हे-चौके के दायरे से बाहर निकलकर उसने अपनी घरेलू छवि को स्वयं तोड़ा है।

महोदय, नारी घर परिवार के साथ अन्य क्षेत्रों में भी अनेक दायित्वों का निर्वहन करती है, परन्तु संतानोत्पत्ति का उसका जिम्मा जितना महत्वपूर्ण है, उससे भी अधिक संतान के लालन-पालन का, स्तनपान का, लाड़-दुलार का, सुरक्षा देने जैसा अधिक महत्वपूर्ण जिम्मा भी उसे निभाना पड़ता है। इस कारण अनेक महिलाएं शादी के बाद अपनी नौकरी छोड़ देती हैं, ताकि बच्चे पैदा कर उनका पालन-पोषण कर सकें। कामकाजी महिलाओं के लिए दायित्व अधिक गुरुतर हो जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवारों की अवधारणा अब समाप्त हो गई है। वहीं एकल परिवारों में पति, पत्नी और बच्चों के साथ कामकाज और संतान के पालन की जिम्मेदारी का निर्वहन माता पर अधिक आ जाता है और इससे मानसिक दबाव भी माता के ऊपर आधिक बढ़ जाता है। यह महत्वपूर्ण बिल, जिसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, यह माताओं को एक तरह से संबल देने का काम करेगा।

महोदय, इस बिल के पारित होने से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलेगा, तो गरीब, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग की वे महिलाएं, जो कारखानों, फैक्ट्रियों और बागानों में काम करती हैं, उनको मिलेगा। गरीब और दलित परिवार की जो मेरी बहनें और माताएं कारखानों में काम करती हैं, वे भी चाहती हैं कि उनकी कोख से जो बच्चा पैदा हो, उसका लालन-पालन अच्छे से हो सके, भरपूर स्तनपान करा सकें, निरोग और तंदुरूस्त संतान उत्पन्न कर सकें।

इस बिल में मातृत्व अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह तक करने का जो काम किया है, उससे माताओं और बहनों को बहुत बड़ा लाभ होगा। घर पर रहकर, काम करने का जो अधिकार मिला है, उसे भी एक महत्वपूर्ण राहत भरा कदम हम कह सकते हैं। एक महिला 26 सप्ताह तक सवैतनिक अवकाश लेने के पश्चात, निश्चिंत होकर कार्य कर पर पाएगी, साथ ही साथ अपने बच्चे का लालन-पालन करके पूर्णतया तंदुरूस्त बच्चे को तैयार करेगी, जिससे देश में बढ़ रही शिशु मृत्युदर पर लगाम लगाने का कार्य हो पाएगा।

महोदय, एक और महत्वपूर्ण अमेंडमेंट जो सरकार ने किया है, मैं उसकी सराहना करती हूं। इससे मां बनने में जो असक्षम महिलाएं हैं, बच्चे गोद लेती हैं, उनको भी 12 सप्ताह का मातृत्व

अवकाश प्रदान किया गया है। कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाली हमारी बहनें और बेटियां प्रसूति के 26 सप्ताह बाद जब काम पर लौटती हैं तो सरकार ने उनकी पीड़ा को पुनः समझा और इसके लिए उन्होंने शिशु कक्ष की सुविधा का प्रावधान किया, जिसमें मां चार बार जाकर बच्चे को दूध पिलाने से लेकर, उसकी देखभाल करने का सराहनीय काम कर सकती है।

कारखानों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाली ज्यादातर महिलाएं पढ़ी-लिखी नहीं हैं और वे अपने अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। एक बहुत बड़ा सशक्त कदम यह भी है कि जिस समय वह नौकरी पर जाएगी, उस समय लिखित रूप से भी और इलेक्ट्रानिक रूप से भी जो उसके सामने रखा जाएगा, जो शर्त इस बिल में है, वह उसके सामने बताई जाएगी, ताकि वह सजग रूप से अपने अधिकारों का पालन कर सके। असंगठित क्षेत्रों में महिलाओं को कैसे इस बिल के दायरे में लाकर उन्हें भी लाभ दिया जाए, यह महत्वपूर्ण बात है। मैं समझती हूं कि इस पर मंथन करके, विचार करके इस बिल में यह प्रावधान रखा जाएगा।

मैं अंत में मैटरनिटी बेनिफिट (अमेंडमेंट) बिल, 2016 का स्वागत करती हूं, समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

[अनुवाद]

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस अवसर के माध्यम से श्रम कल्याण विधान, विशेष रूप से महिला कामगारों के लिए कल्याण विधान पर चर्चा में भाग लेने का यह अवसर देने के लिए धन्यवाद।

इस विधेयक और इससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, मैं इस अवसर पर माननीय श्रम मंत्री को 16वीं लोक सभा के दौरान अनेक श्रमिक कल्याण विधान लाने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ एवं उनके प्रयासों की सराहना करता हूँ। यद्यपि इनमें से अधिकांश विधान टुकड़े-टुकड़े में लाए गए कानून हैं, फिर भी इनका हमारे देश में श्रमिक कल्याण की स्थिति पर अच्छा प्रभाव

पड़नेवाला है। अतः मैं एक बार फिर से माननीय मंत्री जी के सराहनीय प्रयासों के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। विशेष रूप से, वे जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वे समाज के श्रमिक वर्ग समस्याओं को भलीभांति जानते हैं। निश्चित रूप से, उनके द्वारा लाए गए विधेयक और विधान स्वागत योग्य हैं और मैं इस विधेयक का भी पूर्ण समर्थन करता हूँ, यद्यपि इसके संबंध में मेरी कुछ आपत्तियाँ और टिप्पणियां हैं।

यह हमारे देश में महिलाओं विशेष रूप से कार्यरत महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य को कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियाँ तथा प्रसूति प्रसुविधा सुनिश्चित करने का प्रावधान करना चाहिए। यह एक निर्देशक सिद्धांत है जो सरकार को देश की कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और प्रसुविधा प्रदान करने का अधिकार देता है। यद्यपि यह अनिवार्य नहीं है, मैं यह मानता हूँ, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी नहीं हैं बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार संविधान के भाग-4 और अनुच्छेद 42 के निर्देशों का निश्चित रूप से पालन कर रही है। मैं सरकार की इस विधेयक को लाने के प्रयास का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

अगर हम इतिहास पर नजर डालें, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और वर्ष 2015 में, भारत के विधि आयोग ने मातृत्व अवकाश को 24 सप्ताह करने की सिफारिश की थी। अधिकांश माननीय सदस्यों एवं स्वयं माननीय मंत्री जी ने भी भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें, 45वें और 46वें सत्रों में अपने उद्देश्यों और कारणों के कथन में इस संबंध में विचार व्यक्त किए थे और प्रसूति प्रसुविधा बढ़ाने का सुझाव दिया था। महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह समय की आवश्यकता क्यों बन गई है। पहले केवल 12 सप्ताह का मातृत्व अवकाश और लाभ प्रदान किया जाता था। किंतु अब, इस विधान के माध्यम से सरकार ने इसे 26 सप्ताह करने पर सहमति जताई है।वर्तमान में यह अत्यंत आवश्यक क्यों है, इसका कारण यह है कि 1961 में मूल अधिनियम 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961' लागू हुआ था। इसके बाद 2005, 2008 और 2015 में इसमें संशोधन किए गए। परंतु यदि हम सामाजिक व्यवस्था के इन पाँच दशकों के अनुभव को देखें, तो हम पाते हैं कि इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन

हुआ है जो कि था संयुक्त परिवार प्रणाली से एकल परिवार प्रणाली की ओर परिवर्तन। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन है।

संयुक्त परिवार प्रणाली में जब कोई महिला गर्भवती होती थी, तो उसके माता-पिता, दादा-दादी और अन्य रिश्तेदार उसका ध्यान रखते थे और उसे सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाती थीं। किंतु अब, एकल परिवार प्रणाली के कारण जहां केवल माता-पिता और एक-दो बच्चे होते हैं, वहां गर्भवती महिला को उचित देखभाल और संरक्षण प्रदान करना बहुत कठिन हो गया है। अतः मातृत्व अवकाश की अवधि को बढ़ाना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। यह पूरी तरह से न्यायोचित है, यद्यपि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों से यह तर्क दिया गया है कि 26 सप्ताह की छुट्टी देना संभव नहीं है क्योंकि उद्योग इस बोझ को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह तर्क उचित नहीं है, क्योंकि तीन या पाँच दशक पहले 12 सप्ताह की छुट्टी जब दी गई थी, उस समय की स्थिति या सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। आज, परिवार प्रणाली में इस संरचनात्मक परिवर्तन के कारण यह समय की आवश्यकता है। मैं इस छुट्टी की अवधि बढ़ाए जाने का पूर्ण समर्थन करता हूँ।

इस सभा में पहले ही अधिकांश माननीय सदस्यों द्वारा जिस प्रमुख मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, वह यह है कि यह विधेयक संगठित क्षेत्र से संबंधित है। हमारे देश के लगभग सभी श्रमिक कल्याण कानूनों में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों को विशेष महत्व और प्राथमिकता दी जाती है। यह केवल प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, *1961* तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यदि हम अन्य सभी श्रमिक कल्याण कानूनों को देखें, तो लगभग सभी लाभ संगठित क्षेत्र के कामगारों को ही प्रदान किए जाते हैं।

अब प्रश्न यह उठता है कि संगठित क्षेत्र के कामगारों की संख्या कितनी है? मेरी जानकारी के अनुसार, हमारे देश में कुल कार्यबल का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि केवल 8 से 10 प्रतिशत कार्यबल संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश वेतनभोगी

वर्ग से हैं। इन्हें सभी प्रकार के लाभ मिलते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर उनकी वेतन पुनरीक्षा होती है और अन्य सभी सुविधाएं व भत्ते भी स्वतः बढ़ जाते हैं।

जहां तक असंगठित क्षेत्र का सवाल है जैसे कि कृषि, निर्माण कार्य और अन्य कई क्षेत्रों – में कार्यरत श्रमिकों को विधायी प्रावधानों के माध्यम से कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। यदि हम संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के आंकड़ों को देखें, तो संगठित क्षेत्र में कुल 138 लाख महिला कामगार हैं, जिनमें से 60 लाख महिलाएं 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। यह आयु वर्ग प्रसूति प्रसुविधा या अवकाश प्राप्त करने के लिए पात्र है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो केवल 4.4 प्रतिशत महिला कामगार प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने की हकदार हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि संगठित क्षेत्र की 95.6 प्रतिशत महिला कार्यबल को इस अधिनियम या प्रसुविधा का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद, उद्योग जगत इसका विरोध कर रहा है कि इस लाभ को कैसे न्यायोचित ठहराया जा सकता है। यह महिला कामगारों को दिया जाने वाला एक मामूली लाभ है, हालांकि 95.6 प्रतिशत कामगार इस लाभ के पात्र नहीं हैं, जिसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं।

इसलिए, मेरा सुझाव है कि सरकार, विशेषकर माननीय श्रम मंत्री जी को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगारों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्हें यह प्रसूति प्रसुविधा क्यों नहीं मिल रही है? कृषि क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों को प्रसूति प्रसुविधा का अधिकार क्यों नहीं है? केवल संगठित क्षेत्र – जैसे कि कारखानों, प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों – में कार्यरत महिलाओं को ही छह माह या 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिल रहा है, परंतु असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को कम से कम एक माह का प्रसूति प्रसुविधा भी क्यों नहीं दिया जा रहा है, जबकि इसके लिए अनिवार्य प्रावधान किया जा सकता है? मैं माननीय श्रम मंत्री से आग्रह करता हूं कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिला कामगारों के लिए भी कोई विधायी प्रावधान लाया जाए, ताकि उन्हें भी इस अधिकार का लाभ मिल सके। इसी प्रकार, इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। यही मेरा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

<u>अपराह्न 5.18 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

मैं इस विधेयक से संबंधित अपने तीसरे बिंदु की ओर आता हूँ जिसमें मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किए जाने की बात है। मैं माननीय मंत्री जी और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या यह उचित, न्यायसंगत और सही है कि केवल उन परिवारों या महिलाओं को ही यह अतिरिक्त लाभ मिलेगा जिनके दो से कम बच्चे हैं। मेरे अनुसार, यह उचित नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका कारण बताता हूँ। भारत का संविधान बहुत स्पष्ट है। संविधान के अनुच्छेद 14 में "कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण" की बात कही गई है। कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का मुख्य आधार है। मेरा सवाल है कि आप किस आधार पर इस लाभ को सीमित कर रहे हैं और उन परिवारों को यह लाभ नहीं दे रहे हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं? क्या संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है? मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या भारत की संसद द्वारा ऐसा कोई कानून पारित किया गया है, जो दो से अधिक बच्चों वाले परिवारों को लाभ से वंचित करता हो? मेरी सीमित जानकारी के अनुसार, केवल सर्व शिक्षा अभियान या कुछ छात्रवृत्तियों में ही इस प्रकार की कुछ सीमाएं रखी गई हैं। पूर्व मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ उपस्थित हैं, और मुझे लगता है कि वे इस विषय को अच्छी तरह स्पष्ट कर सकते हैं। यह केवल एक परिपत्र था। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूँ और उनसे इसमें संशोधन करने का निवेदन भी करता हूँ कि यह भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी अधिनियम के माध्यम से सरकार अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों की संख्या को लाभ से जोड़ रही है। क्या यह उचित है? मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध है।

माननीय अध्यक्ष : कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन : मैं समाप्त कर रहा हूँ। … (*व्यवधान*) मैं चीन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उन्होंने जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया था। अब चीनी सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के एक हिस्से के रूप में उस पर छूट दी है। यह एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है। अतः, कृपया इस लाभ को सीमित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करें। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन : मैं अब नए खंड 11क पर आता हूँ। इसमें कहा गया है कि हर उस संस्थान में जहाँ 50 या उससे अधिक कर्मचारी हों, वहाँ एक शिशु देखभाल केंद्र होना अनिवार्य होगा। यह भी उचित नहीं है। पहले यह संख्या 15 कर्मचारियों की थी, अब इसे बढ़ाकर 50 किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि चाहे वहाँ 25 कर्मचारी हों या 30, वहां निश्चित रूप से एक शिशु देखभाल केंद्र होना ही चाहिए। इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं वित्त पोषण के पहलू पर आता हूँ। वित्त पोषण के संबंध में कई टिप्पणियाँ की गई हैं। कुछ देशों में प्रसूति प्रसुविधा के भुगतान की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। कुछ देशों में केवल नियोक्ता ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कृपया इस पहलू पर भी विचार करें ताकि यह विधेयक महिलाओं को रोजगार मिलने से रोकने का अप्रत्यक्ष कारण न बन जाए। अगर छह महीने की छुट्टी देनी होगी, तो निश्चित रूप से यह महिलाओं के रोजगार के अधिकार के लिए बाधा न बने तथा ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः, मेरा यह सुझाव और निवेदन है कि सरकार की भी इसमें कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए।

इस निवेदन के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : अध्यक्ष महोदया, श्रम और रोजगार मंत्री आदरणीय श्री बंडारू दत्तात्रेय जी की ओर से जो प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2016 पेश हुआ है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि कल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस

मनाया जाता है और हमने मनाया भी है। इसके इतिहास में जायें, तो औद्योगिक विकास के तहत महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को दूसरा दर्जा देने के कारण वर्ष 1908 में हजारों महिलाओं ने अपने आधिकार, समान काम समान वेतन, फिक्स टाइम और मताधिकार के लिए मूवमेंट चलाया था। अमेरिका में जब वर्ष 1909 में पहला राष्ट्रीय विश्व महिला दिन मनाया गया, तब वर्ष 1910 में डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसमें क्लेराजेविक नामक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निर्धारण करने की पहल की थी। आखिर में 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जा रहा है।

अध्यक्षा जी, कल यानी 8 मार्च को गांधी नगर में आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और आपकी उपस्थिति में स्वशक्ति 2017 का समारोह हुआ। देश भर से छह हजार महिला सरपंच वहां पर मौजूद थीं और ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं का एक सम्मेलन वहां पर सम्पन्न हुआ। आपके कर कमलों से, जो ओडीएफ जिले जाहिर हुए, उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। आज सुबह मंत्री जी ने बताया कि तकरीबन 1 लाख 17 हजार गांव ओडीएफ हो चुके हैं और उन सभी महिलाओं को आपने पुरस्कृत भी किया था। वह अपने आप में एक बड़ी गौरवमयी बात है।

मैं कहना चाहती हूं कि यह जो प्रसूति प्रसुविधा आधिनियम 1961 विधेयक है, इसमें 55 साल बाद यह संशोधन किया जा रहा है और प्रसूति प्रसुविधा विधेयक 2016 जो राज्य सभा से पारित होकर आया है, मैं कहना चाहती हूं कि समाज में रहता हुआ हरेक इंसान एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। परिवार समाज और राष्ट्र की धुरी है और इस व्यवस्था में परिवर्तन आना जरूरी है क्योंकि परिवर्तन ही समाज और राष्ट्र का टॉनिक है।

कानून कोई जड़ व्यवस्था नहीं है और इसमें भी संयोगों के साथ परिवर्तन आवश्यक है। वैसे ही आज हमारे विजनरी प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की अगुवाई वाली एन.डी.ए. सरकार ने कई कानूनों में बदलाव किये हैं और कई कानूनों को निरस्त भी किया है। किसी भी महिला के लिए मां

बनना एक गौरव की बात है। मां बनने के बाद बच्चे की मानसिक, सामाजिक और आरोग्य के तहत परवरिश करना आनिवार्य होता है और इसमें माता की भूमिका आम होती है। भारत में आज कुल महिला कर्मचारियों की संख्या तकरीबन 5 से दस प्रतिशत होने का अनुमान है। इस संशोधन विधेयक में मातृत्व के लिए संशोधन लाभ आधिनियम 1961 के 12 सप्ताह से 26 सप्ताह करने का जो प्रस्ताव राज्य सभा से पारित किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य मातृत्व अवकाश की अवधि का विस्तार है। मातृत्व अवकाश के बारे में भारत का तीसरा स्थान है। इसके तहत देखा जाए तो प्रसूता मां और बच्चे को बेहतर जीवन प्रदान करना एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह विधेयक इस दिशा में काफी मददगार साबित होगा। इससे नवजात शिशु पर माता का खूब दुलार भी बरसेगा और इसकी मैं सराहना भी करती हूं। इससे तकरीबन 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मैं इसकी भी सराहना करती हूं।

अब इस प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक के प्रावधानों के माध्यम से निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को इस संशोधन विधेयक के तहत अपनी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। प्रसूता महिला को अवकाश के दौरान वेतन भी मिलेगा और 3000 रुपये का मातृत्व का बोनस भी मिलेगा। इससे बच्चे और परिवार की परवरिश के लिए आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। यह एक काफी उचित कदम है, जैसे वर्तमान बजट में गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे तकरीबन 18 लाख महिलाएं लाभान्वित होने वाली हैं। इसमें सरोगेट मदर और दत्तक माताएं 12 सप्ताह के अवकाश के साथ प्रसूति लाभ की हकदार भी होंगी, जो कि आज तक महिलाएं इस लाभ से वंचित थीं। ऐसी व्यवस्था न करने वाले जो संगठन हैं, उनके लिए दंड का कड़ा प्रावधान किया गया है जो उचित है जिससे इन प्रतिष्ठानों में महिलाओं के प्रति एक अच्छी सोच लोग रखेंगे।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने, जैसे अभी दुकानों, मॉल और सिनेमा हॉल सहित प्रतिष्ठानों को साल भर 24 घंटे खुले रहने की जो अनुमति देने संबंधी एक मॉडल कानून बनाया है, इनके अन्तर्गत

सब महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा। यह संशोधन विधेयक इसे लाभान्वित बनाने में सहायक होगा और श्रम बल में महिलाओं की सहभागिता मिलेगी। कामगारों के हितों की रक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया है, जैसे फैक्टरी, सर्कस उद्योग और कृषि संस्थान इत्यादि संगठनों में जहां पर दस से आधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। वह भी एक सराहनीय कदम है। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं और माननीय प्रधान मंत्री जी तथा हमारे श्रम मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक 2016 पर बोलने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

आज जब हम इस बिल की बात करते हैं, मेरे ख्याल से सदन में कोई नहीं होगा जो इसका समर्थन नहीं कर रहा होगा। आप भी स्वयं एक महिला हैं, आप भी समझती हैं कि इस बिल के माध्यम से हम केवल 10 प्रतिशत महिलाओं को फायदा पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि सरकार का डेटा बता रहा है कि आज भी 90 प्रतिशत महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार क्या कदम उठा रही है कि उन 90 प्रतिशत महिलाओं को भी सरकार फायदा पहुंचा पाए? आज इस एक्ट के तहत सरकार बताती है कि अगर कोई एम्पलॉयर किसी महिला को मातृत्व अवकाश के फायदे नहीं देता है तो उस पर मात्र 5000 रुपये की पैनल्टी लगती है। आप खुद सोचकर देखिए कि किसी एम्पलॉयर के लिए क्या यह फायदेमंद नहीं होगा कि वह 5000 रुपये जुर्माना भरे या फिर किसी महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी देने का काम करे?

मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा, मैंने अमेंडमेंट भी डाली है, उसको वह जरूर संज्ञान में लें। पांच हजार रूपए की पेनाल्टी वाले क्लाउज को अमेंड कर, पेनाल्टी की रिस्ट्रिक्शन राशि को एक लाख रूपए तक करने का काम करें, क्योंकि जब इम्पलॉयर पर प्रेशर रहेगा, तब हम इस बिल, इस एक्ट का लाभ पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाने का काम कर पायेंगे।

आज भारत सरकार बारी-बारी कहती है कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स स्पेशली पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री में महिलाओं को आगे लाने का काम करें। हम इस ऐक्ट के माध्यम से उनको 26 हफ्तों का जरूर फायदा देंगे, मगर उसके बाद हम उनको जम्मू-कश्मीर और अरूणाचल प्रदेश जैसी जगहों या माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में ड्यूटी पर भेजेंगे, जो कहीं न कहीं उन पर और अधिक प्रेशर डालने का काम करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो औरतें सर्विसेज में हैं, स्पेशली पैरामिलिट्री और मिलिट्री में हैं, उनके लिए एक अमेंडमेंट लाने का काम कीजिए, जिसके बाद उनको हाई-प्रेशर जोन के अंदर डिप्लॉय न किया जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरी एक और अपील है कि सरकार इसे 26 सप्ताह से बढ़ा कर 30 सप्ताह करे। अगर हम पूरा महीना काउंट करें तो डिलीवरी के बाद का जो समय है, उसमें भी उन्हें बेनिफिट मिलेगा। जहां क्रेच की बात है, उसके अंदर चार बार विजिट करने का प्रोविजन दिया गया है, मगर वे टाइम फिक्स कर दिये जायेंगे। अगर हम इसको इस माध्यम से लें कि क्रेच के अंदर जाने के लिए मां को उनके अपने टाइम के हिसाब से परमिशन दी जाये तो कहीं न कहीं उस मां के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। कल महिला दिवस था। सरकार ने उसे जोर-शोर से सेलेब्रेट किया है। मैं उन्हें बधाई दूंगा कि महिला दिवस के बाद वे बहुत महत्वपूर्ण बिल सदन में लेकर आये हैं और मैं इस बिल का समर्थन करके, सरकार को बधाई दूंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री रमेश बिधूड़ी केवल दो मिनट में अपनी बात सदन में रखिए।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पास बहुत बड़ा डेटा नहीं है, लेकिन हमारे देश में अभी तक, 70 साल की आजादी में किताबों में कानून बनते थे। वर्ष 1961 के बाद, वर्ष 2008 में भी, हमारे सामने खड़गे साहब बैठे हैं, इनकी सरकार ने ऐसी ... * [8*]की थी और इस प्रकार के बिल लाने की बात की थी।

माननीय अध्यक्ष : आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलिए। आप ठीक तरह से बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : महिलाओं को उनके अधिकार मिले, महिलाओं को भागीदारी मिले, महिलाओं को 33 प्रतिशत, 50 प्रतिशत की भागीदारी मिले, इनके नेता ... * बहुत शोर मचाती थीं। देश के अंदर आधे से ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं, ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, वे सभा में नहीं हैं। वे उनका नाम क्यों ले रहे हैं? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप इस बिल के बारे में बोलिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : क्या वे मंत्री हैं? … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

[8*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रमेश बिधूड़ी : वह हाउस की सदस्य हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इस पर अच्छा डिसकशन हुआ है।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : क्या वह हाउस की मेम्बर नहीं हैं?...(व्यवधान) वह नेता नहीं हैं।... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जो कुछ बोलना है, उन्हें बोलने दें।...(व्यवधान) वह उनका नाम क्यों ले रहे हैं... [9*]

श्री रमेश बिधूड़ी : क्या ... * हाउस की मेम्बर नहीं हैं?...(व्यवधान) क्या वह अभी भी इटली में रहती हैं? अब वह हिन्दुस्तान की नागरिक बन गयी हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : वे यहां उपस्थित नहीं हैं। आप उनका नाम कैसे ले सकते हैं? ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : विधूड़ी जी आप अपना भाषण पूरा करें।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : यह सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री जी के लिए शोर करते रहते हैं, तब रूल्स कहां चले जाते हैं।...(व्यवधान) क्या प्रधानमंत्री जी हमेशा हाउस में होते हैं?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहें।

... (व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : मैडम, केवल देश को अवगत कराना चाहता हूं कि आधी से ज्यादा महिलायें उनको इसलिए नौकरी पर नहीं भेजते थे कि महिला घर की गृहणी के रूप में काम करेंगी। रूरल बेल्ट

[9*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

में एक मानसिकता है और 85 प्रतिशत लोग वहीं रहते हैं। देश में 15 प्रतिशत कांग्रेस की मानसिकता के लोग हैं, लेकिन 85 प्रतिशत लोग इसी मानसिकता के हैं, वे इसलिए उनको नौकरी नहीं कराते थे कि बच्चा पैदा होगा तो कैसे रहन-सहन करेंगे, कैसे स्वस्थ बच्चे को लाभ मिलेगा। मेटरनिटी लीव को सैद्धांतिक रूप से 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, जिससे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रमेश बिधूड़ी : महोदया, मैं अभी भूमिका बना रहा हूं और मैंने अभी डेटा भी देना है। अभी चौटाला जी कह रहे थे कि असंगठित क्षेत्र में महिलाओं को सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी, पांच हजार रुपए जुर्माना तो कोई भी भर देगा। इस देश में लोग कोयले को बेचकर खा गए। 2-जी घोटाला हुआ, सभी में सजा का प्रावधान था, फिर भी ऐसे घोटाले हुए। मैं कहना चाहता हूं कि प्रयास तो करना ही चाहिए और सरकार ने प्रयास किया है कि जो बहनें सर्विस करेंगी, उन्हें इसका लाभ अवश्य मिलेगा। डिलिवरी के समय प्रधानमंत्री जी ने छह हजार रुपए की बात कही है, उसके लिए भी खड़गे जी बार-बार कहते हैं कि हमने किया है। महिलाओं को डिलिवरी से पहले दो हजार रुपए, डिलिवरी के बाद दो हजार रुपए दिए जाएंगे, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, उन्हें डिलिवरी के समय मुश्किल होती है कि माँ को पूरी डाइट नहीं मिल पाती थी। वर्किंग महिलाओं को तो इस बात की भी टेंशन होती थी कि डिलिवरी से दो महीने पहले डाक्टर भी बताते हैं कि इन्हें रेस्ट मिलना चाहिए। देहात में डिलिवरी के बाद महिलाओं को कमरे से निकलने नहीं देते थे कि उन्हें हवा लग जाएगी। इसी कारण महिलाओं से नौकरी नहीं करवाते थे। आज महिला बराबर के हक में खड़ी होंगी। उनके और उनके परिवार में विश्वास पैदा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 26 हफ्ते के लिए महिला तथा बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए छुट्टी दी है और उन्हें पूरी सैलरी भी मिलेगी, तो माँ-बाप महिलाओं को बाहर जाने के लिए अलाऊ करेंगे। जो पिछड़ी महिलाएं थीं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जो दलित, पीड़ित, उपेक्षित वर्ग था, जिनके परिवार की बहू-बेटी काम करने के लिए बाहर जाएगी, तो प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए

इस बिल, जिसे बंडारू दत्तात्रेय जी ने बनाया है, उन्हें अधिकार मिलेगा और तभी महिलाओं को लगेगा कि हमें हमारा हक मिल रहा है। केवल 50 परसेंट, 30 परसेंट की बात कह कर और नौटंकी करके इसे आगे बढ़ाते रहे कि हमें महिलाओं का वोट मिल जाए।

मैं खड़गे साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या पिछले दस सालों में कभी इतने बिलों में अमेंडमेंट हुआ है। पिछले दो साल में सौ कानूनों में बदलाव हुआ है, जो देश के गरीब लोगों के हित के लिए है। उन्हीं में से यह एक बिल है और पता नहीं क्यों वर्ष 2008 के बाद से इन्हें इस बिल की याद क्यों नहीं आई और ये महिलाओं के अधिकार की बात कहते हैं। जो विमेन काम करती हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर विश्वास पैदा करने के लिए कि जिस एजेंसी में वह काम कर रही है और वहां अगर 50 परसेंट से ज्यादा एम्प्लाई हैं, तो वह महिला अगर घर पर भी काम कर सकती होगी, उसे अगर घर पर काम करने के बाद भी अगर पेमेंट दी जाएगी, तो मैक्सिमम परिवार इससे लाभांवित होंगे। आज कम्प्यूटर का युग है। आज महिलाएं कम्प्यूटर पर घर में काम कर सकती हैं। उन्हें इस बिल में जो लाभ मिलने वाला है, जो सत्तर साल की आजादी के बाद भी नहीं मिला, लोगों ने सोचा ही नहीं था क्योंकि यहां केवल भााणबाजी होती थी, लेकिन प्रैक्टीकल रूप से कानून में इम्प्लीमेंट नहीं होता था और न महिलाओं को लाभ मिला करता था। इस बिल के माध्यम से सरकार ने उस वर्ग को, महिलाओं को, बहनों को अधिकार देने की बात कही है, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि देश में जो 50 परसेंट महिलाओं की बात करते हैं, उन्हें भी लगे कि निश्चित रूप से साठ-सत्तर सालों से महिलाएं आजाद नहीं हुईं, उन्हें आज इस बिल का पूरा लाभ मिलने जा रहा है।

महोदया, आप ट्रिप्पल तलाक की बात ले लीजिए। ये कभी नहीं कहते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इन ... [10*] को वोट चाहिए।

[10*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्रीमती सुप्रिया सुले : महोदया, हम नहीं ...* ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : वोट बैंक की राजनीति के कारण आज महिलाओं के बारे में ट्रिप्पल तलाक की बात कही है, वह भी देश के प्रधानमंत्री जी ने बात कही है और उन्हें भी ये सारे के सारे लोग कहने लगे हैं। इनमें से कोई ट्रिप्पल तलाक के बारे में कुछ बोल कर तो दिखाए। खड़गे साहब कोई स्टेटमेंट दे कर तो दिखाएं। एक व्यक्ति की एक महिला से शादी होनी चाहिए। महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार किए जाते हैं। एक आदमी तीन-तीन बीवियां रखकर 25-25 बच्चे पैदा करेगा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव (सिलचर) : अनंतकुमार जी, आपको कुछ सभ्य वक्ताओं को चुनना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

श्रीमती सुप्रिया सुले : हम किसी भी मायने पर असहाय नहीं हैं।... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रमेश बिधूड़ी : महिलाएं अपने अधिकार के लिए कहां जाएंगी, इसीलिए महिलाओं के सुरक्षा अधिकार की बात करते हुए इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी सुष्मिता देव : आपकी अपनी उपस्थिति में बहस की गुणवत्ता देखिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

---

* कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : महोदया, रिकार्ड में ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये स्वयं बिल को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, ऐसे लोग क्यों अंदर आते हैं, मुझे मालूम नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा मत बोलिए। मैंने देखा है।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह वर्ष 1961 का एक्ट है। इस एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं और 12 हफ्ते की लीव की जगह 26 हफ्ते की मेटरनिटी लीव कर रहे हैं। इन्हें तो यह कहने की आदत हो गई है कि पिछले सत्तर सालों से क्या किया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : केवल मंत्री जी का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)... [11*]

[हिन्दी]

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, मैंने पहले ही कहा था कि यह अमेंडमेंट काफी प्रोग्रेसिव वे में प्रपोज्ड किया गया है। मुझे बहुत खुशी है कि सदन में सभी पक्षों के लोगों ने एक्रास दि पार्टी लाइन इस बिल का समर्थन किया है। विशेषकर, इस विषय पर जिन नौ महिला सदस्यों ने विनम्रतापूर्वक अपनी बात कही है, उन्होंने अपनी भावनाओं को रखा है, उनकी भावनाओं के लिए मैं अपनी ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अन्य सदस्यों की ओर से भी काफी सुझाव आये हैं। उन सुझावों को भी मैंने विस्तार से नोट किया है। कुछ सुझाव बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालने वाले हैं। ऐसे विषयों के लिए रूल फ्रेम करने की कोशिश करूँगा ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मेटरनिटी बेनिफिट मिल सके।

[11*] कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस अमेंडमेंड में कुछ नये प्रावधान किये गये हैं। पुराने बिल में कमिशनिंग मदर या एडॉप्ट मदर के बारे में प्रावधान नहीं था और क्रेच का प्रावधान भी नहीं था। घर से काम करने का प्रावधान भी नहीं था। इसमें प्रमुख बात यह है कि हमारी मजदूर महिलाओं को भर्ती करने समय इंटीमेट करने चाहिए कि आपको मेटरनिटी लीव का प्रावधान है। उनको यह इलेक्ट्रॉनिकली देना चाहिए या लिखित रूप में देना चाहिए। इस प्रकार का इसमें प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, पहले प्राइवेट में जो क्रेच चलते थे, वे दो ब्रेक्स देते थे, अब इसकी संख्या बढ़ाकर चार तक की गयी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्राइपरटाइट मेकेनिज्म चलती है, उसमें कानून के प्रावधान के अनुसार कानून बनाने का प्रावधान है, जिसमें ट्रेड यूनियन, इम्प्लायर और राज्य सरकारें हैं। सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है। इम्प्लॉयर ने भी इसका समर्थन किया है, ट्रेड यूनियन तो समर्थन करता ही है और इसका समर्थन राज्य सरकारों ने भी किया है। इससे देश में एक संदेश गया है कि महिलाओं को मातृत्व बेनिफिट देने से उनके वर्क फोर्स में बढ़ोत्तरी आएगी। उनकी वर्किंग कंडिशंस और हेल्थ के कंडिशन में इंफोर्समेंट लॉ को सही तरीके से लागू करना चाहिए। मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि [अनुवाद] कृपया यह न भूलें कि श्रम समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है और इसमें प्रमुख भूमिका संबंधित राज्य सरकारों की होती है। मेरा कार्य केवल केंद्र क्षेत्र तक सीमित है। [हिन्दी] सेन्ट्रल स्फीयर में मैं इसे सही तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ कि कुछ राज्यों में इससे ज्यादा भी मेटरनिटी बेनिफिट देने की योजना बनायी गयी है, उन राज्य सरकारों का मैं अभिनन्दन करता हूँ।

कंपीटेंट स्पीरिट में भी राज्य आगे जा रहे हैं। वेलफेयर मेजर्स को लेने के लिए काफी राज्य आगे आ रहे हैं। इसलिए मैं उनको बधाई देता हूँ। इस अमेंडमेंड के साथ जो शेष प्रोविजंस हैं, वे भी वैसे ही रहेंगे, जैसे [अनुवाद] गर्भपात या चिकित्सीय गर्भपात के मामले में छह सप्ताह का अवकाश। दूसरा, नसबंदी ऑपरेशन के लिए दो सप्ताह का अवकाश और तीसरा, गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित बीमारी के मामले में अधिकतम एक महीने का अवकाश। एक और सुविधा है जिसे चिकित्सा बोनस

कहते हैं। पहले बच्चे के जन्म के लिए कर्मचारी को मिलने वाला चिकित्सा बोनस केवल ₹1000 था, जिसे अब बढ़ाकर ₹3500 कर दिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं- गर्भावस्था के कारण काम पर अनुपस्थित होने पर किसी भी प्रकार की सेवा से बर्खास्तगी नहीं की जाएगी, और गर्भावस्था या प्रसूति अवकाश के दौरान वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, आदि। [हिन्दी] कुछ सदस्यों ने इसके बारे में चिंता व्यक्त की थी, इसलिए मैंने इस बिल में इन सारे प्रोविजन्स को लागू किया है। सभी सदस्यों ने इस विषय पर काफी सुझाव दिए हैं। मैं उन सुझावों के समाधानों के संबंध में बताना चाहता हूँ। सुष्मिता जी ने कृषि के बारे में बताया था। कृषि में केवल मदर ही नही, बल्कि फादर भी इसे ले सकते हैं। [अनुवाद] "यदि आवश्यक हो, तो पिता भी जाकर मदद कर सकते हैं। डॉ. प्रीतम मुंडे ने इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाले लाभों के बारे में परामर्श और सलाह देने की बात की थी।" [हिन्दी] हम इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम को इंक्ल्यूड कर के और राज्यों से भी इसको लागू करवाने की कोशिश करेंगे। इसके संबंध में एआईडीएमके की मैडम वसन्ती जी ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में 52 वीक्स दिया जा रहा है। यह करेक्ट नहीं है। ब्रिटेन में 20 सप्ताह का अवकाश दिया जाता है और अब हम 26 सप्ताह का प्रावधान कर रहे हैं।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर) : हमारी अम्मा ने 36 सप्ताह (नौ महीने) के मातृत्व अवकाश की घोषणा की थी।

माननीय अध्यक्ष : वह पहले ही कह चुके हैं कि कुछ राज्यों में 26 सप्ताह से ज्यादा का प्रावधान है।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : इसके लिए मैं आपकी पहले ही सराहना कर चुका हूं। तमिलनाडु राज्य ने असंगठित श्रमिकों को भी कुछ अन्य नए लाभ प्रदान किए हैं। मैं तमिलनाडु के इन कदमों का स्वागत करता हूँ। रत्ना जी ने इसके अंतर्गत पेनाल्टी के बारे में बताया है। जो लोग इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, उनके लिए दंडात्मक प्रावधान है। इसमें तीन महीने से छह महीने तक

की सजा का प्रावधान है और माननीय सदस्यों के सुझाव के अनुसार जुर्माना ₹3000 से बढ़ाकर ₹5000 कर दिया गया है। हमें इसके उचित क्रियान्वयन का ध्यान रखना होगा।

[हिन्दी]

माननीय अरविंद सावंत जी ने भी बताया था कि एसईजेड के इकोनॉमिक जोन्स में भी इसे कवर कर के लागू किया जाता है। अगर वह किसी भी जगह लागू नहीं है, तो आप मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। डॉ. नरसैय्या गौड़ जी ने बताया था कि दो सरवाइविंग चिल्ड्रन तक इसे लागू करना है। इसके लिए पहले से ही प्रावधान है। इसीलिए किया गया है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की एक पॉलिसी चलती आ रही है, उस पॉलिसी के तहत चल रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों ने जो ओपीनियन बताया है। मैं सुप्रिया जी को विशेषकर धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने काफी पॉजिटिव सजेशंस दिए हैं। उन्होंने दो बातों के ऊपर ज्यादा बताया है, दूसरे सदस्यों ने भी अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के बारे में बताया है। [अनुवाद] यह सच है कि 93 प्रतिशत कार्यबल असंगठित क्षेत्र में है। मेरी प्राथमिकता यह है कि उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिले। इस दिशा में, पहली बार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी निर्माण श्रमिकों को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में लाया जाएगा। अब उन्हें ईपीएफओ और ईएसआईसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया जा रहा है। इसका पंजीकरण पहले ही शुरू हो चुका है। देश में लगभग चार करोड़ सत्तर लाख निर्माण श्रमिक हैं। यह निर्माण श्रमिकों के संबंध में सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है।

साथ ही, मैं सभा को जोर देकर यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए और अधिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाया जाएगा। [हिन्दी] मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में भी मैं आपको हमारे ई.एस.आई.सी. के सेकण्ड जेनरेशन रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन हमारे काफी लोगों का एक सुझाव आया था कि इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का मैकेनिज्म करना चाहिए। जैसे वूमेन एण्ड चाइल्ड वैल्फेयर मिनिस्ट्री,

हेल्थ मिनिस्ट्री और लेबर मिनिस्ट्री। जब भी इंटरमिनिस्ट्रियल की जरूरत होती है, उस पर बराबर काम होता रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो कहा है, उसका क्या मैकेनिज्म हो सकता है, हम उस पर भी सोच सकते हैं। [अनुवाद] यह आवश्यक है कि इस संशोधन अधिनियम में जो भी प्रावधान हैं, उनका पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो। इसके लिए, यदि आवश्यक हुआ, तो हम कोई तंत्र भी तैयार करेंगे।

मैं इस सम्माननीय सभा को निर्माण श्रमिकों से संबंधित उपकर राशि के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूं। यद्यपि निर्माण श्रमिकों का कल्याण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उपकर की राशि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा एकत्र की जाती है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी बहुत गंभीर है। उच्चतम न्यायालय ने विशेष रूप से यह टिप्पणी की है कि निर्माण श्रमिकों से जो कुल उपकर राशि एकत्र की गई है वह लगभग ₹24,600 करोड़ है, लेकिन राज्य सरकारों द्वारा इसमें से केवल ₹3,600 करोड़ ही खर्च किए गए हैं। इसलिए ₹21,000 करोड़ की राशि अभी भी शेष पड़ी है। इसलिए मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि इस राशि का उपयोग महिला श्रमिकों के कल्याण, विशेषकर प्रसूति प्रसुविधा देने के लिए करें। हालांकि हम उन्हें ईएसआईसी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया में हैं, फिर भी राज्य सरकारों को भी अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए। मैं विभिन्न राज्यों के सभी माननीय सांसदों से भी अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह एकत्र किया गया उपकर उचित तरीके से खर्च किया जाए।

कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए। एक मुद्दा जिसका मैं यहां उल्लेख करना चाहता था वह ई.एस.आई.सी. के संबंध में है। ई.एस.आई.सी. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है। हमारे पास अब 2 करोड़ 10 लाख बीमित व्यक्ति हैं और 8 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है। दूसरी बार के सुधार कार्यों में, हम ईएसआईसी को पूरे देश में विस्तारित कर रहे हैं। पहले की सरकार ने विचार किया था कि इसे केवल भौगोलिक क्षेत्रों के समूहों तक सीमित किया जाए, लेकिन अब हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करना चाहते हैं। वर्तमान

में, ईएसआईसी का लाभ पूर्ण रूप से केवल 393 जिलों को दिया जा रहा है। हम ईएसआईसी नेटवर्क को देश के 702 जिलों तक विस्तारित करना चाहते हैं। [हिन्दी] 702 जिलों में सारे ई.एस.आई.सी. हास्पिटल्स को कवरेज करने के हमारे प्रोग्राम की शुरूआत हो गई है। जैसा उन्होंने कहा था कि इसमें इम्पलायर का कंट्रीब्यूट्री फंड 4.75 परसेन्ट है और इम्पलायी का 1.75 परसेन्ट है। फिर भी कुछ लोगों ने सरकार की तरफ से कुछ सोशल सिक्युरिटी फंड के निर्माण का सुझाव भी दिया है, लेकिन इस स्कीम को फेज्ड मैनर में ई.पी.एफ.ओ., पेंशन, मेडिकल बेनिफिट्स एंड प्रोविडेंट बेनिफिट्स को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ज्यादा ले जाने का एक नया निर्णय हम लोगों ने लिया है और जहां-जहां हमारी डिस्पेंसरीज हैं, उन डिस्पेंसरीज को हमने 6 बेडेड हास्पिटल के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय़ लिया है। आगे आने वाले दो सालों में हम 450 सिक्स बेडेड हास्पिटल्स का निर्माण करने वाले हैं और ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में आयेंगे।

सेकिंड जनरेशन ऑफ रिफोर्म्स में हम दो बातों पर काफी ध्यान दे रहे हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस में काफी चेंजिज लाये हैं और डिमोनेटाइजेशन के बाद हमने नये ई.एस.आई.सी. और ई.पी.एफ.ओ. का बेनिफिट देने के लिए वर्कर्स के नये रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की है। वर्कर्स के कैम्प्स लगाना और उनके बैंक खाते खुलवाने का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हम अनऑर्गेनाइज्ड को भी आगे बढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं।

[अनुवाद]

अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो भारत दुनिया के 40 देशों में शामिल हो जाएगा और एशियाई प्रशांत देशों में सबसे अधिक अवकाश प्रदान करने वाले देशों में से एक बन जाएगा। एशियन पेसिफिक कंट्रीज में हम नम्बर वन रहेंगे। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि अब भारत इस क्षेत्र में प्रमुख स्थान पर है।

हमारे सदस्य चीन के बारे में पूछ रहे थे जो 15 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा प्रदान कर रहा है। जापान 14 सप्ताह; श्रीलंका 12 सप्ताह तथा बांग्लादेश और कोरिया क्रमशः 12 सप्ताह और 10 सप्ताह की प्रसूति प्रसुविधा प्रदान कर रहे हैं। जर्मनी 14 सप्ताह; स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड 16 सप्ताह दे रहे हैं। यूके 20 सप्ताह की प्रसुविधा प्रदान कर रहा है। इटली 22 सप्ताह प्रदान कर रहा है। भारत अब तीसरे स्थान पर आ रहा है, यानी 26 सप्ताह। कनाडा में 50 सप्ताह का प्रावधान है।

सायं 6.00 बजे

[हिन्दी]

इसलिए हम लोग दुनिया के अंदर रिफॉर्म्स में अपनी पहचान बना रहे हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस देश भर में मनाया गया है। हम देश की महिलाओं को और विशेषकर महिला कामगारों को यह मेटरनिटी बेनिफिट अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में सादर एक गिफ्ट के रूप में देना चाहते हैं। फिर भी हमारे मंत्रालय का जो लक्ष्य है, प्रधान मंत्री जी ने भी हमें बार-बार आदेश दिया है कि आप असंगठित क्षेत्र में काफी आगे बढ़िए। मुझे बहुत खुशी है, सारे ट्रेड यूनियंस भी जानते हैं कि हम जितने भी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, एक ट्रीपार्टाइट मैकेनिज्म से आगे ला रहे हैं और डेमोक्रेटिक स्प्रिट से आगे ला रहे हैं। इसलिए मज़दूरों के हित के लिए यह सरकार अच्छा काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप लोगों की मदद की बहुत जरूरत है। मेरी आपसे यह विनती भी है कि आप सभी लोग एक पॉज़िटिव आउटलुक से मज़दूरों को सबल बनाएं। मैं मज़दूर वर्ग से ही आया हूँ। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी एक मिनट रूकिए।

माननीय सदस्यों, सदन की सहमति से यह बिल पास होने तक हम सदन का समय बढ़ाते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : महोदया, ठीक है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : महोदया, यह एक बदलता हुआ जमाना है। इसमें हमारी सरकार तीन बातों की ओर ध्यान दे रही है। पहला है नौकरी की सुरक्षा; दूसरा है वेतन सुरक्षा और तीसरा है सामाजिक सुरक्षा। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इन तीनों बातों पर मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहता हूँ कि मिनिमम वेज के बारे में हम लोगों ने एक एडवाइज़री दी है। पहली बार नॉन एग्रीकल्चर के लिए मिनिमम वेज़ हम लोगों ने बढ़ा कर तीन सौ रूपये किया है। पहले यह कम था, अभी 38% बढ़ाया है। वैसे ही जॉब सिक्योरिटी के बारे में, लेजिस्लेशन में परिवर्तन के बारे में हमारी कोशिश चल रही है। सोशल सिक्योरिटी में हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट फेज़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हम लोगों ने इनफॉर्मल टू फॉर्मल सेक्टर में लाया है। अब आगे वैसे ही बीड़ी वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, आशा वर्कर्स को और मिडडे मील वर्कर्स को भी हम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एचआरडी मंत्रालय और हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल कर एक कमेटी बना कर ऑफिशियल एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। वह एक्सरसाइज़ होने के बाद वह स्कीम भी आगे आएगी। उन सभी वर्कर्स के बारे में भी हम लोग एक सोशल सिक्योरिटी देने का विचार कर रहे हैं।

इसलिए आप सब ने जितना समर्थन किया है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए इस बिल को पारित कराने के लिए अपना समर्थन दीजिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

धन्यवाद।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 धारा 5 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 से 6 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम) : मैं केवल संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सरोगेट माता के संबंध में है।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि पृष्ठ 2, पंक्ति 22 *के पश्चात* निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए,-

"(4क) कोई स्त्री, जो किसी अन्य स्त्री की ओर से किसी शिशु को जन्म देती है, चाहे अन्य स्त्री के भागीदार द्वारा निषेचित डिंब से या अन्य महिला (स्थानापन्न माता) से निषेचित डिंब को अपने गर्भाशय में समाविष्ट करके, वह बारह सप्ताह की अवधि के लिए प्रसूति-प्रसुविधा की हकदार होगी जिसमें से चार से अनधिक सप्ताह उसके आशयित प्रसव की तारीख से पूर्व नहीं होंगे ।"

माननीय अध्यक्ष : मैं अब खंड 3 में संशोधन हेतु श्री एन. के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 को सभा के मतदान के लिए रखूंगी।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 नई धारा 11(क) का अत: स्थापन

माननीय अध्यक्ष : श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 7 और 8 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री एन.के. प्रेमचंद्रन : मैं प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 3, -

"2016" के स्थान पर "2017"

प्रतिस्थापित किया जाए (2)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, *विधेयक में जोड़ दिया गया।*

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

" पृष्ठ 1, पंक्ति 1, -

"सड़सठवें वर्ष" के स्थान पर

"अड़सठवें वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री बंडारू दत्तात्रेय)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी अब प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, 10 मार्च, 2017 के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 10 मार्च, 2017 /19 फाल्गुन, 1938 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———————

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2017 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित